

# दूसरी SECOND

# अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

## केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

# 2009-2010

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पिठत अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च March, 2010

#### परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरा बैच, 2009-2010

वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच में 69 अनुदान और 3 विनियोग शामिल हैं। 14,43,532.92 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 31,780 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/ वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 14,11,751.96 करोड़ रुपए है जिसमें 13,67,361.86 करोड़ रुपए "ऋण की पुनः अदायगी" के लिए है। इसके अलावा, 97 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

- 2. 31,780 करोड़ रुपए के निवल नकद व्यय से सम्बद्ध प्रस्ताव का संशोधित अनुमान (आयोजना तथा आयोजना-भिन्न) 2009-2010 में कुल अनुमानित व्यय में किसी महत्वपूर्ण बदलाव का परिणाम नहीं होगी, चूंकि इसके भाग को सं.अ. 2009-2010 में पहले ही शामिल कर लिया गया है और शेष के लिए अन्य अनुदानों में समकक्ष समग्र बचतें होंगी।
- 3. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं:

को सहायता अनुदान (1) टाटा इंस्टिट्यूट

#### INTRODUCTORY NOTE

**Subject:** Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2009-2010.

The second and final batch of Supplementary Demands for Grants for 2009-2010 includes 69 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 14,43,532.93 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 31,780 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 14,11,751.96 crore including Rs.13,67,361.86 crore towards "Repayment of Debt". Besides, token provision of Rs. 97 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

- 2. Proposal involving net cash outgo of Rs.31,780 crore will not result in any significant variation in total estimated expenditure in Revised Estimates (Plan and Non-Plan) 2009-2010, as part of this has already been included in Revised Estimates 2009-2010 and for the remaining there would be equivalent overall savings in other Grants.
- 3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

  (কেং)ভ ত্বিত্ব স্বাধ্

217	ar aia	ला और मीर्चक उभा पर्ने का विकास	Crent	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण		Grant	No. & title and description of items	Plan	Non Plan	1 otai	
कृषि मंत्रालय 1. कृषि मंत्रालय		1 De	STRY OF AGRICULTURE epartment of Agriculture and Cooperation				
		य कृषि विस्तार परियोजना-1 के तहत अतिरिक्त यता अनुदान हेतु (2.68 करोड़ रुपए)।	un	or additional Grants-in-aid (Rs. 2.68 crore) der National Agricultural Extension oject-1.	-	1.38	1.38
पर	माणु ऊ	र्जा विभाग	DEPA	RTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4.	_	ाणु ऊर्जा	4 A1	omic Energy			
	(ক)	सचिवालय की स्थापना संबंधी व्यय की	(a)	For meeting establishment related			
	(ख) (ग)	पूर्ति हेतु। निम्नलिखित की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलेक्स (29 करोड़ रुपए), (ii) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (19.50 करोड़ रुपए) और (iii) बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप्स टेक्नोलोजी (4 करोड़ रुपए)। निम्नलिखित की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (66.74 करोड़ रुपए), (ii) इंदिरा	(b	expenditure of the Secretariat.  For meeting additional establishment related expenditure of (i) Nuclear Fuel Complex (Rs. 29 crore), (ii) Bhabha Atomic Research Centre (Rs. 19.50 crore) and (iii) Board of Radiation and Isotopes Technology (Rs. 4 crore).  For meeting additional expenditure for (i) Bhabha Atomic Research Centre (Rs. 66.74 crore), (ii) Indira Gandhi Centre	-	2.25 52.50	<ul><li>2.25</li><li>52.50</li></ul>
		गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (18 करोड़ रुपए), (iii) राजा रमन्ना सेन्टर फॉर एडवांस्ड टेकनोलोजी (10 करोड़ रुपए), (iv) वेरिएबल एनर्जी साइकलोट्रॉन सेन्टर (6 करोड़ रुपए), (v) क्रय और भंडार निदेशालय (6 करोड़ रुपए), (vi) सामान्य सेवा संगठन (3.05 करोड़ रुपए), (vii) भवन निर्माण, सेवा और सम्पदा प्रबंधन निदेशालय (6.90 करोड़ रुपए), (viii) अन्वेषण और अनुसंधान हेतु परमाणु खनिज निदेशालय (15.50 करोड़ रुपए), (ix) परमाणु रुर्जा विनियामक बोर्ड (2.06 करोड़ रुपए), और (x) निमानलिखित		for Atomic Research (Rs. 18 crore), (iii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (Rs. 10 crore), (iv) Variable Energy Cyclotron Centre (Rs. 6 crore), (v) Directorate of Purchase and Stores (Rs. 6 crore), (vi) General Services Organisation (Rs. 3.05 crore), (vii) Directorate of Construction, Services and Estate Management (Rs. 6.90 crore), (viii) Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (Rs. 15.50 crore), (ix) Atomic			

Energy Regulatory Board (Rs. 2.06

			आयोजना आयोजना	रोड़ रुपए Rupee आयोजना-भिन्न	
अनुदान सं	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	Non Plan	ा जाड़ Total
	ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (33.05 करोड़ रुपए), (2) टाटा मेमोरियल सेन्टर (5.99 करोड़ रुपए), (3) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिकस (1.51 करोड़ रुपए), (4) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स (0.05 करोड़ रुपए), (5) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंसेज (3.36 करोड़ रुपए), (6) इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च (10.01 करोड़ रुपए) और (7) परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी (1.92 करोड़ रुपए)।	crore), and (x) Grants-in-aid to (1) Tata Institute of Fundamental Research (Rs. 33.05 crore), (2) Tata Memorial Centre (Rs. 5.99 crore), (3) Saha Institute of Nuclear Physics (Rs. 1.51 crore), (4) Institute of Physics (Rs. 0.05 crore), (5) Institute of Mathematical Sciences (Rs. 3.36 crore), (6) Institute for Plasma Research (Rs. 10.01 crore) and (7) Atomic Energy Education Society (Rs. 1.92 crore).	_	134.25	134.25
(ঘ)	गुरू जल बोर्ड के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting additional expenditure for Heavy Water Board.	-	18.00	18.00
7. उर्वरक विभाग (क) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS  7 Department of Fertilisers For (a) subsidy on imported decontrolled fertilisers (Rs. 4,500 crore) and (b) subsidy			
	500 करोड़ रुपए) और (ख) स्वदेशी यूरिया सब्सिडी (3,500 करोड़ रुपए) के लिए।	on indigenous urea (Rs. 3,500 crore).	-	8,000.00	8,000.00
9. नाग (क) चार्ट में ए और	तानन मंत्रालय र विमानन मंत्रालय हज प्रचालनों संबंधी बकाया राशि और हज र्र्ज के देय सेवा कर की बकाया राशि के संबंध एयर इंडिया को भुगतान (40 करोड़ रुपए) र वायुपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को	<ul> <li>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</li> <li>Ministry of Civil Aviation         For (a) payment to Air India (Rs. 40 crore) towards arrears of Haj Operations and arrears of Service Tax due of Haj Charters, and (b) Grants-in-aid (Rs. 2 crore) to     </li> </ul>			
	ायता अनुदान (2 करोड़ रुपए) के लिए। और सूचना प्रौद्योगिकी	Airports Economic Regulatory Authority.  MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND	-	13.00	13.00
14. <b>दूरसं</b> (क) (ख)	मंचार विभाग  पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूति हेतु।  अंतरराष्ट्रीय दायित्वों संबंधी अंशदानों के	<ul> <li>INFORMATION TECHNOLOGY</li> <li>14 Department of Telecommunications <ul> <li>(a) For meeting additional expenditure towards payment of pensions and other retirement benefits.</li> <li>(b) For meeting additional expenditure for</li> </ul> </li> </ul>	-	358.00	358.00
	भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	payment of contributions towards international obligations.	-	8.63	8.63
मंत्रा (क) कारा (1,2 के उ		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION  17 Department of Food and Public Distribution For (a) Food Subsidy (Rs. 1,207 crore) to Food Corporation of India on account of additional allocation of rice and wheat, and (b) Subsidy (Rs.1,252 crore) to State Government on decentralised procurement of food grains including additional allocation of rice and wheat.	_	2,459.00	2,459.00
रक्षा मंत्रात <b>20. रक्षा</b> (क)		MINISTRY OF DEFENCE  20 Ministry of Defence  (a) For meeting additional expenditure on salaries (Rs. 163.32 crore) for implementation of the Sixth CPC recommendations to the staff of various Cantonment Boards.			

			रोड़ रुपए Rupee आयोजना-भिन्न	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयाजना-ाभन् Non Plan	न जोड़ Total
(ख) कैंटीन स्टोर विभाग द्वारा स्टोरों की खरीद संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (763.44 करोड़ रुपए)।  21. रक्षा पेंशन सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण पेंशन, परिवार पेंशन, उपदान, पेंशन का संराशिकृत मूल्य, छुट्टी नकदीकरण की वर्धित आवश्यकता और 60 प्रतिशत बकाया राशि के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	<ul> <li>(b) For meeting additional expenditure         (Rs. 763.44 crore) on procurement of             Stores by Canteen Stores Department.     </li> <li>21 Defence Pensions         For meeting additional expenditure on account of increased requirement in pension, family pension, gratuity, commuted value of pension, leave encashment and payment of 60% of arrears due to implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by     </li> </ul>	-	277.31	277.31
	the Government.	-	2,000.00	2,000.00
विदेश मंत्रालय 31. विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 31 Ministry of External Affairs			
भूटान (50.50 करोड़ रुपए) और अफगानिस्तान (32 करोड़ रुपए) को सहायता प्रदान करने हेतु।	To provide aid to Bhutan (Rs. 50.50 crore) and Afghanistan (Rs. 32 crore).	40.00	-	40.00
वित्त मंत्रालय 33 वित्तीय सेवा विभाग (क) (i) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (450 करोड़ रुपए) (ii) यूको बैंक (450 करोड़ रुपए) और (iii) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (300 करोड़ रुपए) के इक्विटी निवेश के लिए और विश्व बैंक ऋण के जिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत आवश्यकता (0.01 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। 39. पेंशन (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्यवन पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (2379.75 करोड़ रुपए) और (ख) अनुग्रह राशि के भुगतान (0.25 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF FINANCE  33 Department of Financial Services For (a) equity investment of (i) Central Bank of India (Rs. 450 crore), (ii) UCO Bank (Rs. 450 crore) and (iii) United Bank of India (Rs. 300 crore) and (b) meeting the capital requirement (Rs.0.01 crore) of Public Sector Banks through World Bank loan.  39 Pensions For meeting additional expenditure (a) on account of pensions and other retirement benefits, etc. on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs. 2,379.75 crore) and (b) Ex-gratia payment (Rs. 0.25 crore).	-	1,038.28 2,380.00	1,038.28 2,380.00
40 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग वेतन और स्थापना संबंधी व्यय के लिए।	<b>40 Indian Audit and Accounts Department</b> For salary and establishment related		2,300.00	
41 राजस्व विभाग (क) मादक पदार्थों के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि को सहायता अनुदान संबंधी व्यय (1.81 करोड़ रुपए) और केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो को स्थापना संबंधी व्यय (2.30 करोड़ रुपए) और (ख) केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने (2465.68 करोड़ रुपए) और मूल्य वर्धित कर (402 करोड़ रुपए) के कार्यान्वयन के कारण राज्य सरकारों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	expenditure.  41 Department of Revenue For meeting (a) Grants-in-aid expenditure (Rs. 1.81 crore) to National Fund for Control of Drug Abuse and establishment related expenditure (Rs. 2.30 crore) of Central Bureau of Narcotics, and (b) additional requirement for compensation to State Governments for revenue loss due to phasing out of Central Sales Tax (Rs. 2,465.68 crore) and implementation of Value Added Tax	-	35.78	35.78
44 विनिवेश विभाग ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम के व्यय में सरकार के हिस्से के भुगतान हेतु।	<ul> <li>(Rs. 402 crore).</li> <li><b>Department of Disinvestment</b> For payment towards Government's share of issue expenses in the Initial Public Offering (IPO) of Oil India Limited and Follow-on Public Offering (FPO) of National Thermal Power Corporation Limited.</li> </ul>	-	2,740.42	2,740.42
गृह मंत्रालय 55 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण 1984 के दंगा पीड़ितों को वर्धित क्षतिपूर्ति प्रदान करने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF HOME AFFAIRS  55 Transfers to Union Territory Governments For meeting additional expenditure on providing enhanced compensation to victims			
	of 1984 riots.	-	10.00	10.00

			रोड़ रुपए Rupees	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विधि एवं न्याय मंत्रालय 63. विनियोग-भारत का उच्चतम न्यायालय अन्य स्थापना संबंधी व्यय सहित न्यायाधीशों के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  63 Appropriation - Supreme Court of India For meeting additional expenditure towards salaries of Judges including other establishment related expenditure.	-	1.86	1.86
खान मंत्रालय 65. खान मंत्रालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (6.71 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान को वेतन संबंधी बकाया राशि के भुगतान हेतु सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF MINES  65 Ministry of Mines  For meeting additional expenditure on salaries in respect of Geological Survey of India (Rs. 6.71 crore), and Grants-in-aid (Rs. 0.25 crore) to National Institute of Miners' Health for meeting arrears of salaries.	-	6.96	6.96
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 71 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय (1.05 करोड़	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 71 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (a) For meeting additional expenditure on			
रुपए) की पूर्ति हेतु और मेघालय सिविल सर्विसेज सोसाइटी को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (0.62 करोड़ रुपए)। (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	Salaries (Rs. 1.05 crore) and providing Grants-in-aid to Meghalaya Civil Services Society (Rs. 0.62 crore). (b) For meeting additional expenditure on Salaries of Central Bureau of	-	1.05	1.05
<ul><li>(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।</li></ul>	Investigation.  (c) For meeting additional expenditure on Salaries of Central Vigilance Commission.	-	0.30	0.30
(घ) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting additional expenditure on Salaries of Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration.	-	0.59	0.59
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  72 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के संबंध में अनुमान से कम वसूलियों के लिए क्षतिपूर्ति (12000 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए।	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS  72 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing compensation (Rs. 12,000 crore) towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroluem products.	-	11,843.00 1	1,843.00
राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
78 विनियोग - संघ लोक सेवा आयोग प्रशासनिक व्यय और आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	78 Appropriation - Union Public Service  Commission  For meeting additional expenditure on administrative expenses and for examinations conducted by the Commission.	-	3.00	3.00
गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS UNION TERRITORIES (WITHOUT			
95 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय के लिए।	<ul> <li>LEGISLATURES)</li> <li>95 Andaman and Nicobar Islands         For revenue expenditure under various Ministries/Departments.     </li> </ul>	30.90	_	30.90

				(क्र	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुव	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
96	चंडीगढ़ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय के लिए।	96	Chandigarh For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	85.83	73.75	159.58
99	लक्षद्वीप (क) जिला पंचायतों के अंतर्गत नियमित शिक्षकों को वेतन का भुगतान (8.40 करोड़ रुपए) और (ख) पवन हंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को उड़ान प्रभारों (3.60 करोड़ रुपए) संबंधी व्यय की पृति	99	<b>Lakshadweep</b> For expenditure towards (a) payment of salaries to the regular teachers under District Panchayats (Rs. 8.40 crore) and (b) flying charges (Rs. 3.60 crore) to Pawan Hans			
	हेतु।		Corporation Limited.	-	1.10	1.10

**Total Cash Outgo** 

4. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में 14,11,751.96 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदान/ विनियोग हेतु प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति मंत्रालयों/ विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा की जाती है। मदें निम्नलिखित हैं:

#### अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगें कृषि मंत्रालय

जोड नकद व्यय

#### 1. कृषि तथा सहकारिता विभाग

(क) निम्नलिखित को सहायता अनुदान के लिए (i) केंद्रीय विस्तार निदेशालय संस्थान के विस्तार सहायता (3.27 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (20 करोड़ रुपए) (iii) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में एकीकृत बागवानी विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन के तहत कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को (10 करोड़ रुपए) (iv) सूक्ष्म सिंचाई के तहत कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को (50 करोड़ रुपए) (v) कोकोनट पाम बीमा योजना के लिए नारियल विकास बोर्ड को (0.10 करोड़ रुपए) और (vi) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्रों को (1 करोड़ रुपए) और (ख) निम्नलिखित को भुगतान के लिए (i) मौसम आधारित फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कृषि बीमा कम्पनी (एआईसी) को (70 करोड़ रुपए), तथा (ii) दावों के संवितरण हेत् राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए साधारण बीमा कम्पनी (जीआईसी)/एआईसी को (525 करोड़ रुपए)।

#### नागर विमानन मंत्रालय

#### 9. नागर विमानन मंत्रालय

हज प्रचालनों की बकाया राशि और हज चार्टरों को देय सेवा कर की बकाया राशि के संबंध में एयर इंडिया को भुगतान (40 करोड़ रुपए) और (ख) वायुपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपए)।

#### technical supplementary grants/ appropriations for Rs. 14,11,751.96 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

This Batch of Supplementary Demands

for Grants includes proposals for

# Technical Supplementary Demands for Grants MINISTRY OF AGRICULTURE

# 1 Department of Agriculture and Cooperation

For (a) For Grants-in-aid to (i) Extension Support to Central Institute of Directorate of Extensions (Rs. 3.27 crore), (ii) National Horticulture Board (Rs. 20 crore), (iii) implementing agencies under Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North-East States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand (Rs. 10 crore), (iv) implementing agencies under Micro-Irrigation (Rs. 50 crore), (v) Coconut Development Board for Coconut Palm Insurance Scheme (Rs. 0.10 crore), and (vi) Union Territories (without legislature) under Rashtriya Krishi Vikas Yojana (Rs. 1 crore) and (b) payment to (i) Agriculture Insurance Company(AIC) for implementation of Weather-based Crop Insurance Scheme (Rs. 70 crore), and (ii) General Insurance Company(GIC)/AIC for implementation of National Agricultural Insurance Scheme for disbursement of claims (Rs. 525 crore).

#### MINISTRY OF CIVIL AVIATION

#### 9 Ministry of Civil Aviation

For (a) payment to Air India (Rs. 40 crore) towards arrears of Haj Operations and arrears of Service Tax due of Haj Charters, and (b) Grants-in-aid (Rs. 2 crore) to Airports Economic Regulatory Authority.

207.25 - 207.25

156.73 31,623.27 31,780.00

201120

17.00

17.00

			(करोड़ रुपए Rupees in Crord आयोजना आयोजना-भिन्न जोड़			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total		
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  13 डाक विभाग  जीडीएस समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर ग्रामीण डाक सेवा (जीडीएस) के तहत कर्मचारियों को वेतन (242 करोड़ रुपए), पेंशन (290 करोड़ रुपए) के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय और अन्य प्रचालनात्मक व्यय (6.57 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY  13 Department of Posts  For meeting additional expenditure towards payment of Salaries (Rs. 242 crore), Pension (Rs. 290 crore) to employees under Grameen Dak Sewa (GDS) on implementation of GDS Committee Report and other operational expenses (Rs. 6.57 crore).	-	436.60	436.60		
मंत्रालय  17 खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग  (क) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 17 Department of Food and Public Distribution (a) For meeting expenses on Central					
गठित केन्द्रीय सतर्कता आयोग संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडार गोदामों के निर्माण हेतु जम्मू और कश्मीर में भूमि	Vigilance Committee constituted as per the direction of Supreme Court of India.  (b) For acquiring land (Rs. 9.68 crore) in Jammu and Kashmir for construction of	-	0.31	0.31		
अधिग्रहण हेतु (9.68 करोड़ रुपए)।	storage godowns by Food Corporation of India.	2.33	-	2.33		
संस्कृति मंत्रालय 19. संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में कार्यालय भवन के निर्माण के संबंध में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को सहायता हेतु।	MINISTRY OF CULTURE  19 Ministry of Culture  For assistance to Archaeological Survey of India towards construction of office building at New Delhi.	11.00	-	11.00		
क्षा मंत्रालय 20. रक्षा मंत्रालय केंटीन स्टोर विभाग द्वारा स्टोरों की खरीद संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (763.44 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF DEFENCE  20 Ministry of Defence For meeting additional expenditure (Rs. 763.44 crore) on procurement of Stores by Canteen Stores Department.					
2. रक्षा सेवाएं - थल सेना न्यायालय डिक्रियों से होने वाले अतिरिक्त व्यय	<b>22 Defence Services - Army</b> For meeting additional expenditure arising	-	486.13	486.13		
की पूर्ति हेतु। 3. रक्षा सेवाएं - नौसेना सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	out of court decree.  23 Defence Services - Navy  For meeting additional expenditure on account on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations	-	1.79	1.79		
24. रक्षा सेवाएं - वायुसेना (i) न्यायालय की डिक्रियों से होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.22 करोड़ रुपए), (ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वायु सेना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (361.98 करोड़ रुपए)।	as accepted by the Government.  24 Defence Services - Air Force For (a) meeting additional expenditure (Rs. 0.22 crore) arising out of Court Decrees, (b) meeting additional expenditure (Rs. 361.98 crore) on account of implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted	-		1,033.32		
25. <b>रक्षा आयुध कारखाने</b> भंडारों और रक्षा सेवाओं को आपूर्ति के लिए।	by the Government.  25 Defence Ordnance Factories For Stores and Supplies to Defence	-	362.20	362.20		
7. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय न्यायालय की डिक्रियों से होने वाले अतिरिक्त	Services.  27 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure arising	-	1,337.57	1,337.57		
व्यय की पूर्ति हेतु।	out of court decrees.	-	65.77	65.77		

	अनुदाना का पूरक नाग,	2009	-2010 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR			(vii)
					रोड़ रुपए Rupees	
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	ा जोड़ Total
	विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर परिवर्तित आश्वासित जीवनवृत्ति प्रगति योजना संबंधी बकाया राशि के भुगतान हेतु (3 करोड़ रुपए)।		MISTRY OF EARTH SCIENCES Ministry of Earth Sciences For payments of arrears (Rs. 3 crore) on account of Modified Assured Career Progression Scheme on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	-	0.37	0.37
	मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (क) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत के कोटे में बढ़ोत्तरी और (ख) आईएमएफ को अनुरक्षण मूल्य के भुगतान के संबंध में प्रतिभूतियों के सृजन हेतु (9240.98 करोड़ रुपए)।		Department of Economic Affairs For creation of securities (Rs. 9,240.98 crore) towards (a) India's quota increase in the International Monetary Fund (IMF), and		0.126.26	0.124.24
33.	वित्तीय सेवा विभाग (क) भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू में अभिदान के एवज में जारी प्रतिभूतियों के मोचन हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान हेतु।	33	<ul> <li>(b) Maintenance of Value payment to IMF.</li> <li>Department of Financial Services</li> <li>(a) For contribution to Securities Redemption Fund for redeeming Securities issued against subscription to the Rights Issue of equity shares of State</li> </ul>	-	9,136.26	9,136.26
	(ख) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (450 करोड़ रुपए), (ii) यूको बैंक (450 करोड़ रुपए) और (iii) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (300 करोड़ रुपए) के इक्विटी निवेश हेतु और विश्व बैंक ऋण के जिरए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत		Bank of India.  (b) For equity investment of (i) Central Bank of India (Rs. 450 crore), (ii) UCO Bank (Rs. 450 crore), (iii) United Bank of India (Rs. 300 crore), and (iv) meeting the capital requirement (Rs. 0.01 crore) of Public	-	625.00	625.00
35	आवश्यकता (0.01 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण (क) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण।	35	Sector Banks through World Bank loan. <b>Transfers to State and Union Territory Governments</b> (a) Transfer to National Calamity	-	69.70	69.70
	(ख) (i) विशेष आयोजना सहायता (1,100 करोड़ रुपए), (ii) पंजाब सरकार (800 करोड़ रुपए), हिरयाणा सरकार (400 करोड़ रुपए), को अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (iii) राष्ट्रीय निवेश निधि एनआईएफ में जमा करने और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरणीय शहरी नवीकरणीय मिशन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु एनआईएफ से समतुल्य राशि आहरण करने के लिए भी (1,922 करोड़ रुपए) तथा (iv) एनआईएफ में जमा करने के लिए तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु एनआईएफ से समतुल्य राशि आहरण करने के लिए नथा करने के लिए भी (2,910 करोड़ रुपए)।		Contingency Fund.  (b) For (i) Special Plan Assistance (Rs. 1,100 crore), (ii) Additional Central Assistance for Other Projects to Government of Punjab (Rs. 800 crore), Government of Haryana (Rs. 400 crore), (iii) crediting National Investment Fund-NIF (Rs. 1,922 crore) and also to draw the same amount from NIF for meeting expenditure on Jawaharlal Nehru National Renewable Urban Renewable Mission (JNNURM) and (iv) crediting NIF (Rs. 2,910 crore) and also to draw the same amount from NIF for meeting expenditure on Accelerated Irrigation Benefit Programme.	6,232.00	660.00	660.00 6,232.00
37	(ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु। विनियोग-ऋण की वापसी अदायगी (क) निम्नलिखित के उन्मोचन के संबंध में (i) 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां (1,30,001 करोड़ रुपए), (ii) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां (2,516 करोड़ रुपए), (iii) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडिया (13,52,649 करोड़ रुपए), (iv) सामान्य बाजार उधारों के तहत 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां (5,599 करोड़ रुपए), (v) बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत दिनांकित प्रतिभूतियां (33,000 करोड़ रुपए),	37	(c) For Additional Central Assistance for Externally Aided Project.  Appropriation-Repayment of Debt  (a) Towards discharge of (i) 91 day Treasury Bills (Rs. 1,30,001 crore), (ii) 182 day Treasury Bills (Rs. 2,516 crore), (iii) 14 day Treasury Bills (Rs. 13,52,649 crore), (iv) 364 day Treasury Bills (Rs. 5,599 crore) under normal market borrowings, (v) Dated Securities under Market Stabilisation Scheme (Rs. 33,000 crore), (vi)	800.00	-	800.00

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(vi) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-वित्तीय लेन-देन आयोजना-भारतीय रिजर्व बैंक को पारिश्रमिक का हिस्सा (39.89 करोड़ रुपए), (vii) अंतरराष्ट्रीय विकास एजेन्सी (0.01 करोड़ रुपए), (viii) अफ्रीकी विकास निधि (9.80 करोड़ रुपए), (ix) 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1987 (1.05 करोड़ रुपए), (x) 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1993 (0.34 करोड़ रुपए), (xi) 8.5 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 2001 (1.23 करोड़ रुपए), और (xii) 8 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 2002 (40.96 करोड़ रुपए)। (ख) विदेशी ऋण की वापसी अदायगी के संबंध में। राजस्व विभाग (क) मादक पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि को सहायता अनुदान संबंधी व्यय (1.81 करोड़ रुपए) और केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की स्थापना संबंधी व्यय (2.30 करोड़ रुपए) तथा (ख) केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने (2465.68 करोड़ रुपए) और मूल्य वर्धित कर (402 करोड़ रुपए) के कार्यान्वयन के कारण राज्य सरकारों को हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी अतिरिक्त	International Monetory Fund-Financial Transaction Plan - share of remuneration to RBI (Rs. 39.89 crore), (vii) International Development Agency (Rs. 0.01 crore), (viii) African Development Fund (Rs. 9.80 crore), (ix) 9% Relief Bond, 1987 (Rs. 1.05 crore), (x) 9% Relief Bond, 1993 (Rs. 0.34 crore), (xi) 8.5% Relief Bond, 2001 (Rs. 1.23 crore), and (xii) 8% Relief Bond, 2002 (Rs. 40.96 crore). (b) Towards repayment of external debt.  41 Department of Revenue  For meeting (a) (i) Grants-in-aid expenditure (Rs. 1.81 crore) to National Fund for Control of Drug Abuse, (ii) establishment related expenditure (Rs. 2.30 crore) of Central Bureau of Narcotics, and (b) additional requirement for compensation to State Governments for revenue loss due to phasing out of Central Sales Tax (Rs. 2,465.68 crore)	-	13,67,165.21 13 196.65	,67,165.2 196.65
आवश्यकता की पूर्ति हेतु। (ख) विदेशी ऋण की वापसी अदायगी के संबंध में। 13. अप्रत्यक्ष कर केन्द्रीय उत्पाद कार्यालयों के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (37 करोड़ रुपए)।	<ul> <li>and implementation of Value Added Tax (Rs. 402 crore).</li> <li>43 Indirect Taxes For meeting additional expenditure (Rs. 37 crore) towards salaries of Central Excise Offices.</li> </ul>	-	16.94 22.77	16.9 <sup>2</sup> 22.7
49. भारी उद्योग विभाग  निम्नलिखित संबंधी लेखा समायोजन हेतु (क) इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा संबंधी बकाया भारत सरकार ऋण को बहे खाते डालना (246.10 करोड़ रुपए) और ब्याज माफी (258.26 करोड़ रुपए), (ख) नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड संबंधी बकाया भारत सरकार ऋण (2.01 करोड़ रुपए) को बहेखाते डालना और ब्याज माफी (0.35 करोड़ रुपए), (ग) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, जो भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी है, संबंधी बकाया भारत सरकार ऋण (1.67 करोड़ रुपए) को बहे-खाते डालना और इक्विटी (3.33 करोड़ रुपए) को कम करके लिखना, (घ) हेवी-इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (2.53 करोड़ रुपए) और एचएमटी लिमिटेड (1.22 करोड़ रुपए) के गांरटी शुल्क की माफी और (ड) हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड को सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES  49 Department of Heavy Industry For carrying out accounting adjustment relating to (a) Write off of outstanding Government of India loan (Rs. 246.10 crore) and waiver of interest (Rs. 258.26 crore) relating to Instrumentation Limited, Kota, (b) write off of outstanding Government of India loan (Rs. 2.01 crore) and waiver of interest (Rs. 0.35 crore) in respect of National Instruments Limited, (c) Write off of outstanding Government of India loan (Rs. 1.67 crore) and write down of equity (Rs. 3.33 crore) in respect of Bharat Wagon and Engineering Company Limited, a subsidiary of Bharat Bhari Udyog Nigam Limited, (d) waiver of guarantee fee in respect of Heavy Engineering Corporation Limited (Rs. 2.53 crore) and HMT Limited (Rs. 1.22 crore) and (e) grants-in-aid (Rs.1 crore) to Hindustan Salts Limited.	-	515.47	515.47
गृह मंत्रालय 53. पुलिस निम्नलिखित के लिए (क) सीमा सुरक्षा बल-बीएसएफ के वेतन (115.85 करोड़ रुपए), केन्द्रीय औद्योगिक सरक्षा बल-सीआर्टएसएफ (141.07 करोड़ रुपए)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS  53 Police For (a) Salaries of Border Security Force-BSF (Rs. 115.85 crore), Central Industrial Security Force-CISF (Rs. 141.07 crore)			

Security Force-CISF (Rs. 141.07 crore),

सुरक्षा बल-सीआईएसएफ (141.07 करोड़ रुपए),

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना आयोजना-भिन्न जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Non Plan Grant No. & title and description of items Plan **Total** असम राइफल्स-एआर (130 करोड़ रुपए), भारत-Assam Rifles-AR (Rs. 130 crore), Indo तिब्बत सीमा पुलिस-आईटीबीपी (125.40 करोड़ रुपए), Tibetan Border Police-ITBP (Rs. 125.40 केन्द्रीय रिजर्व सुरक्षा बल-सीआरपीएफ (80.13 करोड़ crore), Central Reserve Protection Force-रुपए), (ख) एआर का चिकित्सा उपचार (1.02 करोड़ CRPF (Rs. 80.13 crore), (b) Medical रुपए): आईटीबीपी (2.49 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय अपराध Treatment of AR (Rs. 1.02 crore), ITBP रिकॉर्ड ब्यूरो (0.03 करोड़ रुपए) और दिल्ली पुलिस-(Rs. 2.49 crore), National Crime Records डीपी (11 करोड़ रुपए), (ग) सीआरपीएफ का घरेलू Bureau (Rs. 0.03 crore) and Delhi Police-यात्रा व्यय (50 करोड़ रुपए), (घ) सीआरपीएफ के DP (Rs. 11 crore), (c) Domestic Travel राशन की लागत (23.74 करोड़ रुपए), (ड) एआर Expenses of CRPF (Rs. 50 crore), (d) Cost का किराया, दरें और कर (0.17 करोड़ रुपए), आईटीबीपी of Ration of CRPF (Rs. 23.74 crore), (e) (0.49 करोड़ रुपए), सीआईएसएफ (0.63 करोड़ Rent, Rates and Taxes of AR (Rs. 0.17 रुपए) और डीपी (4.45 करोड़ रुपए), (च) सीआरपीएफ crore), ITBP (Rs. 0.49 crore), CISF (Rs. 0.63 का विज्ञापन और प्रचार (1.88 करोड़ रुपए), बीएसएफ crore) and DP (Rs. 4.45 crore), (f) (0.76 करोड़ रुपए), आईटीबीपी (0.50 करोड़ रुपए), Advertising and Publicity of CRPF (Rs. 1.88 एनएसजी (0.15 करोड़ रुपए) और डीपी (4 करोड़ crore), BSF (Rs. 0.76 crore), ITBP (Rs. 0.50 रुपए) और (छ) एआर (7.89 करोड़ रुपए) बीएसएफ crore), NSG (Rs. 0.15 crore) and DP (Rs. 4 (25 करोड़ रुपए), आईटीबीपी (27.89 करोड़ रुपए), crore), and (g) Other Charges of AR एनएसजी (2 करोड़ रुपए) सीआईएसएफ (1.17 (Rs. 7.89 crore), BSF (Rs. 25 crore), ITBP करोड़ रुपए) और डीपी (15.18 करोड़ रुपए) के (Rs. 27.89 crore), NSG (Rs. 2 crore), CISF अन्य प्रभार। (Rs. 1.17 crore) and DP (Rs. 15.18 crore). 592.45 592.45 मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग 57 Department of School Education and Literacy (क) निम्नलिखित को सहायता अनुदान के लिए For (a) Grants-in-aid to (i) the implementing (i) 'सर्वशिक्षा अभियान' योजना के तहत अतिरिक्त societies to meet the additional expenditure व्यय (1065.90 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेत्। (ii) (Rs. 1,065.90 crore) under the scheme 'Sarva 'स्कुलों में मध्याह्न भोजन का 'राष्ट्रीय कार्यक्रम' Shiksha Abhiyan', (ii) meet the additional योजना के तहत खाद्यान्नों की लागत संबंधी अतिरिक्त expenditure (Rs. 705.10 crore) on cost of food व्यय (705.10 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु (iii) grains under the scheme 'National महिला समाख्या सोसाइटी (4 करोड़ रुपए), (iv) Programme of Mid Day Meals in Schools', केन्द्रीय विद्यालय संगठन (36 करोड़ रुपए), (v) (iii) Mahila Samakhya Societies (Rs. 4 crore), 'अभिगम और साम्या' योजना के तहत आठ स्वैच्छिक (iv) Kendriya Vidyalaya Sanghathan (Rs. 36 संगठनों को (0.51 करोड़ रुपए), तथा (ख) (i) crore), (v) eight voluntary organisations (Rs. 'प्रौढ़ शिक्षा और दक्षता विकास योजना के तहत 0.51 crore) under the scheme 'Access & व्यय (30 करोड़ रुपए) और (ii) 'राष्ट्रीय साधन Equity' and (b) (i) expenditure (Rs. 30 crore) सह योग्यता छात्रवृत्ति' योजना के तहत व्यय (3 under the scheme 'Adult Education and Skill करोड़ रुपए)। Development' and (ii) expenditure (Rs. 3 crore) under the 'National Means-cum-merit Scholarship' scheme. 1,771.00 1,771.00 पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND **NATURAL GAS** 72 पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय Ministry of Petroleum and Natural Gas इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. द्वारा जारी बोनस For additional equity investment in the bonus शेयरों में अतिरिक्त इक्विटी निवेश के लिए। shares issued by Indian Oil Corporation Limited. 958.08 958.08 विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 74 विद्युत मंत्रालय 74 Ministry of Power (क) राष्ट्रीय निवेश निधि एनआईएफ में 3,100 For (a) crediting Rs. 3,100 crore to the करोड़ रुपए जमा करने और साथ ही ग्रामीण National Investment Fund-NIF and also to विद्युतीकरण-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना draw the same from NIF for meeting के लिए सब्सिडी संबंधी व्यय की पूर्ति हेतू एनआईएफ expenditure on subsidy for Rural से समतुल्य राशि के लिए, (ख) 58 करोड़ रुपए Electrification-Rajiv Gandhi Grameen

Vidyutikaran Yojana, (b) crediting Rs. 58

crore to the NIF and also to draw the same

एनआईएफ में जमा करने और साथ ही पुनर्सरचित

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम संबंधी व्यय की

		(कर	गेड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पूर्ति के लिए एनआईएफ से समतुल्य राशि के आहरण के लिए। (ग) एनटीपीसी लिमिटेड को आवंटित कोयले के ब्लॉको के संबंध में कोयला धारित क्षेत्रों में अधिगृहित भूमि की क्षतिपूर्ति (27 करोड़ रुपए) के संवितरण के लिए।	amount from NIF for meeting expenditure on Restructured-Accelerated Power Development Programme, and (c) disbursement of compensation (Rs. 27 crore) of land acquired under Coal Bearing Areas in respect of coal blocks allotted to NTPC Limited.	3,185.00	- 3	3,185.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
(क) राष्ट्रीय निवेश निधि -एनआईएफ में जमा करने के लिए (5,280 करोड़ रुपए) और साथ ही ग्रामीण आवास के तहत इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए एनआईएफ से समतुल्य राशि के आहरण के लिए और (ii) आईएवाई के तहत विज्ञापन और प्रचार संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए पूर्ति के लिए (3 करोड़ रुपए)।	80 Department of Rural Development  (a) For (i) crediting to the National Investment Fund-NIF (Rs. 5,280 crore) and also draw same amount from NIF for meeting the expenditure on Indira Awaas Yojana (IAY) under Rural Housing and (ii) meeting the additional expenditure (Rs. 3 crore) of Advertising and Publicity under IAY.	3,972.00	- 3	3,972.00
(ख) राष्ट्रीय निवेश निधि-एनआईएफ में अंतरण के लिए (11,730 करोड़ रुपए) और साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनआरईजीएस) के लिए सहायता के संबंध में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि जमा करने हेतु एनआईएफ से समतुल्य राशि के आहरण के लिए और (ii) विज्ञापन और प्रचार संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (3 करोड़ रुपए)।	(b) For (i) transferring to the National Investment Fund-NIF (Rs. 11,730 crore) and also draw same amount from NIF for crediting National Employment Guarantee Fund towards assistance for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MNREGS), and (ii) meeting the additional expenditure (Rs. 3 crore) of	5,5 , 2,100		,,,,
(ग) स्वर्ण जयंती ग्राम, स्वरोजगार योजना के तहत जसोला, दिल्ली में विपणन परिसर सरस हाट के निर्माण संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	Advertising and Publicity.  (c) For meeting the additional requirement on construction of marketing complex - SARAS Haat at Jasola, Delhi under Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana.	11,730.00	- 11 -	,730.00 6.04
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND			
88 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत सहायता अनुदान (25 करोड़ रुपए) हेतु।	EMPOWERMENT  88 Ministry of Social Justice and Empowerment  For Grants-in-aid (Rs. 25 crore) under the scheme of Rajiv Gandhi National Fellowship for Scheduled Caste.	5.00	-	5.00
कपड़ा मंत्रालय  92 कपड़ा मंत्रालय बुनकर सेवा केन्द्र/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की अवसंरचना संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF TEXTILES  92 Ministry of Textiles  For meeting additional requirement on Infrastructure for Weavers' Service Centre/ Indian Institutes of Handloom Technology.	4.00	-	4.00
पर्यटन मंत्रालय  93 पर्यटन मंत्रालय  अजन्ता और एलोरा की जेआईसीए सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं को भुगतान हेतु बौद्ध केन्द्रों (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित) संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF TOURISM  93 Ministry of Tourism  For meeting the expenditure under Buddhist Centres (including Externally Aided Projects) for payment to Consultants for JICA aided projects for Ajanta and			
<del>.</del>	Ellora.	1.00	-	1.00

		(क <sup>,</sup>	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURES)			
95 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व ब हेतु।	Ministries/Departments.	39.70	30.02	69.72
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व ब हेतु।	<b>96 Chandigarh</b> For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	-	16.00	16.00
7 दादरा और नगर हवेली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और में लिमिटेड को लम्बित भुगतान जारी करने हेतु।	97 Dadra and Nagar Haveli ল For release of pending payment to Power Grid Corporation of India and BHEL			
98 दमन एवं दीव सरकारी पोलिटेक्निक और शिक्षा भवन आदि	Limited.  98 Daman and Diu  For construction of Polytechnic Workshop,	23.00	-	23.00
पोलिटेक्निक वर्कशॉप और सूचना प्रौद्योगिक भव के निर्माण हेतु।	building at Government Polytechnic and Education buildings, etc.	1.00	-	1.00
99 लक्षद्वीप (क) जिला पंचायतों के तहत नियमित शिक्षा के वेतन भुगतान (8.40 करोड़ रुपए) और (र पवन हंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को उड़ान प्रभ (3.60 करोड़ रुपए) के संबंध में व्यय हेतु।	salaries to the regular teachers under District	-	7.06	7.06
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
100 शहरी विकास विभाग (क) राष्ट्रपति भवन में सामान्य मरम्मत कार्य संबं व्यय के लिए (4.25 करोड़ रुपए) और ( स्थानीय नगर पालिका निकायों को ली प्रभारों के भुगतान के लिए (1.80 करें	ii) repairs at Rashtrapathi Bhawan আ (Rs. 4.25 crore) and (ii) payment of			
रुपए के लिए)। (ख) श्रम एवं रोजगार के तहत सरकारी भवन निर्माण संबंधी अतिरिक्त व्यय हेतु।	(Rs. 1.80 crore). के (b) For additional expenditure for construction of Government Building	-	6.05	6.05
101 लोक निर्माण कार्य निम्नलिखित सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय हेतु (व वेतन (1.09 करोड़ रुपए); (ख) व्यावसायिक प्रभ (0.40 करोड़ रुपए) और (ग) केन्द्रीय लोक निम विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अन्य प्रभ	(Rs. 1.09 crore), (b) Professional charges ण (Rs. 0.40 crore) and (c) Other Charges	1.38	-	1.38
(0.05 करोड़ रुपए)।	Central Public Works Department.	1.54	-	1.54
जोड़ सांकेतिक	Total Technical	27,993.24	13,83,758.72 14,	,11,751.96
5. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में 1 लाख रु प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्ताित है, उनके समाने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति संग् अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग में उपल बचतों, जैसा भी मामला है, के पुनर्विनियोग से व जाएगी।	also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation			
अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें	<b>Token Supplementary Demands for Grants</b>			
कृषि मंत्रालय 2.    कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	MINISTRY OF AGRICULTURE  2 Department of Agricultural Research and Education			

**Education** 

(a) For Grants-in-aid to Indian Council of

Agricultural Research under (i)

(क) (i) बागवानी (8 करोड़ रुपए) और (ii) राष्ट्रीय

कृषि नवाचार परियोजना (21.23 करोड़ रुपए)

					(करोड़ रुपए Rupee.		
अनुद	ान संख्या	और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant	No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	सह (ख) (i)	तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को यता अनुदान हेतु। बागवानी (4.20 करोड़ रुपए) और	(b)	Horticulture (Rs. 8 crore) and (ii) National Agricultural Innovation Project (Rs. 21.23 crore). For Grants-in-aid to Indian Council of	29.23	-	29.23
	कृषि हेतु (ग) कृषि	त्स्यकी (४ करोड़ रुपए) के तहत भारतीय वे अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान । वे विस्तार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान षद को सहायता अनुदान हेतु।	(c)	Agricultural Research under (i) Horticulture (Rs. 4.20 crore) and (ii) Fisheries (Rs. 4 crore). For Grants-in-aid to Indian Council of	-	8.20	8.20
3.		, डेयरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग	3 De	Agricultural Research under Agricultural Extension.  partment of Animal Husbandry,	21.00	-	21.00
	करो विक बेंच	ट्रीय पशु और भैंस प्रजनन परियोजना (5 इ रुपए) (ii) "ग्रामीण बैकयार्ड पोल्ट्री जस" (0.25 करोड़ रुपए) और (iii) "पोल्ट्री र केपिटल फंड" (6 करोड़ रुपए) की तनाओं को सहायता अनुदान हेत्।	Da	For Grants-in-aid to the schemes of (i) "National Project on Cattle and Buffalo Breeding" (Rs. 5 crore), (ii) "Rural Backyard Poultry Development" (Rs. 0.25 crore) and (iii) "Poultry			
	(ख) "गह	नाजा यम राहायसा जनुवन हतु। इन डेयरी विकास कार्यक्रम" योजना को ।यता अनुदान।	(b)	Venture Capital Fund" (Rs. 6 crore). For Grants-in-aid to the scheme of "Intensive Dairy Development	11.25	-	11.25
	(ग) को र	स्टल एक्वाकल्चर ऑथारिटी को अपने थापन सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु सहायता	(c)	Programme". For Grants-in-aid to Coastal Aquaculture Authority for meeting its	3.00	-	3.00
	(घ) निम् अनु (2.: कार एस्टे (iv)	दान। निलखित की योजनाओं को सहायता दान हेतु। (i) सहकारिताओं को सहायता 20 करोड़ रुपए) (ii) गहन डेयरी विकास र्यक्रम (1.50 करोड़ रुपए) (iii) पोल्ट्री टेट संस्थापना" (1.80 करोड़ रुपए) और क्षेत्रीय बीमारी निदान प्रयोगशाला (0.19	(d)	establishment related expenditure. For Grants-in-aid to the schemes of (i) "Assistance to Cooperatives" (Rs. 2.20 crore), (ii) "Intensive Dairy Development Programme" (Rs. 1.50 crore), (iii) "Establishment of Poultry Estates" (Rs. 1.80 crore) and (iv) Regional Disease Diagnostic Laboratory (Rs. 0.19 crore).	5.69	0.65	0.65 5.69
	ाणु ऊर्जा			RTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4.	हेतु रिस सेन्ट	कजा निलखित को अतिरिक्त सहायता अनुदान (i) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल र्च (2.50 करोड़ रुपए) (ii) टाटा मेमोरियल टर (7 करोड़ रुपए) और (iii) इन्स्टीट्यूट 5 मेथेमेटिककल सांइसेज (2 करोड़ रुपए)।		For additional grants-in-aid to (i) Tata Institute of Fundamental Research (Rs. 2.50 crore), (ii) Tata Memorial Centre (Rs. 7 crore) and (iii) Institute of Mathematical Sciences (Rs. 2 crore).	11.50	_	11.50
	(ख) भाभ में वि के र	ा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के तहत 'चित्रदुर्गा वेशेष सामग्री पृथक्करण सुविधा के निर्माण सम्बन्ध में प्रारम्भिक अवसंरचना की स्थापना' योजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b)	For meeting additional expenditure on the project 'Setting up Preliminary Infrastructure towards Construction of Special Material Separation Facility at Chitradurga' under Bhabha Atomic			
	की के f (लें अनु यूटि (ii) हेतु एन ओए	निलिखित परियोजनाओं के अतिरिक्त व्यय पूर्ति हेतु (i) 'एडीएस ड्राइवर के फ्रंट एंड लेए लो एनर्जी इंटेसिटि प्रोटोन एक्सीलरेटर हेपा) का विकास तथा 'भाभा परमाणु संधान केन्द्र के तहत विद्युत और मेकेनिकल लिटीज का उन्नयन (10.04 करोड़ रुपए) एलीस (एएलआईसीई) प्रयोगात्मक डाटा ग्रिड कम्प्यूटिंग फेसिलिटी और बेरिएबल जी साइक्लोट्रीन प्रोजेक्ट के तहत अपने एंडएम एलीस ग्रिड टायर-2 केन्द्र (0.40 इं रुपए) और (iii) परमाणु उर्जा विभाग	(c)	Research Centre. For meeting additional expenditure for the projects (i) 'Development of Low Energy Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) for front-end of ADS driver' & 'Upgradation of Electrical and Mechanical Utilities under Bhabha Atomic Research Centre (Rs. 10.04 crore), (ii) Grid Computing facility for ALICE experimental data and its O&M-ALICE GRID Tier-2 Centre under Variable Energy Cyclotron Project	19.15	-	19.15

			गेड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	Non Plan	जोड़ Total
परियोजनाओं के तहत एनुट-।। और इन्ट्रा डीएई ग्रिड नेटवर्क (0.41 करोड़ रुपए)।	(Rs. 0.40 crore) and (iii) Anunet-II and Intra DAE Grid Network under DAE Projects (Rs. 0.41 crore).	10.85	-	10.85
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
(क) निम्नलिखित हेतु (i) विशेष उद्देश्य चाय निधि के तहत टी बोर्ड की सब्सिडी व्यय की पूर्ति (1 करोड़ रुपए) और (ii) कॉफी बोर्ड (2.49 करोड़ रुपए) और रबर बोर्ड (5 करोड़ रुपए) को वेतन और पेंशन पर सहायता अनुदान।  (ख) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को परिवहन सहायता योजना के तहत निर्यातकों के दावों के भुगतान हेतु।	<ul> <li>11 Department of Commerce <ul> <li>(a) For (i) meeting subsidy expenditure of Tea Board under Special Purpose Tea Fund (Rs. 1 crore) and (ii) Grants-inaid on account of Salaries and Pensions to Coffee Board (Rs. 2.49 crore) and Rubber Board (Rs. 5 crore).</li> <li>(b) For payment of claims of the exporters under Transport Assistance Scheme to Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority.</li> </ul> </li> </ul>	8.49 24.00	-	8.49
12 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम के तहत सहायता अनुदान हेतु।	12 Department of Industrial Policy and Promotion  For Grants-in-aid under Indian Leather Development Programme.	40.00	<del>-</del>	40.00
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय  13. डाक विभाग  पुराने वाहनों की प्रतिस्थापना पर अतिरिक्त व्यय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY  13 Department of Posts For meeting additional expenditure on			
की पूर्ति।  15. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  (क) कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए चालू अनुसंधान और विकास परियोजनाएं और अनुमोदित पहलों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) मानव शक्ति विकास (8 करोड़ रुपए) और (ii) उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र (5 करोड़ रुपए)।	account of replacement of old vehicles.  15 Department of Information Technology  (a) For meeting additional expenditure on ongoing R&D projects and new initiatives approved for the benefit of North Eastern Region and Sikkim under the programmes (i) Manpower Development (Rs. 8 crore) and (ii) Centre for Development of Advanced Computing (Rs. 5 crore).	13.00	4.00	4.00
(ख) निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) भारतीय भाषा तकनीकी विकास (3 करोड़ रुपए) (ii) मानवशक्ति विकास (14 करोड़ रुपए) (iii) एप्लाइट माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक इंजिनियरिंग एंड रिसर्च सोसाइटी (8 करोड़ रुपए) (iv) इलेक्ट्रानिक्स कम्पोनेंट एंड मटीरियल डवलपमेंट काउंसिल (5.50 करोड़ रुपए) (v) माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स और नेनो-टेक्नॉलॉजी विकास (44.50 करोड़ रुपए) और (vi) उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र (12 करोड़ रुपए) और (vi) प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (1.80 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting additional expenditure under the programmes (i) Technology Development for Indian Languages (Rs. 3 crore), (ii) Manpower Development (Rs. 14 crore), (iii) Society for Applied Microwave Electronic Engineering and Research (Rs. 8 crore), (iv) Electronics Components and Material Development Council (Rs. 5.50 crore), (v) Microelectronics and Nano-technology Development (Rs. 44.50 crore), and (vi) Centre for Development of Advanced Computing (Rs. 12 crore), and (vi) Technology Development Council (Rs. 1.80 crore).	88.80		88.80
_	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,	00.00		30.00
मंत्रालय	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION  16 Department of Congument Affairs			

16 Department of Consumer Affairs

For meeting additional expenditure on

16. उभोक्ता मामले विभाग

पीईसी लिमि. द्वारा दालों के आयात पर घाटों की

			रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सब्सिडी पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। 17. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम।	subsidies towards reimbursement of loss on import of pulses by PEC Limited.  17 Department of Food and Public Distribution  For Ways and Means Advances to Food Corporation of India towards Targeted Public Distribution System.	-	27.27	27.27
संस्कृति मंत्रालय 19. संस्कृति मंत्रालय कला और संस्कृति से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं और योजनाओं को सहायता अनुदान हेतु।	MINISTRY OF CULTURE  19 Ministry of Culture For Grants-in-aid to various institutions and schemes relating to Art and Culture.	25.93	6.41	32.34
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  "अरूणाचल प्रदेश में खुप्पी से तवांग तक 132 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसविशन लाइन" योजना के तहत व्यय हेतु।	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION  28 Ministry of Development of North Eastern Region For expenditure under the scheme "132 KV single circuit transmission line from Khuppi to Tawang in Arunachal Pradesh".	35.00	-	35.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  28. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  (क) 'पोलीमेटोलिक नोड्यूल्स कार्यक्रम' योजना के तहत सहायता अनुदान हेतु।  (ख) हवाई अड्डों पर मिटिओरोलोजीकल कार्यालयों में प्रचालन उद्देश्यों के लिए मोटर वाहनों की खरीद पर व्यय हेतु।	MINISTRY OF EARTH SCIENCES  29 Ministry of Earth Sciences  (a) For Grants-in-aid under the scheme 'Polymetallic Nodules Programme'.  (b) For expenditure on procurement of motor vehicles for operational purposes in Meteorological Offices at Airports.	0.06	1.00	0.06
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
(क) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (1 करोड़ रुपए) (ii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (0.42 करोड़ रुपए) (iii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (20 करोड़ रुपए) (iv) भारतीय वच्च जीव संस्थान (2.80 करोड़ रुपए), (v) नेशनल टाइगर कन्जरवेशन ऑथोरिटी (4.82 करोड़ रुपए) और (vi) विश्व बैंक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीवन विकास (0.10 करोड़ रुपए)।  (ख) राष्ट्रीय वनीकरण और इको-विकासबोर्ड को सहायता अनुदान हेतु।  (ग) संस्थापन संबंधी व्यय और बैठकों, संगोष्टियों, सम्मेलनों आदि पर व्यय के लिए जैव विविधता संरक्षण को सहायता अनुदान हेतु।	<ul> <li>Ministry of Environment and Forests</li> <li>(a) For Grants-in-aid to (i) Indian Institute of Forestry Management (Rs. 1 crore), (ii) Indian Plywood Industries Research Institute (Rs. 0.42 crore), (iii) Indian Council of Forestry Research and Education (Rs. 20 crore), (iv) Wildlife Institute of India (Rs. 2.80 crore), (v) National Tiger Conservation Authority (Rs. 4.82 crore) and (vi) Bio-diversity Conservation and Rural Livelihood (Rs. 0.10 crore) for implementation of World Bank Project.</li> <li>(b) For Grants-in-aid to National Afforestation and Eco-Development Board.</li> <li>(c) For Grants-in-aid to Biodiversity Conservation for establishment related</li> </ul>	29.14 10.00	-	29.14
संरक्षण का सहायता अनुदान हतु। वेदेश मंत्रालय 31. विदेश मंत्रालय आईसीडब्ल्यूए (2.60 करोड़ रुपए), आरआईएस	expenditure and expenses on meetings, seminars, conferences, etc.  MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  31 Ministry of External Affairs  To enhance Grants-in-aid to ICWA (Rs. 2.60	0.35	-	0.3

					ोड़ रुपए Rupees	
अनुदान	संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gra	nt No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	रोड़ रुपए) और यूएन पीसकीपिंग फोर्स (0.18 रोड़ रुपए) को सहायता अनुदान बढ़ाने के लिए।		(Rs. 0.09 crore) and UN Peace Keeping Force (Rs. 0.18 crore).	-	3.72	3.72
<b>32. आ</b> ਏਕ क ਗ	वित्त मंत्रालय 32. आर्थिक कार्य विभाग रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों (157.01 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में (ख) स्ट्रेटजिक रेलवे लाइनों के प्रचालन पर हुए घाटों की प्रतिपूर्ति (54.48 करोड़ रुपए)।		Department of Economic Affairs For providing additional subsidies to Railways (a) towards dividend relief and other concessions (Rs. 157.01 crore), and (b) reimbursement of losses on operating Strategic Railway Lines (Rs. 54.48 crore).	-	211.49	211.49
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			VISTRY OF FOOD PROCESSING			
<b>45. ख</b> (ਰ	ाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  5) भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान थंजावुर, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड और भारतीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड के आधुनिकीकरण पर व्यय की पूर्ति हेतु।	45	INDUSTRIES  Ministry of Food Processing Industries  (a) For meeting the expenditure on modernisation of Indian Institute of Crop Processing Technology at Thanjavur, Indian Grape Processing Board and Indian Meat and Poultry			
(ख	व) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु।		Processing Board. (b) For meeting the committed liabilities under the scheme of Technology Upgradation/Modernisation of Food	20.70	-	20.70
(ग्	) पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बन्धित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु।		Processing Industries.  (c) For meeting the committed liabilities under the scheme of Technology Upgradation/Modernisation of Food Processing Industries relating to North	9.98	-	9.98
<b>ज्ञा</b> ज्ञ्ज	और परिवार कल्याण मंत्रालय	MIN	Eastern Areas.  IISTRY OF HEALTH AND FAMILY	8.16	-	8.16
			WELFARE			
<b>46. स्व</b>	ास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  5) निम्नलिखित को सहायता अनुदान हेतु (i) अॉल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज को (1.58 करोड़ रुपए), (ii) विभिन्न राज्य मलेरिया नियंत्रण सोसायटियों को अतिरिक्त सहायता (41.72 करोड़ रुपए) हेतु (iii) 'एकीकृत बिमारी निगरानी परियोजना' योजना के तहत विभिन्न राज्य		Department of Health and Family Welfare  (a) For Grants-in-aid (i) to All India Institute of Medical Sciences (Rs. 1.58 crore), (ii) for additional assistance to various State Malaria Control Societies (Rs. 41.72 crore) and (iii) to various State Societies under the scheme 'Integrated Disease Surveillance			
(હ	सोसायटीयों को (4.34 करोड़ रुपए)। ब) 'राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम' योजना के तहत अतिरिक्त सहायता हेतु।		Project' (Rs. 4.34 crore). (b) For additional assistance under the scheme 'National TB Control	47.64	-	47.64
(ग्	(i) पुनर्जत्पादन और बाल स्वास्थ्य परियोजना' (50 करोड़ रुपए) और (ii) पल्स पोलियो प्रतिस्क्षण कार्यक्रम (30.62 करोड़ रुपए) की योजना के तहत दवा और उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान		Programme'.  (c) For providing additional assistance for procurement of drugs and equipments under the scheme of (i) 'Reproductive and Child Health Project' (Rs. 50 crore) and (ii) 'Pulse Polio Immunisation	-	20.00	20.00
(घ	करने हेतु।  i) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान शिलांग (6 करोड़ रुपए) और (ii) क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान		Programme' (Rs. 30.62 crore).  (d) For Grants-in-aid to (i) North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (Rs. 6 crore) and (ii) Regional Institute	-	80.62	80.62
	इम्फाल (30.97 करोड़ रूपए)।		of Medical Sciences, Imphal (Rs. 30.97 crore).	36.97	-	36.97

				( <del>क</del>	रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान सं	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ঙ্ক)	निम्नलिखति के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति हेतु (i) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना		(e) For meeting expenditure towards (i) Central Government Health Scheme	- 49944	A TOPA A BARR	
	को औषधालयों की स्थापना हेतु (5 करोड़		for setting up dispensaries (Rs. 5			
	रुपए) (ii) सफदरजंग अस्पताल (10 करोड़		crore), (ii) Safdarjung Hospital (Rs. 10			
	रुपए) (iii) केन्द्रीय मनोचिकित्सा विज्ञान		crore), (iii) Central Institute of			
	संस्थान रांची (4.96 करोड़ रुपए) (iv)		Psychiatry, Ranchi (Rs. 4.96 crore),			
	लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज और श्रीमती		(iv) Lady Hardinge Medical College			
	एस.के. होस्पिटल नई दिल्ली (3.50 करोड़		and Smt. S.K. Hospital, New Delhi			
	रुपए) और (v) कलावती सारन चिल्ड्रन		(Rs. 3.50 crore) and (v) Kalawati Saran			
	हॉस्पिटल नई दिल्ली (1.40 करोड़ रुपए)।		Children Hospital, New Delhi (Rs.	24.96		24.96
(च)	(i)केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची (4.45		<ul><li>1.40 crore).</li><li>(f) For meeting additional construction</li></ul>	24.86	-	24.86
(4)	करोड़ रुपए) और (ii) कलावती सारन चिल्ड्रन		work related expenditure in (i) Central			
	हॉस्पिटल (0.50 करोड़ रुपए आदि) में		Institute of Psychiatry, Ranchi (Rs. 4.45			
	निर्माण कार्य संबंधी अतिरिक्त व्यय की		crore) and (ii) Kalawati Saran Children			
	पूर्ति हेतु।		Hospital (Rs. 0.50 crore).	4.95	-	4.95
<b>47</b> . आयु	र्वेद,योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी	47	Department of Ayurveda, Yoga &			
सिद्ध	ा और होम्योपैथी (आयुष) विभाग		Naturopathy, Unani, Siddha and			
			Homoeopathy (AYUSH)			
(क)	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के तहत विभिन्न		(a) For Grants-in-aid towards various			
	योजनाओं के सम्बन्ध में सहायता अनुदान		schemes under Medical and Public	76.04		76.04
(ख)	हेतु। निम्नलिखित योजनाओं के तहत सहायता		Health. (b) For Grants-in-aid under the schemes of	76.84	-	76.84
(ಆ)	अनुदान (i) राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड की		(i) 'Setting up of National Board for			
	स्थापना (३ करोड़ रुपए) (ii) आयुष अस्पताल		Medicinal Plant' (Rs. 3 crore), (ii)			
	(4.50 करोड़ रुपए) और (iii) औषधीय		'AYUSH Hospitals' (Rs. 4.50 crore)			
	पौधा राष्ट्रीय मिशन (2 करोड़ रुपए)।		and (iii) 'National Mission on			
			Medicinal Plants' (Rs. 2 crore).	9.50	-	9.50
भारी उद्यो	ग और लोक उद्यम मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND			
40 000	उद्योग विभाग	40	PUBLIC ENTERPRISES			
	निम्नलिखित हेतु (i) 3.5 प्रतिशत उन्मोचन	49	<b>Department of Heavy Industry</b> <ul><li>(a) For (i) Investment in Instrumentation</li></ul>			
(47)	योग्य वरीयता शेयरों के सम्बन्ध में		Limited, Kota (Rs. 5 crore) towards			
	इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कोटा में निवेश (5		3.5% redeemable preference shares,			
	करोड़ रुपए) और (ii) भारत वेगन एंड		and (ii) conversion of loan into equity			
	इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, जो भारत		(Rs. 3.33 crore) in respect of Bharat			
	भारी उद्योग निगम लिमिटेड की एक		Wagon and Engineering Company			
	सब्सिडियरी है, के सम्बन्ध में इक्विटी में		Limited, a subsidiary of Bharat Bhari			
	(3.33 करोड़ रुपए) ऋण का परिवर्तन।		Udyog Nigam Limited.	8.33	-	8.33
(ख)	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड (0.74 करोड़		(b) For loans to Triveni Structurals Limited			
	रुपए) और तुंगभद्रा स्टील उत्पाद लिमिटेड		(Rs. 0.74 crore) and Tungbhadra Steel		1.24	1.24
(11)	(0.60 करोड़ रुपए की ऋण हेतु।		Products Limited (Rs. 0.60 crore).	-	1.34	1.34
(ग)	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस निर्माण कम्पनी लिमिटेड को ऋण हेतु।		(c) For loan to Hindustan Photofilms Manufacturing Company Limited.	_	30.00	30.00
	G				20.00	20.00
गृह मंत्राल 51. गृह र			NISTRY OF HOME AFFAIRS Ministry of Home Affairs			
(क)	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के आर्म्स और		(a) For meeting the expenditure on Arms			
	एम्यूनिशंस पर व्यय की पूर्ति हेतु।		and Ammunitions of Narcotics Control			
			Bureau.	-	0.20	0.20
(ख)	सब्सिडियरी मल्टी एजेंसी सेन्टर एंड मल्टी		(b) For procurement of computers and			
	एजेंसी सेन्टर ऑफ इंटेलीजेंस ब्यूरो के लिए		peripherals for Subsidiary Multi Agency			
	कम्प्यूटरों और उससे संबंधित भागों की		Centre and Multi Agency Centre of		24.00	24.00
/ <del></del> \	अधिप्राप्ति हेतु।		Intelligence Bureau.	-	24.00	24.00
(ग)	चालू परियोजनाओं और इंटेलीजेंस ब्यूरो के लिए भूमि अधिग्रहण हेत्।		(c) For ongoing projects and acquisition of land for Intelligence Bureau.	_	12.00	12.00
	ारार गांच आवत्रह्य हता		of faile for filleningence Bulleau.	-	12.00	12.00

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) इंटेलीजेंस ब्यूरो के लिए लिंक एनक्रिप्टर की अधिप्राप्ति पर व्यय की पूर्ति हेतु। 53. पुलिस	<ul><li>(d) For meeting expenditure of procurement of Link Encryptor's for Intelligence Bureau.</li><li>53 Police</li></ul>		32.00	32.00
(क) दिल्ली पुलिस के (i) आवासीय भवनों (10 करोड़ रुपए) और (ii) कार्यालय भवनों (11.96 करोड़ रुपए) हेतु। (ख) निम्नलिखित हेतु (i) आयुध कारखाना बोर्ड (83.17 करोड़ रुपए) से 90 माइन प्रॉटेक्टेड	<ul> <li>(a) For (i) residential building (Rs. 1 crore) and (ii) office building (Rs. 11.9 crore) of Delhi Police.</li> <li>(b) For (i) procurement of 90 Min Protected Vehicles from Ordnance (Res. 12.2) and (iii) procurement of 100 Min Protected Vehicles from Ordnance (Res. 12.2) and (iiii) procurement of 100 Min Protected Vehicles from Ordnance (Res. 12.2) and (iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii</li></ul>	6 21.96 e	-	21.96
वाहनों की अधिप्राप्ति और बोर्डर आउटपोस्ट ऑफ असम राइफ्ल्स (3 करोड़ रुपए) और बोर्डर सिक्यूरिटी फोर्स (10 करोड़ रुपए)। 54. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	Factory Board (Rs. 83.17 crore) and (i Border Out Posts of Assam Rifle (Rs. 3 crore) and Border Security Forc (Rs. 10 crore). 54 Other Expenditure of the Ministry of	s e	96.17	96.17
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन को सहायता अनुदान। 55. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	Home Affairs For Grants-in-aid to Regional Institute of Correctional Administration.  55 Transfers to Union Territor	-	3.00	3.00
दिल्ली लैंडफिल्स क्लोजर (कार्बन वित्त)परियोजना को निधियां प्रदान कराने हेतु,।	Governments For providing funds to Delhi Landfill Closure (Carbon Finance) Project.	s 2.50	-	2.50
गानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT	Ξ		
57. स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	57 Department of School Education an Literacy	d		
(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सहायता अनुदान। (ख) 'माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों हेतु बालिका छात्रावासों के निर्माण	<ul><li>(a) For Grants-in-aid to Kendriy Vidyalaya Sanghathan.</li><li>(b) For Grants-in-aid under the schem 'Construction and Running of Girl</li></ul>	4.00 e	-	4.00
तथा संचालन संबंधी योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान। (ग) 'माध्यमिक स्कूल में अशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा' योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को सहायता अनुदान।	Hostels for Students of Secondary an Higher Secondary Schools'.  (c) For Grants-in-aid to Government of National Capital Territory of Dell under the scheme 'Inclusive	d 15.00 f ii	-	15.00
58. उच्च शिक्षा विभाग	Education for the Disabled a Secondary School'.	t 0.60	-	0.60
(क) निम्नलिखित को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए (i) गुरू ग्रन्थ साहिब में राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (1.90 करोड़ रुपए) और (2) केन्द्रीय सहायता से शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में 374 मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना तथा शामिल न किए गए 150 राज्य विश्वविद्यालयों और शामिल न किए गए 6000 राज्य कालेजों को एक बारगी अनुदान (106 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराकर सहायता उपलब्ध कराना। (ii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के सम्बन्ध में (i) निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां (8.92 करोड़ रुपए) और (2) छात्रवृत्ति (3 करोड़ रुपए)।	(a) For providing Grants-in-aid to (in University Grants Commission for (1) under the scheme 'National Institute of Studies in Sri Guru Granth Sahele (Rs. 1.90 crore), and (2) setting up of 374 Model Degree Colleges in Educationally Backward Districts with Central assistance and for supporting 150 uncovered State Universities and 6000 uncovered State Colleges be providing one time Catch-up Grant (Rs. 106 crore), (ii) Rashtriya Sanskring Sansthan for meeting additional expenditure on (1) construction activities (Rs. 8.92 crore) and (2)	) ff n h g d t t l n )		110.00
(ख) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) वेतन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (3.18 करोड़ रुपए) (ii) किताब प्रोत्साहन	scholarship (Rs. 3 crore).  (b) For Grants-in-aid to (i) Rashtriy Sanskrit Sansthan (Rs. 3.18 crore towards Salaries, (ii) National Boo	)	-	119.82

करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु ।

					(करोड़ रुपए Rupees i		
अनुव	शन संब	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gra	nt No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
		हेतु राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट/संस्थान (4.87 करोड़		Trust/Institutions for Book Promotion			
	()	रुपए।	,	(Rs. 4.87 crore).	-	8.05	8.05
	(ग)	निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (50 करोड़ रुपए) (ii)	(	c) For Grants-in-aid to (i) Indian Institutes			
		भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (15		of Technology (Rs. 50 crore), (ii) Indian Institute of Information Technology			
		करोड़ रुपए) (iii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान		(Rs. 15 crore), (iii) National Institute			
		(45 करोड़ रुपए) और (iv) 'प्रशिक्षक		of Technology (Rs. 45 crore) and (iv)			
		प्रशिक्षण छात्रवृत्ति तथा वजीफा कार्यक्रम'		reimburse stipend bills (Rs. 4 crore)			
		के अंतर्गत वजीफा बिलों की प्रतिपूर्ति (4		under the 'Programme for			
		करोड़ रुपए)।		Apprenticeship Training Scholarships			
				and Stipends'.	114.00	-	114.00
	(ਬ)	निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) भारतीय	(	d) For Grants-in-aid to (i) Indian Institutes			
		प्रौद्योगिकी संस्थान (37.37 करोड़ रुपए)		of Technology (Rs. 37.37 crore) and (ii)			
		तथा (ii) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू		Indian Institute of Science, Bengaluru			
		(30 करोड़ रुपए)।		(Rs. 30 crore).	-	67.37	67.37
	(ङ)	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	(	e) For Grants-in-aid to North Eastern			
		इटानगर को सहायता अनुदान।		Regional Institute of Science and	4.49		4.49
				Technology, Itanagar.	4.49	-	4.49
सूच	ना तथ	ा प्रसारण मंत्रालय		ISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59.	सूचन	॥ तथा प्रसारण मंत्रालय		Ministry of Information and Broadcasting			
	(ক)	निम्नलिखित के लिए (i) डॉक्यूमेंट्री फिल्मों		a) For (i) providing additional Grants-in-			
	( ")	के निर्माण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को	(	aid to the Non-Governmental			
		अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराने		Organisations for production of			
		हेतु (0.50 करोड़ रुपए), (ii) 'विकासात्मक		documentary films (Rs. 0.50 crore), (ii)			
		प्रचार कार्यक्रम अवधारणा तथा प्रसारण'		meeting additional expenditure on			
		सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय (10 करोड़ रुपए)		'Developmental Publicity Programme			
		की पूर्ति हेतु और (iii) भारतीय फिल्म तथा		Conception and Dissemination' (Rs. 10			
		टेलीविजन संस्थान, पुणे को सहायता		crore), and (iii) providing Grants-in-aid			
		अनुदान उपलब्ध कराना (3.50 करोड़ रुपए)।		to Film and Television Institute of India,	14.00		14.00
	(ख)	निम्नलिखित को अतिरिक्त सहायता अनुदान	(	Pune (Rs. 3.50 crore). b) For providing additional Grants-in-aid to	14.00	-	14.00
	(ಆ)	उपलब्ध कराने हेतु (i) भारतीय फिल्म तथा	(	(i) Film and Television Institute of India,			
		टेलीविजन संस्थान, पुणे (3.44 करोड़ रुपए)		Pune (Rs. 3.44 crore), (ii) Institute of Mass			
		(ii) मास कम्यूनिकैशन संस्थान, नई दिल्ली		Communication, New Delhi			
		(2.85 करोड़ रुपए) (iii) भारतीय प्रैस परिषद		(Rs. 2.85 crore), (iii) Press Council of			
		(1.06 करोड़ रुपए), और (iv) चिल्ड्रेन		India (Rs.1.06 crore), and (iv) Children's			
		फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया (0.63		Films Society of India (Rs. 0.63 crore)			
		करोड़ रुपए) को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत		towards meeting the additional			
		छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों		expenditure on account of implementation			
		के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त व्यय		of the Sixth CPC recommendations as			
		की पूर्ति हेतु।		accepted by the Government.	-	7.98	7.98
श्रम	तथा व	रोजगार मंत्रालय		ISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60.	श्रम र	तथा रोजगार मंत्रालय		Ministry of Labour and Employment			
	(ক)	निम्नलिखित के संबंध में (क) बीड़ी कामगार		a) For (a) additional expenditure towards			
		कल्याण निधि को छात्रवृत्तियों/वजीफा/वेतनों		scholarships/stipends/salaries to Beedi			
		पर अतिरिक्त व्यय (४०.०५ करोड़ रुपए)		Workers Welfare Fund (Rs. 40.05 crore),			
		और (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे		and (b) meeting additional expenditure			
		केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के		of Central Board for Workers Education			
		कार्यान्वयन के कारण 60 प्रतिशत बकाया		(Rs. 10 crore) for payment of 60% arrear			
		भुगतान तथा सेवानिवृत्ति लाभों हेतु केन्द्रीय		arising out of implementation of Sixth			
		कामगार शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त व्यय (10 करोड़ रुपए) की पर्ति हेत ।		CPC recommendations as accepted by		50.05	50.05

the Government and retirement benefits.

50.05

50.05

	2009-2010 SOFF LEMENTART DEMANDS FOR		रोड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) कार्यबल को प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र प्रदान करने और साथ ही दक्षता विकास पहल के तहत राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ और छः क्षेत्रीय प्रकोष्ठ संबंधी अतिरिक्त व्यय हेतु।	(b) For additional expenditure for imparting training and certification of workforce as also for National Project Management Cell and six regional cells under Skill Development Inititative.	60.00	-	60.00
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE			
(क) निम्नलिखित को सहायता अनुदान हेतु (i) पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (0.60 करोड़ रुपए), (iii) बायोमास कोजनरेंशन परियोजना (0.25 करोड़ रुपए), (iii) सूदूर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (5 करोड़ रुपए) (iv) सूचना तथा सार्वजनिक जागरूकता गतिविधियां (0.50 करोड़ रुपए) (v) विशेष क्षेत्र विकास परियोजना स्कीम (1 करोड़ रुपए) और (vi) नवाचार इन्कूबेशन तथा उद्यमिता परियोजना केन्द्र अहमदाबाद (0.50 करोड़ रुपए)। (ख) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लेखों के निपटान हेतु लम्बित देयताओं के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।	ENERGY  67 Ministry of New and Renewable Energy  (a) For grants-in-aid to (i) Centre for Wind Energy Technology (Rs. 0.60 crore), (ii)  Biomass cogeneration projects (Rs. 0.25 crore), (iii) Remote Village Electrification Programme (Rs. 5 crore), (iv) Information and Public Awarenesss activities (Rs. 0.50 crore), (v) Special Area Development Project Scheme (Rs. 1 crore), and (vi) Project Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship, Ahmedabad (Rs. 0.50 crore).  (b) For meeting the expenditure towards spillover liabilities for settlement of accounts of Integrated Rural Energy	7.85	-	7.85
G G	Programme.	2.25	-	2.25
का सिववालय  76 लोक सभा सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (क) सीसीटीवी प्रणाली का उन्नयन और (ख) संसद भवन परिसर में टेटरा डिजिटल संचार प्रणाली की अधिप्राप्ति।	PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT  76 Lok Sabha For meeting additional expenditure on security related projects, (a) Upgradation of CCTV System and (b) Procurement of Tetra Digital Communication System in Parliament House Complex.	-	47.46	47.46
ग्रामीण विकास मंत्रालय 80 ग्रामीण विकास विभाग (क) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत विज्ञापन और प्रचार के अतिरिक्त व्यय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT  80 Department of Rural Development  (a) For meeting the additional expenditure of Advertising and Publicity under			
की पूर्ति हेतु। (ख) संस्थान के अकादमी कर्मचारी वृंद के वेतनों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में अन्य प्रशासनिक व्यय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (15 करोड़ रुपए) पर देयताओं की पूर्ति के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों (135 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana.  (b) For providing additional Grants-in-aid to District Rural Development Agencies (Rs. 135 crore) to meet the liabilities on administrative expenses and National Institute of Rural Development (Rs. 15 crore) towards payment of arrears of salaries of the academic staff	3.00	-	3.00
82 पेयजल आपूर्ति विभाग राज्य जल और स्वच्छता मिशन, जिला जल और स्वच्छता समिति, मिशन और जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों आदि को सहायता अनुदान प्रदान करना।	of the Institute.  82 Department of Drinking Water Supply For providing Grants-in-aid to State Water and Sanitation Mission, District Water and Sanitation Committees, Missions and District Rural Development Agencies, etc.	150.00	-	150.00 40.80
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND			
83 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (क) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम विकास (5 करोड़ रुपए) (ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार	TECHNOLOGY  83 Department of Science and Technology  (a) For Grants-in-aid assistance to support to (i) Science and Technology Entrepreneurship Development (Rs. 5)			

		(करोड़ रुपए Ru			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total	
और लोकप्रियता (3 करोड़ रुपए) (iii) स्वायत्तशासी संस्थान और व्यावसायिक निकाय (15 करोड़ रुपए) (iv) अनुसंधान और विकास सहायता (8 करोड़ रुपए) (v) साइंस परसुइट फॉर इस्पायर्ड रिसर्च (इन्सपायर) में नवाचार (18.50 करोड़ रुपए) और (vi) उन्नत अनुसंधान संवर्धन हेतु इण्डो-फ्रेंच सेन्टर (0.70 करोड़ रुपए)।	crore), (ii) Science and Technology Communication and Popularisation (Rs. 3 crore), (iii) Autonomous Institutions and Professional Bodies (Rs. 15 crore), (iv) Research and Development Support (Rs. 8 crore), (v) Innovations in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE) (Rs. 18.50 crore), and (vi) Indo-French Centre for the promotion of Advanced Research (Rs. 0.70 crore).	50.20	_	50.20	
(ख) देहरादून और हैदराबाद में दो केन्द्रीय विद्यालयों के लिए सर्वे ऑफ इण्डिया को सहायता	(b) For Grants-in-aid to Survey of India for two Kendriya Vidyalayas at Dehradun				
अनुदान हेतु।  85 जैव प्रौद्योगिकी विभाग  (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी (13.08 करोड़ रुपए) और  (ii) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं	and Hyderabad.  85 Department of Biotechnology  (a) For meeting additional expenditure in the North Eastern Region and Sikkim on (i) Medical Biotechnology (Rs. 13.08 crore) and (ii) Re-entry R&D	-	0.55	0.55	
में पुनः प्रवेश (14.84 करोड़ रुपए)। (ख) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम हेतु जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम और जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन (2 करोड़ रुपए) (iii) टीबीनेट बहुसंस्थानिक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जैव सूचना विज्ञान और अन्य चालू परियोजनाओं को जारी राशि (2 करोड़ रुपए) और (iii) नई अनुमोदित परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं को राशि जारी करने हेतु कृषि जैव प्रौद्योगिकी (4 करोड़ रुपए)।	projects (Rs. 14.84 crore)  (b) For meeting additional expenditure on  (i) Biotechnology Education and  Training Programme for Post  Graduation Teachning Programme and  Implementation of Biotechnology  Industrial Training Programme (Rs. 2  crore), (ii) Bioinformatics for  implementation of Tbnet multi-  institutional project and releases to  other ongoing projects (Rs. 2 crore)  and (iii) Agriculture Biotechnology for  releases to new approved projects and  ongoing projects (Rs. 4 crore).	27.92 8.00	-	27.92	
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING				
<ul> <li>(क) दीप स्तम्भ और दीप पोत महानिदेशालय के तहत वेतन के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।</li> <li>(ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा सर्वे पोतों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।</li> </ul>	<ul> <li>Ministry of Shipping <ul> <li>(a) For meeting additional expenditure of Salary under Directorate General of Light Houses and Light Ships.</li> <li>(b) For meeting additional expenditure on purchase of Survey Vessels by the Ministry of Defence.</li> </ul> </li> </ul>	12.00	0.75	0.75 12.00	
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT				
88 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सहायता अनुदान हेतु।	88 Ministry of Social Justice and Empowerment For Grants-in-aid to National Commission for Backward Classes.	_	0.15	0.15	
कपड़ा मंत्रालय 92 कपड़ा मंत्रालय (क) मिल गेट प्राइस स्कीम संबंधी अतिरिक्त	MINISTRY OF TEXTILES  92 Ministry of Textiles  (a) For meeting the additional requirement		<del>-</del>		
आवश्यकता की पूर्ति हेतु। (ख) भारतीय जूट निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रचालन के तहत अवसंरचना अनुरक्षण के सम्बन्ध में सब्सिडी हेतु।	on Mill Gate Price Scheme.  (b) For Subsidy to Jute Corporation of India towards maintaining infrastructure under Minimum Support Price (MSP)  Operation	1.38	6.59	1.38 6.59	
	Operation.	-	0.33	0.39	

						 आयोजना	ोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	जोड़
अनुदा	ान संर	<u>ब्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण</u>	Gr	ant	No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
93	निम्नी पूर्ति हे (3 क	ालय  न मंत्रालय  न मंत्रालय  लेखित चालू योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय की हेतु (क) सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण  रोड़ रुपए) और (ख) लक्ष्य और सर्किटों हेतु  द/अवसंरचना विकास (15 करोड़ रुपए)।		Mi For sch Pro Inf	ractional expenditure on the ongoing seemes (a) Capacity Building for Service oviders (Rs. 3 crore) and (b) Product/rastructure Development for Destination I Circuits (Rs. 15 crore).	18.00	-	18.00
	नंत्राल संघ र	य राज्य क्षेत्र (विधान मण्डल रहित)	MI	UN	TRY OF HOME AFFAIRS HON TERRITORIES (WITHOUT			
97	<b>दादरा</b> (क)	ा और नागर हवेली निम्नलिखित हेतु (i) कार्यक्रम निर्माण हेतु रोगी कल्याण समिति (1 करोड़ रुपए) की सहायता अनुदान (ii) चिकित्सा विभाग के बकाया बिलों का भुगतान (1 करोड़ रुपए)।	97	Da	GISLATURES) dra and Nagar Haveli For (i) Grants-in-aid to Rogi Kalyan Samiti (Rs. 1 crore) for construction programme, and (ii) payment of pending bills (Rs. 1 crore) of Medical			
	(ख)	नगर परिषद सिलवासा को सिलवासा जल आपूर्ति योजना में वृद्धि हेतु सहायता अनुदान		(b)	Department. For Grants-in-aid to Municipal Council, Silvassa for augmentation of Silvassa	2.00	-	2.00
98	दमन	हेतु। <b>और दीव</b>	98	Da	Water Supply Scheme. man and Diu	10.00	-	10.00
30	(ক) (ख)	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में राजस्व व्यय हेतु। संघ राज्य प्रशासन के कर्मचारियों को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर 60 प्रतिशत बकाया के भुगतान हेतु।	70	(a)	For revenue expenditure under Medical and Public Health. For payment of 60% arrears to the employees of UT Administration due to implementation of the Sixth CPC recommendations as approved by the	1.78	-	1.78
	(ग)	पूरे दमन और दीव जिले में वर्तमान स्कूलों का आधुनिक उपस्करों/इलेक्ट्रॉनिक आइटमों/ कम्प्यूटर्स/शिक्षण उपस्करों/फर्नीचर की खरीद हेतु।		(c)	Government. For purchase of modern equipments/ electronic items/computers/teaching equipments/furniture under the scheme of upgradation of existing schools into Modern Schools in entire Daman and	-	8.61	8.61
	(ਬ)	सरकार द्वारा यथा अनुमोदित छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर संघ राज्य प्रशासन के अध्यापकों और कर्मचारियों को 60 प्रतिशत बकाया का भुगतान।		(d)	Diu district. For payment of 60% arrears to the teachers and employees of UT Administration due to implementation of the Sixth CPC recommendations as approved by the Government.	1.00	- 4.77	1.00 4.77
	(ঙ্	नगर परिषद/ओआईडीसी को शहरी विकास कार्यों/योजनाओं के कार्यान्वयन और अन्डर ग्राउन्ड सीवरेज प्रणाली कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान हेतु।		(e)	For Grants-in-aid to Municipal Council/OIDC for implementation of urban developmental works/schemes and implementation of underground sewerage system.	7.00	7.77	7.00
	(च)	नगरपालिकाओं को स्वच्छता भू-भरण साइट/ ठोस कचरा प्रबन्धन, टायलेट ब्लॉक्स निर्माण निर्माण आदि के लिए भूमि प्राप्ति का मुआवजा हेतु सहायता अनुदान।		(f)	For Grants-in-aid to Municipalities for compensation of land acquisition for sanitary landfill site/solid waste management, construction of toilet	7.00	2.00	
	शहरी	जस मंत्रालय   विकास विभाग		De	TRY OF URBAN DEVELOPMENT partment of Urban Development For mosting additional exponditure for	-	2.88	2.88
	(क) (ख)	सचिवालय के कम्प्यूटरीकरण के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। संपदा निदेशालय के कम्प्यूटरीकरण के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।			For meeting additional expenditure for computerisation of Secretariat.  For meeting additional expenditure for computerisation of Directorate of	0.24	-	0.24
	(ग)	विश्व पर्यावरण सुविधाओं को सहायता		(0)	Estates.	1.01	-	1.01
	(ਬ)	अनुदान। शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम सिक्किम सहित पूर्वोत्त राज्यों को सहायता अनुदान हेतु।		. ,	For Grants-in-aid to Global Environment Facilities. For Grants-in-aid to North Eastern States including Sikkim for Urban	1.03	-	1.03
					States including Sikkim for Urban Water Supply programme.	14.50	-	14.50

				रोड़ रुपए Rupe	
अनुदान संख	व्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भि Non Pla	
	प्रन मंत्रालय संसाधन मंत्रालय महादायी जल विवादों को हल करने के	MINISTRY OF WATER RESOURCES  103 Ministry of Water Resources  (a) For establishment related expenditure			
(ख)	लिए न्यायाधिकरण गठन के लिए संस्थापन संबंधी व्यय। नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्र संबंधी निर्माण कार्य योजना के तहत सहायता अनुदान हेतु।	for constitution of a Tribunal to resolve Mahadayi Water Disputes.  (b) For Grants-in-aid under the scheme 'River Management Activities and Works related to Border Areas'.	20.00	0.07	0.07 20.00
महिला औ	र बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD	20.00	-	20.00
104 महिल	गा और बाल विकास मंत्रालय	DEVELOPMENT 104 Ministry of Women and Child Development			
(ক)	"कामकाजी बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना" के तहत सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid under the "Scheme for the Welfare of working Children and Children in need of Care and Protection".	2.50	-	2.50
(ख)	राष्ट्रीय लोक सहकारिता और बाल विकास संस्थान को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी वेतन/पेंशन की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।	(b) For Grants-in-aid to National Institute of Public Cooperation and Child Development for meeting the additional requirement of salaries/pension on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations, as accepted by the		0.65	0.65
युवा मामले	। और खेल मंत्रालय	Government.  MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND	-	0.65	0.65
<b>105 যুৱা</b> ফ (ক)	मामले और खेल मंत्रालय निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) भारतीय खेल प्राधिकरण (56 करोड़ रुपए) (ii) नेहरु यूवा केन्द्र संगठन (16.54 करोड़ रुपए) (iii) 'विशेष नकद अवार्ड' योजना के तहत (0.50 करोड़ रुपए) (iv) 'मेधावी खिलाडियों को पेंशन' योजना के तहत (1.50 करोड़ रुपए) और (v) राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता (10 करोड़ रुपए)।	SPORTS  105 Ministry of Youth Affairs and Sports  (a) For Grants-in-aid (i) to Sports Authority of India (Rs. 56 crore), (ii) to Nehru Yuva Kendra Sangathan (Rs. 16.54 crore), (iii) under the scheme 'Special Cash Awards' (Rs. 0.50 crore), (iv) under the scheme 'Pension to Meritorious Sports Persons' (Rs. 1.50 crore), and (v) for assistance to National Sports Federations (Rs. 10	84.54		84.54
(ख)	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शरीरिक शिक्षा संस्थान को सहायता अनुदान।	crore). (b) For Grants-in-aid to Laxmibai National Institute of Physical Education.	04.34	1.10	1.10
(ग)	भारतीय खेल प्राधिकरण को सहायता अनुदान।	(c) For Grants-in-aid to Sports Authority of India.	6.50	-	6.50
जोड़ सांकेर्व	तिक	Total Token	0.63	0.34	0.97
आर्का एक ३ अनुदा	ल आवश्यकता की पूति के लिए भारत की स्मिकता निधि से कुल 0.31 करोड़ रुपए के अग्रिम की मंजूरी दी गई थी। इसकी प्रतिपूर्ति। नों की पूरक मांगों की मंजूरी प्राप्त होने के त कर दी जाएगी।	6. One advance amounting Rs. 0.31 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. This will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
कुल जोड़		GRAND TOTAL	28,150.60	14,15,382.33	14,43,532.93
निवल नक तकनीकी प् सांकेतिक प	पूरक	Net Cash Outgo Technical Supplementary Token Supplementary	156.73 27,993.24 0.63	31,623.27 13,83,758.72 0.34	31,780.00 14,11,751.96 0.97

					राजस्व	<i>(करोड़ रुपए</i> । पूंजी	_	crore) पृष्ठ
मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		Revenue			Page
पूर्वोत्तर क्षेत्र		MI	NISTRY OF DEVELOPMENT OF					
विकास मंत्रालय		NO	RTH EASTERN REGION					
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास		28.	Ministry of Development of North					
मंत्रालय	स्वीकृत		Eastern Region	Voted		0.01	0.01	26
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MI	NISTRY OF EARTH SCIENCES					
29. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	29.	Ministry of Earth Sciences	Voted	0.38	0.01	0.39	27
पर्यावरण और		MI	NISTRY OF ENVIRONMENT					
वन मंत्रालय		AN	D FORESTS					
30. पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	30.	Ministry of Environment and Forests	Voted	0.03		0.03	28-29
विदेश मंत्रालय		MI	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
31. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	31.	Ministry of External Affairs	Voted	40.01		40.01	30
वित्त मंत्रालय		MI	NISTRY OF FINANCE					
32. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	32.	Department of Economic Affairs	Voted	0.01	9136.26	9136.27	31
33. वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत	33.	Department of Financial Services	Voted	625.00	1107.98	1732.98	32
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की		35.	Transfers to State and Union Territory					
सरकारों को अन्तरण	भारित		Governments	Charged		800.00	800.00	33-34
	स्वीकृत			Voted	6892.00		6892.00	
37. विनियोग-ऋण की वापसी अदायगी	भारित	37.	Appropriation - Repayment of Debt	Charged		1367361.86	1367361.86	35
39. पेंशन	स्वीकृत	39.	Pensions	Voted	2380.00		2380.00	36
40. भारतीय लेखा परीक्षा और		40.	Indian Audit and Accounts					
लेखा विभाग	भारित		Department	Charged	3.68		3.68	37
	स्वीकृत			Voted	32.10		32.10	
41. राजस्व विभाग	स्वीकृत		Department of Revenue	Voted	2757.36		2757.36	38
43. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत		Indirect Taxes	Voted	22.77		22.77	39
44. विनिवेश विभाग	स्वीकृत	44.	Department of Disinvestment	Voted	23.42		23.42	40
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग			NISTRY OF FOOD PROCESSING					
मंत्रालय	0		DUSTRIES					
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45.	Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.03		0.03	41
स्वास्थ्य एवं परिवार			NISTRY OF HEALTH AND					
कल्याण मंत्रालय	0		MILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	_		Department of Health and Family Welfare	Voted	0.04	0.02	0.06	42-43
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकि	त्सा,	47.	Department of Ayurveda, Yoga &					
यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी	-		Naturopathy, Unani, Siddha and	** · *	0.02		0.02	44.45
विभाग (आयुष)	स्वीकृत		Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02		0.02	44-45
भारी उद्योग और सरकारी			NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND					
उद्यम मंत्रालय	0		BLIC ENTERPRISES					
49. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	49.	Department of Heavy Industry	Voted	515.47	0.03	515.50	46-47
गृह मंत्रालय	_		NISTRY OF HOME AFFAIRS					
51. गृह मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Home Affairs	Voted	0.02	0.02	0.04	
53. पुलिस	स्वीकृत		Police	Voted	592.45	0.02	592.47	49-50
54. गृह मंत्रालय के	0	54.	Other Expenditure of the Ministry of					
अन्य व्यय	स्वीकृत		Home Affairs	Voted	0.01		0.01	51
55. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	र स्वीकृत	55.	Transfers to Union Territory Governments	Voted	10.01		10.01	52

## कृषि और सहकारिता विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिए)। (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	11822.67	92.55	11915.22
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	14.23		14.23
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	208.63		208.63
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ary)			
	स्वीकृत		Voted:	12045.53	92.55	12138.08

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	207.25 (कa)	1.38 (खb)	208.63

यह पुरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतू अपेक्षित है :

- The supplementary grant is sought for the following purposes:
- (क) (i) केन्द्रीय विस्तार निदेशालय संस्थान को सहायता देने के लिए सहायता अनुदान (3.27 करोड़ रुपए);
  - (ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान (20 करोड़ रुपए);
  - (iii) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांखण्ड में एकीकृत बागवानी विकास से संबंधित तकनीकी मिशन के तहत कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सहायता अनुदान (10 करोड़ रुपए);
  - (iv) लघु सिंचाई के तहत कार्यान्वयनकारी एजेन्सियों को सहायता अनुदान (50 करोड़ रुपए);
  - (v) नारियल पाम बीमा योजना के लिए नारियल विकास बोर्ड को सहायता अनुदान (0.10 करोड़ रुपए);
  - (vi) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डल रहित) को सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपए);
  - (vii) मौसम आधारित फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि. (एआईसी) को भुगतान (70 करोड़ रुपए);

- (a) (i) Grants-in-aid to Extension Support to Central Institutes of Directorate of Extension (Rs.3.27 crore);
  - (ii) Grants-in-aid to National Horticulture Board (Rs.20 crore);
  - (iii) Grants-in-aid to implementing agencies under Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North-East States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand (Rs.10 crore);
  - (iv) Grants-in-aid to implementing agencies under Micro-Irrigation (Rs.50 crore);
  - (v) Grants-in-aid to Coconut Development Board for Coconut Palm Insurance Scheme (Rs.0.10 crore);
  - (vi) Grants-in-aid to Union Territories (without legislature) under Rashtriya Krishi Vikas Yojna (Rs.1 crore);
  - (vii) Payment to Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) for implementation of Weatherbased Crop Insurance Scheme (Rs.70 crore);

(viii) दावा संवितरणों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि. (एआईसी) को भुगतान (525 करोड़ रुपए)।

अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध 472.12 करोड़ रुपयों की बचतों, अनुदान के पूंजी भाग के अन्तर्गत अभ्यर्पित की जाने वाली 7.25 करोड़ रुपए की बचतों और भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि. से समतुल्य की गयी 200 करोड़ रुपए की राशि को ध्यान में रखते हुए, इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-I के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए (2.68 करोड़ रुपए)। चूंकि 1.30 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः इसमें 1.38 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

 (viii) Payment to Agriculture Insurance Company of India ltd. (AIC) for implementation of National Agricultural Insurance Scheme for disbursement of claims (Rs.525 crore);

Taking into account savings of Rs.472.12 crore available within the same Section of the Grant, savings of Rs.7.25 crore under the Capital Section of the Grant which will be surrendered and Rs.200 crore matched by receipts from Agriculture Insurance Company of India Ltd., this supplementary will not entail cash outgo.

(b) For additional Grants-in-aid under National Agricultural Extension Project-I (Rs.2.68 crore). As savings of Rs.1.30 crore is available within the same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs.1.38 crore.

## कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

#### DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)। (See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	3314.77		3314.77
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRAN	VT:			
	स्वीकृत		Voted:	19.96		19.96
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplem	entary)			
	स्वीकृत		Voted:	3334.76	•••	3334.76

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2415-कृषि अनुसंधान		2415-Agricultural Research				
एवं शिक्षा	स्वीकृत	and Education	Voted:	0.01 (কa)	0.01 (खb)	0.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेत् अपेक्षित हैं:

- (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को बागवानी (8.00 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना/विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (21.23 करोड़ रुपए) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है. अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) आईसीएआर को बागवानी (4.20 करोड़ रुपए) और मात्स्यिकी (4.00 करोड़ रुपए) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पुरक की मांग की गई है।
- (ग) आईसीएआर को कृषि विस्तार के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (21.00 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for meeting additional expenditure under Horticulture (Rs.8.00 crore) and National Agricultural Innovation Project/Externally Aided Project (Rs.21.23 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid to ICAR for meeting additional expenditure under Horticulture (Rs.4.20 crore) and Fisheries (Rs.4.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid to ICAR for meeting additional expenditure under Agricultural Extension (Rs.21.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

## पशुपालन, डेयरी कार्य एवं मात्स्यिकी विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)। (See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1564.95	18.55	1583.50
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.04		0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary) Voted:	1564.99	18.55	1583.54

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2403-पशुपालन	स्वीकृत	2403-Animal Husbandry	Voted:	0.01 (কa)	•••	0.01
2404-डेयरी विकास	स्वीकृत	2404-Dairy Development	Voted:	0.01 (खb)	•••	0.01
2405-मात्स्यिकी	स्वीकृत	2405-Fisheries	Voted:	•••	0.01 (गट)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (ਬd)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	0.01	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) "राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना," (5.00 करोड़ रुपए), "ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास" (0.25 करोड़ रुपए) और "पोल्ट्री वेन्चर कैपिटल फंड" (6.00 करोड़ रुपए) में विभिन्न कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को सहायता अनुदान के रूप में।
- (ख) "गहन डेयरी विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत विभिन्न दूध संघों को सहायता अनुदान (3.00 करोड़ रुपए)।
- (ग) समुद्रतटीय जलकृषि प्राधिकरण को स्थापना संबंधी व्यय हेतु सहायता अनुदान (0.65 करोड़ रुपए)।
- (घ) "सहकारी समितियों को सहायता" (2.20 करोड़ रुपए), "गहन डेयरी विकास कार्यक्रम" (1.50 करोड़ रुपए), "कुक्कुट सम्पदा की स्थापना" (1.80 करोड़ रुपए) तथा "क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला" (0.19 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के विभिन्न कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को सहायता अनुदान।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) Grants-in-aid to different implementing agencies for "National Project on Cattle and Buffalo Breeding" (Rs.5.00 crore), "Rural Backyard Poultry Development" (Rs.0.25 crore) and "Poultry Venture Capital Fund" (Rs.6.00 crore).
- (b) Grants-in-aid to various milk unions/federations under "Intensive Dairy Development Programme" (Rs.3.00 crore).
- (c) Grants-in-aid to Coastal Aquaculture Authority for establishment related expenditure (Rs.0.65 crore).
- (d) Grants-in-aid to different implementing agencies of North Eastern Region States under "Assistance to Cooperatives" (Rs.2.20 crore), "Intensive Dairy Development Programme" (Rs.1.50 crore), "Establishment of Poultry Estates" (Rs.1.80 crore) and "Regional Disease Diagnostic Laboratory" (Rs.0.19 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

## परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 और 5 देखिए)। (See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 & page 4 and 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित		Charged:	1.00	1.00	2.00	
	स्वीकृत		Voted:	4108.08	2387.70	6495.78	
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत		Voted:	422.48	199.83	622.31	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of					
का पूरक अनुमान		the amount now required:					
	स्वीकृत		Voted:	189.01	18.02	207.03	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)	4720.57	2606.55	7327.12	
	भारित		Charged:	1.00	1.00	2.00	
	स्वीकृत		Voted:	4719.57	2605.55	7325.12	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय आर्थिक		3451-Secretariat Economic				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		2.25 (কa)	2.25
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:		52.50 (खb)	52.50
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत	3401- Atomic Energy Research	Voted:	0.01 (गट)	134.25 (ਬd)	134.26
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	<b>Total Revenue Section</b>	Voted:	0.01	189.00	189.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर		4861-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Atomic Energy Industries	Voted:	0.01 (se)	18.00 (चf)	18.01
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर	ζ	5401-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Atomic Energy Research	Voted:	0.01 (ছg)	•••	0.01
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	0.02	18.00	18.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	207.00	207.03

निम्नलिखित हेतु पूरक अनुदान मांगा गया हैः

- (क) सचिवालय और अन्य कार्यालयों के संस्थापन संबंधी व्यय पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ख) न्यूक्लिर फ्यूल काम्पलेक्स (२९ करोड़ रुपए), भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर (19.50 करोड़ रुपए), बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलोजी (4 करोड़ रुपए) के संस्थापन सम्बन्धी व्यय पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) निम्नलिखित को सहायता अनुदान के लिए (i) 'इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर थिॲरटीकल साइंस' तथा 'रिसर्च फेसिलिटिज एंड

The supplementary grant is sought:

- (a) For meeting additional expenditure on establishment related expenditure of Secretariat and other offices. This will entail cash outgo.
- (b) For meeting additional expenditure on establishment related expenditure of Nuclear Fuel Complex (Rs.29 crore), Bhabha Atomic Research Centre (Rs. 19.50 crore), Board of Radiation and Isotopes Technology (Rs.4 crore). This will entail cash outgo.
- (c) For additional Grants-in-aid to (i) Tata Institute of Fundamental Research (Rs.2.50 crore) for the projects

- कॉमन सर्विसेज' परियोजनाओं के लिए 'टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (2.50 करोड़ रुपए); (ii) आंध्र प्रदेश में 'सेन्टर फॉर कैंसर एपीडेमीयोलॉजी' एंड एस्टेब्लिसमेंट ऑफ कैंसर हॉस्पिटल परियोजनाओं हेतु टाटा मेमोरियल सेंटर (7 करोड़ रुपए); तथा (iii) 'एसईटीएस-आईएमएससी सेन्टर फॉर क्रीप्टाना लीसिस' परियोजना के लिए इन्स्टीट्यूट ऑफ मेथेमेटिल साइंसेज (2 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई।
- (घ) निम्नलिखित को वेतन और भत्तों सहित संस्थापन सम्बन्धी व्यय में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (66.74 करोड़ रुपए), (ii) इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (18 करोड़ रुपए), (iii) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (10 करोड़ रुपए), (iv) वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेन्टर (6 करोड़ रुपए), (v) डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स (6 करोड़ रुपए), (vi) जनरल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (3.05 करोड़ रुपए), (vii) डायरेक्टरेट ऑफ कन्स्ट्रक्शन, सर्विसेज एंड एस्टेट मेनेजमेंट (6.90 करोड़ रुपए), (viii) एटोमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्पलोरेशन एंड रिसर्च (15.50 करोड़ रुपए), (ix) एटोमिक एनर्जी रेग्यूलेटरी बोर्ड (2.06 करोड़ रुपए), और (x) निम्नलिखित को संस्थापन संबंधी सहायता अनुदान (1) टाटा इन्स्टीटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (33.05 करोड़ रुपए), (2) टाटा मेमोरियल सेंटर (5.99 करोड़ रुपए), (3) साहा इन्स्टीटयूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स (1.51 करोड़ रुपए), (4) इन्स्टीटयूट ऑफ फिजिक्स (0.05 करोड़ रुपए), (5) इन्स्टीटयूट ऑफ मेथेमेटिकल साइंस (3.36 करोड़ रुपए), (6) इन्स्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च (10.01 करोड़ रुपए) और (7) एटोमिक एनर्जी एज्यूकेशन सोसायटी (1.92 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में 55.89 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध है, अतः इसमें 134.25 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।
- (ङ) भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर के तहत 'चित्रदुर्ग में विशेष सामग्री पृथकक्करण सुविधा में निर्माण के संबंध में प्राथमिक अवसंरचना स्थापना' परियोजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (19.15 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक प्रक की मांग की गई है।
- (च) हेवी वॉटर बोर्ड की आवश्यकता के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए। इसमें नगद व्यय होगा।
- (छ) निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) 'एडीएस ड्राइवर के फ्रंट एंड के लिए लो एनर्जी इन्टेनिसटी प्रोटोन एक्सीलेटर (एलईएचआईपीए) का विकास'। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के तहत वैद्युत और मेकेनिकल सेवाओं का उन्नयन (10.04 करोड़ रुपए); और (ii) वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रान प्रोजेक्ट के तहत एएलआईसीई प्रायोगिक डाटा और इसके ओएंडएम-एलिस ग्रिड टियर-2 सेंटर के लिए ग्रिड कम्प्यूटिंग फेसिलिटी (0.40 करोड़ रुपए); और (iii) डीएई परियोजनाओं के तहत एनुट-II- और इन्ट्रा डीएई ग्रिड नेटवर्क (0.41 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- `International Centre for Theoretical Science' and `Research Facilities & Common Services'; (ii) Tata Memorial Centre (Rs.7 crore) for the projects `Centre for Cancer Epidemiology' & `Establishment of Cancer Hospital in Andhra Pradesh'; and (iii) Institute of Mathematical Sciences (Rs.2 crore) for the project 'SETS-IMSc Centre for Cryptanalysis'. As savings are available within the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (d) For meeting additional expenditure on account of establishment related expenditure including pay and allowances for (i) Bhabha Atomic Research Centre (Rs.66.74 crore), (ii) Indira Gandhi Centre for Atomic Research (Rs.18 crore), (iii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (Rs.10 crore), (iv) Variable Energy Cyclotron Centre (Rs.6 crore), (v) Directorate of Purchase and Stores (Rs.6 crore), (vi) General Services Organisation (Rs.3.05 crore), (vii) Directorate of Construction, Services and Estate Management (Rs.6.90 crore), (viii) Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (Rs. 15.50 crore), (ix) Atomic Energy Regulatory Board (Rs.2.06 crore), and (x) Grants-in-aid towards establishment related expenditure to (1) Tata Institute of Fundamental Research (Rs.33.05 crore), (2) Tata Memorial Centre (Rs.5.99 crore), (3) Saha Institute of Nuclear Physics (Rs.1.51 crore), (4) Institute of Physics (Rs.0.05 crore), (5) Institute of Mathematical Sciences (Rs.3.36 crore), (6) Institute for Plasma Research (Rs.10.01 crore) and (7) Atomic Energy Education Society (Rs.1.92 crore). As savings of Rs. 55.89 crore are available within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 134.25 crore.
- (e) For meeting additional expenditure on the project `Setting up Preliminary Infrastructure towards Construction of Special Material Separation Facility at Chitradurga' under Bhabha Atomic Research Centre (Rs.19.15 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (f) For meeting additional expenditure requirements of Heavy Water Board. This will entail cash outgo.
- (g) For meeting additional expenditure for the projects (i) `Development of Low Energy Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) for front-end of ADS driver' & `Upgradation of Electrical and Mechanical Utilities' under Bhabha Atomic Research Centre (Rs.10.04 crore); (ii) Grid Computing facility for ALICE experimental data and its O&M - ALICE GRID Tier-2 Centre under Variable Energy Cyclotron Project (Rs.0.40 crore); and (iii) Anunet-II and Intra DAE Grid Network under DAE Projects (Rs.0.41 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

## उर्वरक विभाग **DEPARTMENT OF FERTILISERS**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)। (See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

					(करोड़ रुपए Rupees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी जोड़	
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	•	Voted:	53604.46	196.04	53800.50
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	•	Voted:	3000.00		3000.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत	•	Voted:	8000.00		8000.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary	7)			
	स्वीकृत	7	Voted:	64604.46	196.04	64800.50
		II. इस परक अनदान का हिसाब निम्नलि	खित मख्य	शीर्षों के अन्तर्गत र्ग	देखाया जाएगाः	

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीषों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:		4500.00 (कa)	4500.00
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:		3500.00 (खb)	3500.00
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	•••	8000.00	8000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है :

The supplementary grant is required for the following purposes:

- आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी; और
- स्वदेशी यूरिया पर सब्सिडी
- (क) और (ख) में नकद व्यय होगा।

- (a) subsidy on imported decontrolled fertilizers; and
  - (b) subsidy on indigenous urea.
  - (a) and (b) will entail cash outgo.

## नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)। (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 9 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	731.09	155.95	887.04
पूरक अनुदानः	_	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	281.00	800.00	1081.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	_	Voted:	30.00		30.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	1042.09	955.95	1998.04

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3053-नागरिक विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted:	•••	30.00	30.00

यह पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ है:-

- (क) वर्ष 2006 से 2008 के लिए हज चार्टरों से संबंधित हज प्रचालनों (a) For (2007 और 2008) के बकाया राशियों के भुगतान और सेवा कर Ope
- (ख) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण-एईआरए को सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपए)।

के बकाया राशियों के भुगतान के लिए (40 करोड़ रुपए)।

अनुदान के पूंजी (स्वीकृत) भाग से 17 करोड़ रुपए की राशि के अभ्यर्पण और अनुदान के उसी भाग में 12 करोड़ रुपए की बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें 13 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for following purposes: -

- (a) For payment to Air India towards arrears of Haj Operations (2007 and 2008) and for payment of arrears of Service Tax due for the period 2006 to 2008 relating to Haj Charters (Rs. 40 crore).
- (b) To provide Grants-in-aid to Airports Economic Regulatory Authority-AERA (Rs. 2 crore).

After surrendering an amount of Rs. 17 crore from Capital (Voted) Section of the Grant and utilising Rs. 12 crore savings in the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs. 13 crore.

## वाणिज्य मंत्रालय DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 और 11देखिए)। (See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 10 and 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित		Charged:	0.50	•••	0.50
	स्वीकृत		Voted:	3047.84	612.22	3660.06
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRAN	<i>T</i> :			
	भारित		Charged:	2.05	•••	2.05
	स्वीकृत		Voted:	160.58		160.58
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	ntary)	3210.99	612.22	3823.21
	भारित		Charged:	2.55	•••	2.55
	स्वीकृत		Voted:	3208.44	612.22	3820.66

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2407-पौंधरोपण	स्वीकृत	2407-Plantation	Voted:	0.01 (কa)		0.01
3453-विदेश व्यापार और		3453-Foreign Trade and				
निर्यात संवर्धन	स्वीकृत	Export Promotion	Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	•••	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

- (क) विशेष प्रयोजन चाय निधि के तहत चाय बोर्ड के सब्सिडी आवश्यकताओं (1 करोड़ रुपए); वेतन और पेंशन के संबंध में कॉफी बोर्ड (2.49 करोड़ रुपए) और रबड़ बोर्ड (5 करोड़ रुपए) के सहायता अनुदान की पूर्ति हेतु।
- (ख) कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को परिवहन सहायता योजना के तहत निर्यातकों के दावों के भुगतान हेत् (24 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is sought for:

- (a) meeting subsidy requirements of Tea Board under Special Purpose Tea Fund (Rs. 1 crore); grants-in-aid on account of Salaries and Pensions to the Coffee Board (Rs. 2.49 crore) and Rubber Board (Rs. 5 crore).
- (b) payment of claims of the exporters under Transport Assistance Scheme to Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Rs. 24 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token Supplementary is sought in each case.

## औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)। (See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 12 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:			
स्वीकृत	Voted:	1131.03	55.00	1186.03
पूरक अनुदानः	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1131.05	55.00	1186.05
भारित	Charged:			
स्वीकृत	Voted:	1131.05	55.00	1186.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries				
	स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम के तहत 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सदस्यता अनुदान प्रदान करने के लिए मांगा गया है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा। अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for providing additional Grants-in-aid of Rs.40 crore under Indian Leather Development Programme. This will not entail cash outgo as savings are avilable in the same section of the Grant. Hence a token supplementary is sought.

## डाक विभाग DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2009-10 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)। (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:		Revenue	Capital	Total
1. 700 0340	भारित	i. Onomine on in it.	Charged:	0.10		0.10
	स्वीकृत		Voted:	12090.10	388.80	12478.90
पूरक अनुदानः	C	SUPPLEMENTARY GRAN	<i>T:</i>			
	भारित		Charged:	4.03	0.10	4.13
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	436.60	0.01	436.61
जोड़ (मूल और पूरक)	0	Total (Original plus Supplement	• -	12530.83	388.91	12919.74
	भारित		Charged:	4.13	0.10	4.23
	स्वीकृत		Voted:	12526.70	388.81	12915.51
		II. इस पूरक विनियोग का हिसाब	निम्नलिखित मुख्य	। शीर्षों के अन्तर्गत	दिखाया जाएगाः	
		II. This Supplementary Grant	t will be accoun	ited for under the	e following Maj	or Heads:
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3201-डाक सेवाएं	स्वीकृत	3201-Postal Services	Voted:	•••	436.60 (কa)	436.60
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5201-डाक सेवाओं पर		5201-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Postal Services	Voted:		0.01 (खb)	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	436.61	436.61
		टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में निम् किया जाता है।	नलिखित वसूलिया	ं शामिल नहीं हैं, f	जेन्हें व्यय में से इ	ाटाकर समायोजित
		<b>Note:</b> The above estimates de reduction of expenditur		e recoveries, show	wn below, which	are adjusted in
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
\ '						

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनार्थ है:

3201-डाक सेवाएं

(क) छठें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वेतनों (242 करोड़ रुपए), पेंशन (290 करोड़ रुपए) के भुगतान के सम्बन्ध में 538.57 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु तथा जीडीएस समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर ग्रामीण डाक सेवा (जीडीएस) के अन्तर्गत कर्मचारियों को देय मजदूरी का संशोधन और अन्य प्रचालनात्मक व्यय (6.57 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (101.97 करोड़ रुपए) को ध्यान में रखते हुए शेष राशि (436.60 करोड़ रुपए) के लिए पूरक अनुदान मांगा गया है।

3201-Postal Services

अतिरिक्त डाक प्राप्तियों (416.88 करोड़ रुपए) और डाक वसूलियों (53.49 करोड़ रुपए) को ध्यान में रखते हुए, इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन संबंधी 4 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध है; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(-)53.49

(-)53.49

(a) To meet the additional expenditure of Rs.538.57 crore towards payment of Salaries (Rs.242 crore), Pension (Rs.290 crore) on account of implementation of 6th Central Pay Commission and revision of wages payable to employees under Grameen Dak Sewa (GDS) on implementation of GDS Committee Report and other operational expenses (Rs. 6.57 crore). Taking into account the savings available (Rs.101.97 crore) in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount is sought (Rs.436.60 crore).

Taking into account additional Postal Receipts (Rs.416.88 crore) and Postal Recoveries (Rs.53.49 crore), this supplementary will not entail cash outgo.

(b) To meet the additional expenditure of Rs.4 crore on account of replacement of old vehicles. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

## दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2009-10 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिए)। (See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 14 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Cho	arged:			
	स्वीकृत	•	Voted:	10150.00	104.00	10254.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	•	Voted:	249.24	171.75	420.99
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत	•	Voted:	366.63	•••	366.63
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		10765.87	275.75	11041.62
	भारित	Cha	arged:			
	स्वीकृत		Voted:	10765.87	275.75	11041.62

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2071-पेंशन तथा अन्य सेवा-		2071-Pensions and Other				
निवृत्ति लाभ	स्वीकृत	Retirement Benefits	Voted:		358.00 (कa)	358.00
3275-अन्य संचार सेवाएं		3275-Other Communication				
	स्वीकृत	Services	Voted:		8.63 (खb)	8.63
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	366.63	366.63

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा हैं:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (क) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (358 करोड़ रुपए)।
- (ख) अंतरराष्ट्रीय दायित्वों संबंधी अंशदानों के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (8.63 करोड़ रुपए)।
- उपर्युक्त पूरक अनुदानों में नकद व्यय होगा।

- (a) To meet the additional requirements towards payment of pensions and other retirement benefits (Rs. 358 crore).
- (b) To meet additional requirements for payment of contributions towards international obligations (Rs. 8.63 crore).

The above supplementaries will entail cash outgo.

# सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)। (See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
			1	Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted	1: 2	484.00	98.00	2582.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted	1:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary) Voted	l: 2	484.02	98.00	2582.02

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		1 1011	11011 1 1011	1000
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (কa)		0.01
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	0.01 (खb)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	•••	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैः

- (क) कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए चालू अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा अनुमोदित नई पहलों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (i) मानवशक्ति विकास (8 करोड़ रुपए) और (ii) उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र (5 करोड़ रुपए); और
- (ख) निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत चालू अनुसंघान एवं विकास परियोजनाएं और नई पहलों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (i) भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास (3 करोड़ रुपए); मानव शक्ति विकास (14 करोड़ रुपए); (iii) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंग एंड रिसर्च (8 करोड़ रुपए) (iv) इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट एंड मेटेरियल डवलपमेंट काउंसिल (5.50 करोड़ रुपए); (v) माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड नेनो टेक्नोलोजी डवलपमेंट (44.50 करोड़ रुपए); (vi) सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (12 करोड़ रुपए); और टेक्नोलोजी डवलपमेंट काउंसिल (1.80 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। The supplementary grant is sought for:

- (a) meeting additional expenditure on ongoing R&D projects and new initiatives approved for the benefit of North Eastern Region and Sikkim under the programmes
   (i) Manpower Development (Rs. 8 crore); and (ii) Centre for Development of Advanced Computing (Rs. 5 crore); and
- (b) meeting additional expenditure on ongoing R&D projects and new initiatives under the programmes (i) Technology Development for Indian Languages (Rs. 3 crore); Manpower Development (Rs. 14 crore); (iii) Society for Applied Microwave Electronic Engineering and Research (Rs. 8 crore); (iv) Electronics Components and Material Development Council (Rs. 5.50 crore); (v) Micro-electronics and Nano-technology Development (Rs.44.50 crore); (vi) Centre for Development of Advanced Computing (Rs.12 crore); and Technology Development Council (Rs.1.80 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token Supplementary is sought in each case.

# उपभोक्ता मामले विभाग DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)। (See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	450.75	30.15	480.90
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	tary)			
	स्वीकृत		Voted:	450.76	30.15	480.91

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2408-खाद्य, भंडारण और		2408-Food, Storage and				
भांडागारण	स्वीकृत	Warehousing	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान पीईसी लि. द्वारा दलहनों के आयातों पर हुई हानि की प्रतिपूर्ति संबंधी सब्सिडियों पर अतिरिक्त आवश्यकता (27.27 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु मांगा गया है। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting the additional requirement on subsidies (Rs.27.27 crore) towards reimbursement of losses on import of Pulses by PEC Ltd. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

# खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)। (See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

राजस्व पूंजी Revenue Capital	Total
Kevenue Capital	Total
I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT:	
भारित	0.94
स्वीकृत Voted: 54023.78 749.55	54773.33
पूरक अनुदानः SUPPLEMENTARY GRANT:	
भारित	
स्वीकृत Voted: 3660.82 150.00	3810.82
इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of	
का पूरक अनुमान the amount now required:	
भारित	0.31
स्वीकृत Voted: 2459.00 2.34	2461.34
जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 60144.85 901.89	61046.74
भारित Charged: 1.25	1.25
स्वीकृत Voted: 60143.60 901.89	61045.49

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2408-खाद्य, भंडारण और		2408-Food, Storage and				
भांडागारण	स्वीकृत	Warehousing	Voted:		2459.00 (कa)	2459.00
3456-नागरिक आपूर्ति		3456-Civil Supplies				
	भारित		Charged:		0.31 (खb)	0.31
जोड़ राजस्व भाग		<b>Total Revenue Section</b>		•••	2459.31	2459.31
	भारित		Charged:		0.31	0.31
	स्वीकृत		Voted:		2459.00	2459.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4408-खाद्य भंडारण और		4408-Capital Outlay on				
भांडागारण संबंधी		Food Storage and				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Warehousing	Voted:	2.33 (чс)		2.33
6408-खाद्य भंडारण और		6408-Loans for Food				
भांडागारण के		Storage and				
लिए ऋण	स्वीकृत	Warehousing	Voted:		0.01 (ਬd)	0.01
जोड़ पूंजी भाग		<b>Total Capital Section</b>				
	स्वीकृत		Voted:	2.33	0.01	2.34
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		2.33	2459.32	2461.65
	भारित		Charged:		0.31	0.31
	स्वीकृत		Voted:	2.33	2459.01	2461.34

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है :

- (क) (i) जनवरी और फरवरी, 2010 के लिए चावल और गेहूं के अतिरिक्त आवंटन (प्रति परिवार 10 कि.ग्रा. प्रति माह) के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी के सम्बन्ध में भुगतान (1207.00 करोड़ रुपए)।
  - (ii) जनवरी और फरवरी, 2010 के लिए (252.00 करोड़ रुपए) चावल और गेहूं के अतिरिक्त आवंटन के कारण सब्सिडी सहित खाद्यान्नों के विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति पर राज्य सरकार को सब्सिडी (1252.00 करोड़ रुपए)।

इस पूरक अनुदान में 2459.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (ख) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित केन्द्रीय सतर्कता सिमित संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। इस प्रयोजन हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 0.31 करोड़ रुपए अग्रिम की प्रतिपूर्ति निधि में पूरक अनुदान के स्वीकृत हो जाने के बाद की जाएगी। चूंकि समतुल्य राशि राजस्व स्वीकृत भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडार गोदामों के निर्माण हेतु जम्मू एवं कश्मीर में भूमि अधिग्रहण हेतु (9.68 करोड़ रुपए) हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 7.35 करोड़ रुपए की बचतों और अनुदान के राजस्व भाग के तहत 2.33 करोड़ रुपए की बचतों जिसका अभ्यर्पण किया जाएगा, को ध्यान में रखने के बाद इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) लिक्षत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में खाद्यान्न की अधिप्राप्ति हेतु इसके नकद प्रवाह की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

- (a) (i) For payment to Food Corporation of India towards subsidy on account of additional allocation of rice and wheat (10 Kg. per family per month) for January and February, 2010 (Rs.1207.00 crore).
  - (ii) Subsidy to State Govt. on decentralized procurement of food grains (Rs.1252.00 crore) including subsidy on account of additional allocation of rice and wheat (10 Kg. per family per month) for January and February, 2010 (Rs.252.00 crore).

The supplementary will entail cash out go of Rs.2459.00 crore.

- (b) For meeting expenses on Central Vigilance Committee constituted as per the directions of Supreme Court of India. An advance of Rs. 0.31 crore sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose shall be recouped to the Fund after the supplementary grant is passed. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted Section, there will be no cash outgo.
- (c) For acquiring land in Jammu & Kashmir for construction of storage godowns by Food Corporation of India (Rs.9.68 crore). Taking into account savings of Rs.7.35 crore available within the same Section of the Grant and the savings of Rs.2.33 crore under the Revenue Section of the Grant, which will be surrendered, this supplementary will not entail cash outgo.
- (d) Ways and Means Advances to Food Corporation of India (FCI) to meet its cash flow requirements towards procurement of food grains for Targeted Public Distribution System (TDPS). A token supplementary is sought.

### संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 ओर वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)। (See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1239.00	36.10	1276.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	9.00	9.02
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	11.00	11.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	1239.94	56.10	1296.04

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना आयोज	ाना-भिन्न	जोड़
				Plan No	n-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2205-कला और संस्कृति	स्वीकृत	2205-Art and Culture	Voted:	0.01(कa)	0.01(खb)	0.02
जोड़ (राजस्व)	स्वीकृत	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	0.01	0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4202-खेल शिक्षा, कला		4202-Capital Outlay on				
और संस्कृति पर		Education Sports, Art				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	and Culture	Voted:	11.00 (गc)		11.00
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत	Total (Capital Section)	Voted:	11.00	•••	11.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	11.01	0.01	11.02

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनार्थ है:

- (क) (i) पश्चिम बंगाल, तिमलनाडु, राजस्थान तथा दिल्ली राज्य सरकारों के खरीद, मुद्रण पेपर, पुस्तकों मुद्रण तथा वाइडिंग पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु साहित्य अकादमी को सहायता अनुदान (3.00 करोड़ रुपए).
  - (ii) नई दिल्ली स्थित रविन्द्र भवन परिसर को राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के माध्यम से मरम्मत/पुनरुद्धार के लिए ललित कला अकादमी को सहायता अनुदान (4.14 करोड़ रुपए).
  - (iii) विभिन्न चल रहे कार्यक्रमों पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जोनल सांस्कृतिक केन्द्रों को सहायता अनुदान और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान लखनऊ तथा देहरादून में आयोजित होनेवाले ओक्टावे उत्सव के प्रस्तावित संस्करण (3.00 करोड़ रुपए)।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-aid to Sahitya Akademi for meeting additional expenditure on purchase of printing papers, printing and binding of books to meet the requirement of State Govts. of West Bengal, Tamil Nadu, Rajasthan and Delhi (Rs. 3.00 crore).
  - (ii) Grants-in-aid to Lalit Kala Akademi towards repair/ renovation of Rabindra Bhawan Complex at New Delhi through National Building Construction Corporation (Rs. 4.14 crore).
  - (iii) Grants-in-aid to Zonal Cultural Centres to meet the requirements of additional expenditure on various ongoing programmes, and on account of the proposed editions of OCTAVE Festival to be held at Lucknow and Dehradun during the current financial year (Rs. 3.00 crore).

- (iv) राष्ट्र मण्डल खेल, 2010 के सम्बन्ध में "डिपीएल रिविन्ड्स" नामक प्रदर्शनी के आयोजन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु दिल्ली पब्लिक लाइवेरी को सहायता अनुदान (0.27 करोड़ रुपए)।
- (v) नेहरु तारामण्डल के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन, तीनमूर्ति भवन में मुख्य भवन तथा इसके सौंध-दोनों में एअर-कांडिसनिंग प्रणाली की स्थापना पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नेहरु मैमोरियल म्यूजियम तथा लाइवेरी को सहायता अनुदान; तथा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण फैलोशीप राशी तथा फैलोशीप बकाया राशि पर अतिरिक्त व्यय आवश्यकता की (11.25 करोड़ रुपए) पूर्ति हेत्।
- (vi) बिरला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कोलकाता (बीआईटीएम) के परिसरों का पुनरुद्धार/मरम्मतों पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालयों को सहायता अनुदान; अपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र पटना का विकास कार्य; दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र का पुनरुद्धार तथा उन्नयन; विश्वेशैरया औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय, बंगलौर (बीआईटीएम) में उन्नयन कार्य; जिला विज्ञान केन्द्र, गुलवर्ग में 8 एम-तारामण्डल गुम्बल, का निर्माण; बीआईटीएम कोलकाता तथा बीआईटीएम, बंगलौर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी इकाइयों की अधिप्राप्ति (4.27 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत वचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पुरक की मांग की गयी है.

- (ख) (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर वेतनों/पेंशन सम्बन्धी लाभों पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों सहायता अनुदानः
  - केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी (2.38 करोड़ रुपए)।
  - 2. केन्द्रीय बौद्ध तिब्बती अध्ययन संस्थान, लेह (1.40 करोड़ रुपए)।
  - 3. भारतीय संग्रहालय, कोलकाता (1.34 करोड़ रुपए)।
  - (ii) मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान "कजाख" तथा "कुवैत" में भारत महोत्सव के आयोजन पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति हेत् आयोजन संस्थाओं को सहायता अनुदान (1.29 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध है, इसलिएसांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

(ग) नई दिल्ली स्थित एएसआई में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सीपीडब्ल्यूडी, को भुगतान करने के लिए भारतीय पुरातत्व (एएसआई) को अतिरिक्त सहायता (11.00 करोड़ रुपए) प्रदान करना,

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग से समान राशि अभ्यार्पित की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (iv) Grants-in-aid to Delhi Public Library to meet the additional expenditure on organizing an exhibition called "DPL Rewinds" in connection with Commonwealth Games, 2010 (Rs. 0.27 crore).
- (v) Grants-in-aid to Nehru Memorial Museum and Library to meet the requirements of additional expenditure on modernization and up-gradation of the Nehru Planetarium; installation of Air Conditioning System both in the main building and its Annexe building at Teen Murti Bhawan; and to meet the additional expenditure requirements on Fellowships and arrears of Fellowship on account of implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission (Rs.11.25 crore).
- (vi) Grants-in-aid to National Council of Science Museums to meet the additional expenditure requirements on renovation/repairs of premises of Birla Industrial and Technological Museum (BITM), Kolkata; development work of Sub-Regional Science Centre, Patna; renovation and upgradation of National Science Centre at Delhi; upgradation work in

Visveshvaraya Industrial and Technological Museum (VITM), Bangalore; construction of '8M-Planetarium Dome' at District Science Centre, Gulbarga; and procurement of 3 Mobile Science Exhibition Units for rural areas for BITM, Kolkata and VITM, Bangalore (Rs. 4.27 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid to the following institutions to meet the requirements of additional expenditure on salaries/ pensionary benefits etc. on account of implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:
  - 1. Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi (Rs. 2.38 crore).
  - 2. Central institute of Buddhist Tibetan Studies, Leh (Rs.1.40 crore).
  - 3. Indian Museum, Kolkata (Rs. 1.34 crore).
  - (ii) Grants-in-aid to the Organizing Institutions to meet the additional expenditure requirements on organizing the Festival of India in "Kazakh" and in "Kuwait" during the current financial year (Rs. 1 .29 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Additional assistance to Archaeological Survery of India (ASI) for making payment to CPWD towards construction of office building for ASI at New Delhi (Rs. 11.00 crore).

As an equal amount will be surrendered in the Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.

## रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिए)। (See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 21 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Ch	arged:	0.24		0.24
	स्वीकृत		Voted:	9895.93	1473.83	11369.76
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Ch	arged:	•••	0.40	0.40
	स्वीकृत		Voted:	29.81	0.01	29.82
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	896.61		896.61
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary	7)	10822.59	1474.24	12296.83
	भारित	C	harged:	0.24	0.40	0.64
	स्वीकृत		Voted:	10822.35	1473.84	12296.19

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य		2052-Secretariat-General				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		133.17 (कa)	133.17
2075-विविध सामान्य		2075-Miscellaneous				
सेवाएं	स्वीकृत	General Services	Voted:		763.44 (खb)	763.44
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	896.61	896.61

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (क) विभिन्न छावनी बोर्डों के कर्मचारीवृंद को दिए गए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनों पर 163.32 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध (30.15 करोड़ रुपए) की बचतों को ध्यान में रखते हुए, शेष राशि (133.17 करोड़ रुपए) के लिए पूरक की मांग की गई है। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) विभाग द्वारा संचालित वाणिज्यिक उपक्रम कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट (सीएसडी) द्वारा अधिक स्टोरों की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (763.44 करोड़ रुपए) हेतु। कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट की अतिरिक्त प्राप्तियों (300 करोड़ रुपए) और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों (186.13 करोड़ रुपए) को ध्यान में रखते हुए जो अभ्यर्पित की जाएगी, इस पूरक में 277.31 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।
- (a) To meet the additional expenditure of Rs.163.32 crore on salaries for implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission to the staff of various Cantonment Boards. Taking into account the savings available (Rs.30.15 crore) in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount is sought (Rs.133.17 crore). This will entail cash outgo.
- (b) To meet the additional expenses on procurement of more stores by Canteen Stores Department (CSD), a departmentally-run commercial undertaking (Rs.763.44 crore). Taking into account additional receipts on account of Canteen Stores Department (Rs.300 crore) and savings available under Capital Section of the grant (Rs.186.13 crore), which will be surrendered, this supplementary will entail net cash outgo of Rs.277.31 crore.

# रक्षा पेंशन DEFENCE PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिए)। (See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 22 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charge	ed:	0.25		0.25
	स्वीकृत	Vote	ed: 2	21789.75	•••	21789.75
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Vote	ed:	2210.00		2210.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत	Vote	ed:	2000.00		2000.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2	26000.00	•••	26000.00
	भारित	Charge	ed:	0.25		0.25
	स्वीकृत	Vote	ed: 2	25999.75		25999.75

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2071-पेंशन और अन्य		2071-Pensions and Other				
सेवानिवृत्ति लाभ	स्वीकृत	Retirement Benefits	Voted:		2000.00	2000.00

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण पेंशन, परिवार पेंशन, उपदान, पेशन का संराशीकृत पेंशन मूल्य, छुट्टी नकदीकरण और 60 प्रतिशत बकाया राशि के भुगतान और वर्ष 2009-2010 के दौरान नए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया हैं। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of increased requirement in pension, family pension, gratuity, commuted value of pension, leave encashment and payment of 60% of arrears on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and also due to increase in the number of fresh retirees during the year 2009-2010. This will entail cash outgo.

# रक्षा सेवाएं- थल सेना DEFENCE SERVICES- ARMY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 और वर्ष 2009-2010) (See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	18.30		18.30
	स्वीकृत	Voted:	60252.53		60252.53
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
-	भारित	Charged:	1.79		1.79
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	60272.62	•••	60272.62
	भारित	Charged:	20.09		20.09
	स्वीकृत	Voted:	60252.53		60252.53

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2076-रक्षा सेवाएं-		2076-Defence Services-				
थल सेना	भारित	Army	Charged:	•••	1.79	1.79

यह पूरक विनियोग न्यायालय की डिक्रियों से होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान से समतुल्य बचतें अभ्यर्षित की जाएंगी, अतः इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure arising out of Court decrees. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

# रक्षा सेवाएं- नौ सेना DEFENCE SERVICES- NAVY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)। (See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 23 of the first Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भा	रित Charged:	1.73		1.73
स्वीद्	रुत Voted:	8402.38	•••	8402.38
पूरक अनुदानः	SUPPLEMENTARY GRANT:			
भा	रेत Charged:	2.50		2.50
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
स्वीद्	रुत Voted:	1033.32	•••	1033.32
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9439.93	•••	9439.93
भार	रित Charged:	4.23	•••	4.23
स्वीद्	voted:	9435.70		9435.70

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2077-रक्षा सेवाएं-		2077-Defence Services-				
नौ सेना	स्वीकृत	Navy	Voted:		1033.32	1033.32

टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

**Note:** The above estimates do not include the recoveries, shown below which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD
2077-रक्षा सेवाएं-	2077- Defence Services-
नौ सेना	Navy

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बकाया राशि संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान में से समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएगी।

The supplementary Grant is required for meeting additional expenditure on account of arrears due to implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

(-)44.66

(-)44.66

# रक्षा सेवाएं- वायु सेना DEFENCE SERVICES- AIR FORCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)। (See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	1.24		1.24
स्वीकृत	Voted:	14909.86		14909.86
पूरक अनुदानः	SUPPLEMENTARY GRANT:			
भारित	Charged:	1.45		1.45
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
भारित	Charged:	0.22		0.22
स्वीकृत	Voted:	361.98		361.98
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15274.75	•••	15274.75
भारित	Charged:	2.91	•••	2.91
स्वीकृत	Voted:	15271.84		15271.84

- II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2078-रक्षा सेवाएं-		2078-Defence Services-				
वायु सेना	भारित	Air Force	Charged:	•••	0.22 (কa)	0.22
	स्वीकृत		Voted:		361.98 (खb)	361.98
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)		•••	362.20	362.20
	भारित		Charged:	•••	0.22	0.22
	स्वीकृत		Voted:		361.98	361.98

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित हैः

- The supplementary appropriation/grant is required for the following purposes:
- (क) न्यायालय की डिक्रियों से होने वाले 0.22 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत्।
- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वायुसेना के वेतन और भत्तों के अन्तर्गत 361.98 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान से समत्ल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएगी।
- (a) Rs.0.22 crore to meet additional expenditure arising out of Court Decrees.
- (b) Rs.361.98 crore for meeting additional expenditure under Pay and Allowances of Air Force on account of implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.

This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

# रक्षा आयुध कारखाने **DEFENCE ORDNANCE FACTORIES**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिए)। (See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
2	गरित Charg	ged: 1.50	•••	1.50
र्स्व	ोकृत Vo	ted: 2495.45		2495.45
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
र्स्व	ोकृत Vo	ted: 1337.57		1337.57
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3834.52	•••	3834.52
2	गरित Char	ged: 1.50		1.50
र्स्व	ीकृत Vo	oted: 3833.02		3833.02

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
नुख्य साप	10	MAJOK HEAD				
2079-रक्षा आयुध	2	2079-Defence Ordnanc	e			
कारखाने	स्वीकृत	Factories	Voted:	•••	1337.57	1337.57

यह पूरक अनुदान रक्षा सेवाओं के भंडारों और और आपूर्तियों के लिए सेवाओं के पूंजी अनुदान से समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएगी।

The supplementary grant is required for Stores & Supplies अपेक्षित है। इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि रक्षा to Defence Services. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

# रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)। (See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	•••	44.38	44.38
स्वीकृत	Voted:	•••	54779.62	54779.62
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
भारित	Charged:		65.77	65.77
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	54889.77	54889.77
भारित	Charged:	•••	110.15	110.15
स्वीकृत	Voted:		54779.62	54779.62

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी		4076-Capital Outlay on				
परिव्यय	भारित	Defence Services	Charged:		65.77	65.77

यह पूरक विनियोग न्यायालय की डिक्रियों से होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा, क्योंकि अनुदान के स्वीकृत भाग से समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure arising out of Court decrees. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the voted section of the Grant.

## पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 ओर वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिए)। (See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 25 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1331.97	290.30	1622.27
पूरक अनुदानः	0	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	1331.98	290.31	1622.29

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी		4552-Capital Outlay on				
परिव्यय	स्वीकृत	North Eastern Areas	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान "अरुणाचल प्रदेश में खुप्पी से तवांग तक 132 केवी सिंगल सर्किट ट्रान्सिमशन लाईन" योजना के लिए माँग गया है। इस व्यय की पूर्ति सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से की जाएगी (35.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँग गया है। The supplementary grant is sought for the scheme, "132 KV single circuit transmission line from Khuppi to Tawang in Arunachal Pradesh". The expenditure will be met from Social and Infrastructure Development Fund (Rs. 35.00 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

## पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक का पृष्ठ 26 तथा 27 देखिए)।

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 & page 26 and 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.15		0.15
स्वीकृत	Voted:	922.82	290.38	1213.20
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	0.04	0.01	0.05
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.38	0.01	0.39
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	923.39	290.40	1213.79
भारित	Charged:	0.15		0.15
स्वीकृत	Voted:	923.24	290.40	1213.64

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3403-समुद्र विज्ञान संबंधी		3403-Oceanographic				
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	0.01 (কa)		0.01
3455-मौसम विज्ञान	स्वीकृत	3455-Meteorology	Voted:		0.37 (खb)	0.37
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	<b>Total Revenue Section</b>	Voted:	0.01	0.37	0.38
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5455-मौसम विज्ञान		5455-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Meteorology	Voted:		0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.38	0.39

इस पूरक अनुदान को निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

- (क) उदयपुर स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में धातु निष्कर्षण संयंत्र के रख-रखाव हेतु 'पोलिमेटलिक नोड्यूल्स (पीएमएन) कार्यक्रम' योजना तहत सहायता अनुदान (0.06 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है;
- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मोडिफाइड अशुअर्ड कैरियर प्रोग्रशन के कारण बकाया राशि का भुगतान (3 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत 2.63 करोड़ रुपए की बचत उपलब्ध हैं, और 0.37 करोड़ रुपए की राशि पूंजी भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा; और
- (ग) हवाई पत्तनों पर मौसम विज्ञान कार्यालयों में प्रचालनात्मक उद्देश्य के लिए मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु (1 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for:

- (a) grants-in-aid under the scheme 'Polymetallic Nodules (PMN) Programme' for maintenance of Metal Extraction Plant at Hindustan Zinc Limited, Udaipur (Rs.0.06 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token Supplementary is sought;
- (b) payment of arrears on account of Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.3 crore). As savings of Rs.2.63 crore are available within the same section of the Grant, and Rs.0.37 crore will be surrendered from the Capital section, there will be no cash outgo; and
- (c) meeting expenditure on procurement of motor vehicles for operational purposes in Meteorological Offices at Airports (Rs.1 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

# पर्यावरण और वन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 और 29 देखिए)। (See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 28 and 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	1.80		1.80
₹	स्वीकृत	Voted:	2090.70	36.50	2127.20
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
₹	स्वीकृत	Voted:	0.05	0.01	0.06
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
₹	स्वीकृत	Voted:	0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2092.58	36.51	2129.09
	भारित	Charged.	: 1.80		1.80
र	स्वीकृत	Voted	: 2090.78	36.51	2127.29

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2406-वानिकी और वन्यजीव	स्वीकृत	2406-Forestry and Wildlife	Voted:	0.01 (कa)	•••	0.01
2552-पूर्वोत्तर		2552- North Eastern				
क्षेत्र	स्वीकृत	Areas	Voted:	0.01 (खb)		0.01
3435-पारिस्थितिकी और	स्वीकृत	3435-Ecology and				
पर्यावरण	स्वीकृत	Environment	Voted:	0.01 (गc)		0.01
	_					
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	•••	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित हैः

- (क) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i)केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय वानिकी प्रबन्धन संस्थान (1 करोड़ रुपए) और भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (0.42 करोड़ रुपए) (ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा (20 करोड़ रुपए) और भारतीय वन्य जीव संस्थान (2.80 करोड़ रुपए) को बकाया वेतन सम्बन्धी भुगतान; (iii) बाघ आकलन कार्य के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (4.82 करोड़ रुपए); और (iv) विश्व बैंक के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्राप्त जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका परियोजना (0.10 करोड़ रुपए)।
- (ख) राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड को देश में राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के तहत 525 वन विकास अभिकरणों की सहायता के लिए सहायता अनुदान (10 करोड़ रुपए)।

- The supplementary grant is sought for:
- (a) Grants-in-aid (i) to Indian Institute of Forestry Management (Rs. 1 crore) and Indian Plywood Industries Research Institute (Rs. 0.42 crore) for implementing the directives issued by the Ministry of Human Resource Development to provide reservation in the Central Educational Institutions; (ii) on account of Salary arrears to Indian Council of Forestry Research and Education (Rs. 20 crore) and Wildlife Institute of India (Rs. 2.80 crore) due to implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government; (iii) to National Tiger Conservation Authority for Tiger estimation work (Rs. 4.82 crore); and (iv) towards implementation of World Bank aided Biodiversity Conservation and Rural Livelihood Project (Rs. 0.10 crore).
- (b) Grants-in-aid to National Afforestation and Eco-Development Board to support 525 Forest Development Agencies under National Afforestation Programme in the country (Rs. 10 crore).

- (ग) जैव विविधता संरक्षण को स्थापना संबंधी व्यय और बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि पर व्यय के लिए सहायता अनुदान (0.35 करोड़ रुपए)।
- चूंकि, अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (c) Grants-in-aid to Biodiversity Conservation for establishment related expenditure and expenses on meetings, seminars, conferences, etc. (Rs. 0.35 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token Supplementary is sought in each case.

# विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिए)। (See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 30 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Cl	harged:	0.03		0.03
	स्वीकृत		Voted:	5767.97	525.00	6292.97
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:		297.50	297.50
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	40.01		40.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary	7)	5808.01	822.50	6630.51
	भारित	C	harged:	0.03		0.03
	स्वीकृत		Voted:	5807.98	822.50	6630.48

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2061-विदेश	स्वीकृत	2061-External Affairs	Voted:		0.01 (कa)	0.01
3605-अन्य देशों के साथ		3605-Technical & Economic				
तकनीकी तथा आर्थिक		Cooperation with				
सहयोग	स्वीकृत	Other Countries	Voted:	40.00 (खb)		40.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	40.00	0.01	40.01

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैं:

(क) भारतीय विश्व मामले (2.60 करोड़ रुपए), विकासशील देशों हेतु अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली (0.85 करोड़ रुपए), भारतीय अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध अनुसंधान परिषद (0.09 करोड़ रुपए) और यूएन पीस कीपिंग फोर्स (0.18 करोड़ रुपए) के सहायता अनुदान में वृद्धि करने के लिए। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग

में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ख) भूटान (50.50 करोड़ रुपए) और अफगानिस्तान (32.00 करोड़ रुपए) को सहायता प्रदान करने हेतु। चूंकि 42.50 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः इसमें 40.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा। The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) To enhance Grants-in-aid to Indian Council of World Affairs (Rs.2.60 crore), Research & Information System for Developing Countries (Rs.0.85 crore), Indian Council for Research on International Economic Relations (Rs.0.09 crore) and United Nations Peace Keeping Force (Rs.0.18 crore). As savings are available within the same Section of Grant, a token supplementary is sought.
- (b) To provide aid to Bhutan (Rs.50.50 crore) and Afghanistan (Rs.32.00 crore). As savings of Rs.42.50 crore are available within the same Section of Grant, it will entail cash outgo of Rs.40.00 crore.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

22536.35

#### मांग संख्या DEMAND NO. 32

## आर्थिक कार्य विभाग DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)। (See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

पुंजी जोड राजस्व Capital **Total** Revenue I. ORIGINAL GRANT: 5636.42 7763.65 13400.07 Voted: SUPPLEMENTARY GRANT: Voted: 0.01 0.01 Supplementary Estimate of the amount now required: Voted: 0.01 9136.26 9136.27

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

Voted:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

5636.44

16899.91

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3075-अन्य परिवहन		3075-Other Transport				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	•••	0.01 (कa)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5466-अंतराष्ट्रीय वित्तीय		5466-Investments in				
संस्थाओं में निवेश	स्वीकृत	Financial Institutions	Voted:		9136.26 (खb)	9136.26
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	9136.27	9136.27

Total (Original plus Supplementary)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

स्वीकृत

स्वीकृत

स्वीकृत

स्वीकृत

I. मूल अनुदानः

पूरक अनुदानः

का पूरक अनुमान

इस समय आवश्यक रकम

जोड़ (मूल और पूरक)

- (क) रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के संबंध में अतिरिक्त सब्सिडियां प्रदान करने के लिए (157.01 करोड़ रुपए) और रेलवे को महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों के संचालन पर हानियों की प्रतिपूर्ति (54.48 करोड़ रुपए)। चूंिक अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) निम्नलिखित लेन-देनों के लिए प्रतिभूतियों (9240.98 करोड़ रुपए) के सृजन के संबंध में:
  - (i) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत के कोटे में बढोत्तरी।
  - (ii) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अनुरक्षण मूल्य का भुगतान।

अनुदान के इसी भाग में 104.72 करोड़ रुपए की बचतों, अनुदान के राजस्व भाग में 185.58 करोड़ रुपए का अभ्यर्पण और वर्धित प्राप्तियों को ध्यान में रखने के पश्चात 9136.26 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि इसे प्रतिभूतियों के रूप में होने वाली प्राप्तियों से समतुल्य किया जाएगा।

This supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) For providing additional subsidies to Railways towards dividend relief and other concessions (Rs.157.01 crore) and reimbursement of losses to Railways on operating Strategic Railway Lines (Rs.54.48 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Towards creation of securities (Rs.9240.98 crore) for the following transactions:
  - (i) India's quota increase in the International Monetary Fund (IMF).
  - (ii) Maintenance of Value (MoV) payment to International Monetary Fund (IMF).

After taking into account the savings of Rs.104.72 crore in the same Section of the Grant, surrender of Rs.185.58 crore available in the Revenue section of the Grant and enhanced receipts, the supplementary for Rs.9136.26 crore is sought. There is no cash out go as this will be matched by receipts in the form of securities.

### वित्तीय सेवा विभाग

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)। (See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 32 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान		I. ORIGINAL GRANT				
	स्वीकृत	V	oted:	35446.52	2967.02	38413.54
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	V	oted:	400.02	1266.00	1666.02
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत	V	oted:	625.00	1107.98	1732.98
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	ary)			
	स्वीकृत	V	oted:	36471.54	5341.00	41812.54

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3465-सामान्य वित्तीय और		3465-General Financial and				
व्यापारिक संस्था	स्वीकृत	<b>Trading Institutions</b>	Voted:		625.00	625.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5465-सामान्य वित्तीय और		5465-Investments in General				
व्यापारिक संस्थाओं में	स्वीकृत	Financial and Trading				
निवेश		Institutions	Voted:		1107.98	1107.98
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	1732.98	1732.98

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के अभिदान के एवज में जारी प्रतिभूतियों के मोचन हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान के लिए भुगतान हेतु (625 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को सहायता प्रदान करने हेतु सार्वजिनक क्षेत्र के बैकों जैसे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (450 करोड़ रुपए), यूको बैंक (450 करोड़ रुपए) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (300 करोड़ रुपए) पूंजी की आवश्यकता (1200 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु तािक ये बैंक अपना जोखिम-भारित परिसम्पत्ति अनुपात के सम्बन्ध में पूंजी का वहनीय स्तर बनाए रख सकें, तथा विश्व बैंक ऋण के माध्यम से सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं (0.01 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (92.03 करोड़ रुपए) और अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों (69.70 करोड़ रुपए) को ध्यान में रखते हुए, इस पूरक अनुदान में 1038.28 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) For making payment (Rs.625 crore) towards contribution to Securities Redemption Fund for redeeming Securities issued against subscription to the Rights Issue of equity shares of State Bank of India. As savings are available in the capital section of the Grant, there will be no cash out go.
- (b) To meet the capital requirements (Rs.1200 crore) of Public Sector Banks viz., Central Bank of India (Rs.450 crore), UCO Bank (Rs.450 crore) and United Bank of India (Rs.300 crore) with a view to enable these Banks to maintain a comfortable level of Capital to Risk-weighted Assets Ratio(CRAR) for supporting the credit requirements of the productive sectors of the economy and to meet the capital requirements of Public Sector Banks (Rs. 0.01 crore) through World Bank loan. After taking into account the savings (Rs.92.03 crore) available in the same section of the Grant and under Revenue Section of the Grant (Rs.69.70 crore), the cash outgo on account of this supplementary will be Rs. 1038.28 crore.

# राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिए)। (See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 34 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charg	ged:	34394.08	6625.00	41019.08
	स्वीकृत	Vo	oted:	69174.09		69174.09
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charg	ged:		1400.00	1400.00
	स्वीकृत	Vo	oted:	1200.02		1200.02
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	भारित	Charg	ged:		800.00	800.00
	स्वीकृत	Vo	oted:	6892.00		6892.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		111660.19	8825.00	120485.19
	भारित	Char	ged:	34394.08	8825.00	43219.08
	स्वीकृत	Vo	oted:	77266.11		77266.11

- II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2245-प्राकृतिक आपदाओं		2245-Relief on account				
संबंधी राहत	स्वीकृत	of Natural Calamities	Voted:	•••	660.00 (कa)	660.00
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:	6232.00 (खb)		6232.00
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	<b>Total Revenue Section</b>	Voted:	6232.00	660.00	6892.00
पूंजी भाग	_	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
7601-राज्य सरकारों को		7601-Loans and Advances				
ऋण और अग्रिम	भारित	to State Governments	Charged:	800.00 (गट)		800.00
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		7032.00	660.00	7692.00
	भारित		Charged:	800.00		800.00
	स्वीकृत		Voted:	6232.00	660.00	6892.00
		टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में निम्न किया जाता है। Note: The above estimates do	Ci			
		reduction of expenditur		e recoveries snowi	i below, which	are aajustea in
राजस्व भाग		REVENUE SECTION	с.			
३६०१-राज्य सरकारों को		3601- Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:	(-)4832.00	(	-)4832.00
						<u>-</u>

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:-

The supplementary Appropriation/Grant is required for the following purposes: -

- (क) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) को अंतरण। चूंकि इस राशि की पूर्ति राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क से की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) विशेष आयोजना सहायता (1100 करोड़ रुपए)। इसमें कोई
- (a) Transfer to National Calamity Contingency Fund (NCCF). Since the amount will be met from National Calamity Contingent Duty (NCCD), there will be no cash outgo.
- (b) (i) Special Plan Assistance (Rs. 1100 core). It does not

- नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि समतुल्य राशि अनुदान के राजस्व (भारित) भाग से अभ्यर्पित की जाएगी।
- (ii) कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त विद्युत प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार (800 करोड़ रुपए) और हिरयाणा सरकार (400 करोड़ रुपए) को अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 900 करोड़ रुपए बचतों को ध्यान में रखते हुए, शेष आवश्यकता (300 करोड़ रुपए) की पूर्ति अनुदान के राजस्व (भारित) भाग से अभ्यर्पण की जाएगी।
- (iii) राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) में 1922 करोड़ रुपए जमा करने के लिए जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी मिशन पर व्यय की पूर्ति हेतु एनआईएफ से उक्त राशि का आहरण। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (iv) राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से 2910 करोड़ रुपए जमा करने के लिए तथा साथ ही त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम पर व्यय की पूर्ति हेतु उक्त राशि का आहरण। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के सम्बन्ध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता। चूंकि अनुदान के राजस्व (भारित) भाग से समकक्ष राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- entail any cash outgo, as equivalent amount will be surrendered from the Revenue (Charged) Section of the Grant.
- (ii) Additional Central Assistance for Other Projects to Government of Punjab (Rs. 800 crore) and Government of Haryana (Rs. 400 crore) for providing additional power to agriculture sector. Taking into account savings of Rs. 900 crore available in the same Section of the Grant, the balance requirement will be met by surrendering Rs. 300 crore from the Revenue (Charged) Section of the Grant.
- (iii) For crediting Rs. 1922 crore to the National Investment Fund (NIF) and also to draw the same amount from NIF for meeting expenditure on Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM). It will not entail any cash outgo.
- (iv) For crediting Rs. 2910 crore to the National Investment Fund (NIF) and also to draw the same amount from NIF for meeting expenditure on Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP). It will not entail any cash outgo.
- (c) Additional Central Assistance (ACA) for Externally Aided Project. This supplementary does not entail cash outgo as equivalent amount will be surrendered from the Revenue (Charged) Section of the Grant.

### संख्या NO.37 (विनियोग) (APPROPRIATION)

# ऋण की वापसी अदायगी REPAYMENT OF DEBT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)। (See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल विनियोगः		I. ORIGINAL APPROPRIA	TION:			
	भारित		Charged:		1880843.21	1880843.21
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	भारित		Charged:	•••	1367361.86	1367361.86
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	ntary)			
	भारित		Charged:	•••	3248205.07	3248205.07

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-वि Non-Pla	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6001-केन्द्र सरकार के		6001-Internal Debt of				
आंतरिक ऋण	भारित	Central Government	Charged:		1367165.21 (	₹a) 1367165.21
6002-विदेशी ऋण	भारित	6002-External Debt	Charged:		196.65	196.65
जोड़ (पूरक)	भारित	Total (Supplementary)	Charged:	•••	1367361.86	1367361.86

यह पूरक विनियोग निधियों की अतिरिक्त आवश्कता की पूर्ति हेतु अपेक्षितः

- (क) सामान्य बाजार उधारों के अन्तर्गत 91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (130001 करोड़ रुपए), 182 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (2516 करोड़ रुपए), 14 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (1352649 करोड़ रुपए) और 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (5599 करोड़ रुपए) का उन्मोचन बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत दिनांकित प्रतिभूतियां (33000 करोड़ रुपए), अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ)-वित्तीय लेन देन योजना (एफटीपी) आरबीआई (39.89 करोड़ रुपए) को पारिश्रमिक हिस्सा, अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेन्सी (0.01 करोड़ रुपए), अफ्रीका विकास निधि (9.80 करोड़ रुपए), 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1993 (0.34 करोड़ रुपए), 8.5 प्रतिशत राहत बॉण्ड 2001 (1.23 करोड़ रुपए) और 8 प्रतिशत राहत बॉण्ड 2002 पर (40.96 करोड़ रुपए)।
- (ख) विदेशी ऋण की वापसी अदायगी।

चूंकि 156693.07 करोड़ रुपए की बचतें विनियोग में उलब्ध हैं, अतः 1367361.86 करोड़ रुपए की शेष राशि का पूरक मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि व्यय की पूर्ति प्राप्तियों से पूरी की जाएगी।

The Supplementary Appropriation is required to meet additional requirement of funds towards:

- (a) Discharge of 91 day Treasury Bills (Rs.130001 crore), 182 day Treasury Bills (Rs.2516 crore), 14 day Treasury Bills (Rs.1352649 crore) and 364 day Treasury Bills (Rs.5599 crore) under normal market borrowings, Dated Securities under Market Stabilisation Scheme (MSS) (Rs.33000 crore), International Monetary Fund (IMF) -Financial Transaction Plan (FTP) -share of remuneration to RBI (Rs.39.89 crore), International Development Agency (Rs.0.01 crore) African Development Fund (Rs. 9.80 crore), 9% Relief Bond, 1987 (Rs.1.05 crore), 9% Relief Bond, 1993 (Rs.0.34 crore), 8.5% Relief Bond, 2001 (Rs.1.23 crore) and 8% Relief Bond, 2002 (Rs.40.96 crore).
- (b) Repayment of External Debt.

As savings of Rs.156693.07 crore is available within the Appropriation, supplementary for the balance amount of Rs. 1367361.86 crore is sought. There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

### पेंशन

#### **PENSIONS**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिए)। (See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page No.36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान		I. ORIGINAL GRANT			
	भारित	Charged:	67.59		67.59
	स्वीकृत	Voted:	10899.08		10899.08
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	4533.33		4533.33
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	2380.00		2380.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	17880.00	•••	17880.00
	भारित	Charged:	67.59		67.59
	स्वीकृत	Voted:	17812.41		17812.41

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2071-पेंशन और अन्य		2071-Pensions and Other				
सेवानिवृति लाभ	स्वीकृत	Retirement benefits	Voted:		2379.75 (कa)	2379.75
2235-सामाजिक सुरक्षा		2235-Social Security and				
और कल्याण	स्वीकृत	Welfare	Voted:		0.25 (खb)	0.25
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	2380.00	2380.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु आवश्यक हैः

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन होने पर पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ख) सरकारी सेवकों जो सेवारत प्रणांत हो गए, वो अनुग्रह भुगतान करने पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत्। इसमें नकद व्यय होगा।
- (a) For meeting additional expenditure on Pensions and other Retirement benefits on account of implementation of recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government. This will entail cash outgo.
- (b) For meeting additional expenditure on account of Exgratia payment for Government servants who die in harness. This will entail cash outgo.

# भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)। (See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	62.20		62.20	
स्वीकृत	Voted:	2287.93	2.70	2290.63	
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	the amount now required:				
भारित	Charged:	3.68		3.68	
स्वीकृत	Voted:	32.10	•••	32.10	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2385.91	2.70	2388.61	
भारित	Charged:	65.88	•••	65.88	
स्वीकृत	Voted:	2320.03	2.70	2322.73	

- II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2016-लेखा परीक्षा	भारित	2016-Audit	Charged:		3.68 (कa)	3.68
	स्वीकृत		Voted:	•••	32.10 (खb)	32.10
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			35.78	35.78
	भारित		Charged:		3.68	3.68
	स्वीकृत		Voted:	•••	32.10	32.10

<sup>(</sup>क) और (ख) इस पूरक अनुदान की आवश्यकता अतिरिक्त संस्थापन और वेतन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

<sup>(</sup>a) & (b) The supplementary grant/appropriation is sought for meeting additional establishment and salary related expenditure. This will entail cash outgo.

### राजस्व भाग DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)। (See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 37 of First Supplimentary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी Revenue Capital **Total** I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: भारित 0.02 0.02 Charged: स्वीकृत Voted: 9645.54 2.31 9647.85 स्वीकृत पूरक अनुदानः SUPPLEMENTARY GRANT: Voted: 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान स्वीकृत Voted: 2757.36 2757.36 the amount now required: जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 12402.93 2.31 12405.24 भारित Charged: 0.020.02स्वीकृत Voted: 12402.91 2.31 12405.22

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
0						
2070-अन्य प्रशासनिक		2070-Other Administrative				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		0.18(कa)	0.18
3601-राज्य सरकारों को सहायत	Г	3601-Grants-in-aid to State				
अनुदान	स्वीकृत	Governments	Voted:		2757.18(खb)	2757.18
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	2757.36	2757.36

- इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजन हेत् है:
- (क) राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग नियंत्रण निधि (एनएफसीडीए) में से सहायता अनुदान (1.81 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु, एनएफसीडीए को निधियों का अन्तरण तथा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के संस्थापना सम्बन्धी व्यय (2.30 करोड़ रुपए)।
- (ख) केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुए राजस्व नुकसान (2465.68 करोड़ रुपए) और मूल्य वर्धित कर (वैट) (402 करोड़ रुपए) के कार्यान्वयन की वजह से राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (114.43 करोड़ रुपए) और 16.27 करोड़ रुपए राशि की वर्धित वसूलियों को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही अनुदान के पूंजी भाग के अन्तर्गत बचतों (0.67 करोड़ रुपए) को ध्यान में रखते हुए, इस पूरक के कारण नकद व्यय 2740.42 करोड़ रुपए होगा।

The Supplementary Grant is required for the following purposes:

- (a) For meeting Grants-in-aid expenditure (Rs.1.81 crore) out of the National Fund for Control of Drug Abuse (NFCDA), transfer of funds to NFCDA and establishment related expenditure of Central Bureau of Narcotics (Rs.2.30 crore).
- (b) For meeting additional requirement for compensation to State Governments for revenue loss due to phasing out of Central Sales Tax (Rs.2465.68 crore) and implementaion of Value Added Tax (VAT) (Rs. 402 crore).

After taking into account the savings (Rs.114.43 crore) available in the same section of the Grant and utilising enhanced recoveries amounting to Rs.16.27 crore and also savings under Capital Section of the Grant (Rs.0.67 crore), the cash outgo on account of this supplementary will be Rs.2740.42 crore.

### अप्रत्यक्ष कर INDIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिए)। (See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	1.20		1.20
	स्वीकृत	Voted:	3093.80	290.00	3383.80
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	22.77		22.77
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	3117.77	290.00	3407.77
	भारित	Charged:	1.20		1.20
	स्वीकृत	Voted:	3116.57	290.00	3406.57

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2038-केन्द्रीय उत्पाद		2038-Union Excise				
शुल्क	स्वीकृत	Duties	Voted:	•••	22.77	22.77

यह पूरक अनुदान केन्द्रीय उत्पाद-कार्यालयों के वेतनों पर अतिरिक्त व्यय (37 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

The supplementary grant is required to meet additional expenditure (Rs.37 crore) on account of salaries of Central Excise Offices.

चूंकि 14.23 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं और 22.77 करोड़ रुपए की समतुल्य राशि अनुदान के पूंजी भाग से अभ्यर्पित की जाएगी। इस पूरक में नगद व्यय नहीं होगा।

As savings of Rs.14.23 crore are available under the same section of the grant and an equivalent amount of Rs.22.77 crore will be surrendered from the Capital Section of the Grant. This supplementary will not entail cash out go.

# विनिवेश विभाग DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिए)। (See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Vote	ed: 18.78	2240.00	2258.78
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Vote	ed:	3139.90	3139.90
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Vote	ed: 23.42		23.42
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Vote	ed: 42.20	5379.90	5422.10

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय आर्थिक		3451-Secretariat Economic				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		23.42	23.42
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	23.42	23.42

यह पूरक अनुदान नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओं) ऑफ इंडिया लिमिटेड और फोलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) (23.42 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

Supplementary grant is sought for payment of Government's share of issue expenses in the Initial Public Offering (IPO) of Oil India Limited and Follow-on Public Offering (FPO) of National Thermal Power Corporation (Rs.23.42 crore).

This will entail cash outgo.

## खाद्य प्रंसस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिए)। (See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	310.50	40.00	350.50
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	ntary)			
	स्वीकृत		Voted:	310.53	40.00	350.53

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं		3451-Secretariat-Economic				
	स्वीकृत	Services	Voted:	0.01 (कa)	•••	0.01
2408-खाद्य भण्डारण और भाण्डा	गारण	2408-Food Storage and				
	स्वीकृत	Warehousing	Voted:	0.01 (खb)	•••	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552-North Eastern				
	स्वीकृत	Areas	Voted:	0.01 (गc)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	•••	0.03

निम्नलिखित हेतु पूरक अनुदान अपेक्षित हैः

- (क) भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीकी संस्थान, तंजावुर; भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड और भारतीय मीट और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड के आधुनिकीकरण पर व्यय की पूर्ति (20.70 करोड़ रूपए)।
- (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण योजना के तहत वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति (9.98 करोड़ रूपए)
- (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र सम्बन्धी प्रस्तावों पर व्यय की पूर्ति (8.16 करोड़ रूपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। The supplementary grant is required for:

- (a) Meeting the expenditure on modernisation of Indian Institute of Crop Processing Technology, Thanjavur; Indian Grape Processing Board and Indian Meat and Poultry Processing Board (Rs. 20.70 crore).
- (b) Meeting the committed liabilities under the scheme of Technology Upgradation/Modernisation of Food Processing Industries (Rs. 9.98 crore).
- (c) Meeting the expenditure on proposals relating to North Eastern Areas under the scheme of Technology Upgradation/Modernisation of Food Processing Industries (Rs. 8.16 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

# स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 तथा वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)। (See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	21024.20	1700.75	22724.95
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.03	•••	0.03
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.04	0.02	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	ary)			
	स्वीकृत		Voted:	21024.27	1700.77	22725.04

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा तथा जन		2210-Medical and Public				
स्वास्थ्य	स्वीकृत	Health	Voted:	0.01 (কa)	0.01 (खb)	0.02
2211-परिवार कल्याण	स्वीकृत	2211- Family Welfare	Voted:	•••	0.01 (गट)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (ঘd)		0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	<b>Total Revenue Section</b>	Voted:	0.02	0.02	0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा तथा जन		4210- Capital Outlay on				
स्वास्थ्य पर पूंजी		Medical and Public				
परिव्यय	स्वीकृत	Health	Voted:	0.01 (se)		0.01
4216-आवास निर्माण पर		4216- Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Housing	Voted:	0.01 (चf)		0.01
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	<b>Total Capital Section</b>	Voted:	0.02	•••	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total(Supplementary)	Voted:	0.04	0.02	0.06

इन पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ है:

- (क) (i) छठं केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण (a) (i) 'नेशनल ड्रग डि-एडिक्सन प्रोगाम' योजना के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को इसके नशे की लत छुड़ाने वाले केन्द्र की वेतन तथा बकाया राशियों की अतिरिक्त आवश्यकता (1.58 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
  - (ii) विभिन्न राज्य मलेरिया नियंत्रण सोसाइटियों को अतिरिक्त सहायता के लिए सहायता अनुदान (41.72 करोड़ रुपए)।
  - (iii) 'एकीकृत रोग निगरानी परियोजना' नामक योजना के अन्तर्गत राज्य सोसाइटियों को अतिरिक्त सहायता हेतु सहायता अनुदान (4.34 करोड़ रुपए),

The supplementary grants are required for the following purposes:

- a) (i) Grants-in-aid to All India Institute of Medical Sciences for meeting additional requirement of its De-addiction Centre towards Salaries and Arrears on account of implementation of Sixth Pay Commission recommendations under the scheme `National Drug Deaddiction Programme' (Rs. 1.58 crore).
  - (ii) Grants-in-aid for additional assistance to various State Malaria Control Societies (Rs.41.72 crore).
  - (iii) Grants-in-aid for additional assistance to State Societies for various External Aid Components under the scheme `Integrated Disease Surveillance Project' (Rs.4.34 crore).

चुंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

(ख) 'राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम' नामक योजना के अन्तर्गत आपूर्ति तथा सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने हेत् (20.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पुरक की मांग की गयी है।

- (ग) (i) 'प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य परियोजना' नामक योजना के तहत (c) (i) To provide additional assistance for procurement of Drugs मादक द्रव्यों तथा उपस्करों की अधिप्राप्ति हेत् अतिरिक्त सहायता (50.00 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराना।
  - (ii) 'पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम' नामक योजना के अन्तर्गत औषधियों तथा उपस्करों की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना (30.62 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- शिलांग को सहायता अनुदान (6.00 करोड़ रुपए)
  - (ii) क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल को सहायता अनुदान (30.97 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पुरक की मांग की गयी है।

- (ङ) निम्नलिखित अस्पतालों/औषधालयों को अतिरिक्त पूंजी व्यय की आवश्यकता उपलब्ध कराने हेतु,
  - औषधालयों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (5.00 करोड़ रुपए);
  - (ii) सफदरजंग अस्पताल (10.00 करोड़ रुपए);
  - (iii) केन्द्रीय मनोविज्ञान संस्थान, रांची (4.96 करोड़ रुपए);
  - (iv) लेडी-हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली (3.50 करोड़ रुपए); और
  - (v) कलावती शरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली (1.40 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

- (च) (i) केन्द्रीय मनोविज्ञान संस्थान, रांची के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर के (f) (i) For meeting requirement of additional expenditure on निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति हेत् (4.45 करोड़ रुपए)।
  - (ii) कलावती शरण बाल अस्पताल में निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पुरक की मांग की गयी है।

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) To provide additional assistance for Procurement of Supplies & Materials under the scheme 'National TB Control Programme' (Rs.20.00 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- and Equipments under the scheme `Reproductive & Child Health Project' (Rs.50.00 crore)
  - (ii) To provide additional assistance for procurement of Drugs and Equipments under the scheme 'Pulse Polio Immunization Programme' (Rs.30.62 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- इन्दिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान (d) (i) Grants-in-aid to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (Rs.6.00 crore)
  - (ii) Grants-in-aid to Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (Rs.30.97 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (e) To provide for requirements of additional capital expenditure to the following Hospitals/ Dispensaries:
  - (i) Central Government Health Scheme for setting up of dispensaries (Rs.5.00 crore);
  - (ii) Safdarjung Hospital (Rs. 10.00 crore);
  - (iii) Central Institute of Psychiatry, Ranchi (Rs.4.96 crore);
  - (iv) Lady Harding Medical College and Smt. S.K. Hospital, New Delhi (Rs.3.50 crore); and
  - (v) Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi (Rs.1.40

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- construction work of Staff Quarters under Central Institute of Psychiatry, Ranchi (Rs.4.45 crore).
  - (ii) For meeting additional expenditure on construction work in Kalawati Saran Children's Hospital (Rs.0.50 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

## आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी (आयुष) विभाग DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिए)। (See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	919.75	2.25	922.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	tary)			
	स्वीकृत		Voted:	919.77	2.25	922.02

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और		2210- Medical and				
सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	Public Health	Voted:	0.01 (कa)		0.01
2552-पूर्वोत्तर		2552-North Eastern				
क्षेत्र	स्वीकृत	Areas	Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	•••	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनार्थ हैं:

- (क) (i) 'आयुष से सम्बद्ध अन्तरराष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम/सेमिनार कार्यशाला पर व्यय' नामक योजना के अन्तर्गत वर्धित प्रस्तावों की संख्या पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.15 करोड़ रुपए)।
  - (ii) 'सूचना शिक्षा तथा संचार पर व्यय' योजना के तहत आरोग्य मेलों तथा सेमिनार/कार्यशाला के आयोजन हेतु राज्य सरकारों/ अन्य संगठनों को अतिरिक्त निधियां जारी करने हेतु सहायता अनुदान (0.34 करोड़ रुपए)।
  - (iii) 'आयुष उद्योग को मेलों में भाग लेने/बाजार अध्ययन संचालित करने हेतु बाजार अवसर का सृजन तथा विकास प्रोत्साहन' योजना के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में प्राप्त आवेदन पत्रों के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रुपए)।
  - (iv) 'आयुष अस्पताल योजना' के अन्तर्गत राज्य सरकारों से बड़ी संख्या में प्राप्त उपयुक्त प्रस्तावों के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (52.55 करोड़ रुपए)।
  - (v) 'आयुष के प्रोत्साहन हेतु अन्तरराष्ट्रीय सहयोग गतिविधियों को सहायता जिसमें कार्यशाला/संगोष्ठियों/सम्मेलन/प्रदर्शनी/ व्यापार मेला/रोडशो आदि शामिल हैं' नामक योजना के अन्तर्गत कार्यशालाओं के आयोजन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु भारत में तथा विदेश स्थित विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.65 करोड़ रुपए)।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-aid for meeting additional expenditure on increased number of proposals under the scheme 'Expenditure on International Exchange Programme/ Seminar workshop on AYUSH' (Rs.0.15 crore).
  - (ii) Grants-in-aid for releasing additional funds to State Governments/Other Organisations for organizing AROGYA fairs as well as seminar/workshop under the scheme 'Expenditure on Information Education & Communication' (Rs.0.34 crore).
  - (iii) Grants-in-aid for meeting additional requirement on account of receiving large number of applications under the scheme 'Incentive to AYUSH Industry for participation in fairs/conducting market study for creating & developing market opportunity' (Rs.0.20 crore).
  - (iv) Grants-in-aid for meeting additional requirement due to the receipt of large number of suitable proposals from the State Governments under the 'Scheme of AYUSH Hospitals' (Rs.52.55 crore).
  - (v) Grants-in-aid to various Institutions in India as well as abroad for meeting additional requirement for conducting workshops etc. under the scheme 'Assistance for International Co-operation activities for promotion of AYUSH including Workshops/Seminars/Conference/ Exhibitions/Trade Fairs/Roadshows etc.' (Rs.0.65 crore).

- (vi) 'आयष और जनस्वास्थ्य' योजना के तहत पहले अनुमोदुत प्रस्ताव की दूसरी किस्त जारी करने संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.45 करोड़ रुपए)।
- (vii) 'राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन' योजना के तहत नर्सरी की स्थापना और औषधीय पादपों की खेती के लिए 10 राज्यों को अनुदान जारी करने संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (18.75 करोड़ रुपए)।
- (viii) सभागार आदि के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रुपए)।
- (ix) गुरु शिष्य परम्परा योजना के तहत गुरुओं और शिष्यों की संख्या में बढ़ोतरी और मानदेय/वजीफों में संवर्धन के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ को सहायता अनुदान (1.20 करोड़ रुपए)।
- (x) केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद् को मुम्बई, नोएडा और गुड़िवाडा में निर्माण कार्य संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (1.05 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (i) पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य औषधीय पादप बोर्डी/संगठनों आदि को 'राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना' के तहत अनुदान जारी करने संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (3.00 करोड़ रुपए)।
  - (ii) 'आयुष अस्पतालों के लिए योजना' के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अत्यधिक संख्या में आयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (4.50 करोड़ रुपए)।
  - (iii) 'राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन' योजना के तहत नर्सरी स्थापना और औषधीय पादपों की खेती के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान जारी करने संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (vi) Grants-in-aid for meeting additional requirement for releasing second instalment of earlier approved proposal under the scheme 'AYUSH & Public Health' (Rs.0.45 crore).
- (vii)Grants-in-aid for meeting the additional requirement for releasing grants to 10 States for nursery establishment and cultivation of medicinal plants under the scheme 'National Mission on Medicinal Plants' (Rs.18.75 crore).
- (viii)Grants-in-aid to National Institute of Ayurveda, Jaipur for construction of auditorium etc. (Rs.1.50 crore).
- (ix) Grants-in-aid to Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth for meeting additional requirement due to increase in the number of Gurus and Shishyas under Guru Shishya Parampara Scheme and enhancement in Honorarium/ Stipend (Rs. 1.20 crore).
- (x) Grants-in-aid to Central Council for Research in Homoeopathy for meeting additional requirement for undertaking construction work in Mumbai, Noida and Gudivada (Rs. 1.05 crore)

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid for meeting the additional requirement for releasing grants to State Medicinal Plants Boards/ Organisations etc. to North Eastern States under the scheme 'Setting up of National Board for Medicinal Plant' (Rs.3.00 crore).
  - (ii) Grants-in-aid for meeting additional requirement due to the receipt of a large number of suitable proposals for the North Eastern States under the 'Scheme for AYUSH Hospitals' (Rs.4.50 crore)
  - (iii) Grants-in-aid for meeting additional requirement for releasing grants to North Eastern States for nursery establishment and cultivation of medicinal plants under the scheme 'National Mission on Medicinal Plants' (Rs.2.00 crore)

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# भारी उद्योग विभाग DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)। (See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	275.56	536.44	812.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	515.47	0.03	515.50
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ary)			
	स्वीकृत		Voted:	791.04	536.48	1327.52

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:		515.47 (कa)	515.47
. 0						
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4858-इन्जीनियरिंग उद्योगों पर		4858-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	<b>Engineering Industries</b>	Voted:	0.01 (खb)	•••	0.01
6858-इन्जीनियरिंग उद्योगों		6858-Loans for Engineering				
हेतु ऋण	स्वीकृत	Industries	Voted:	•••	0.01 (गc)	0.01
6860-उपभोक्ता उद्योगों		6860-Loans for Consumer				
हेतु ऋण	स्वीकृत	Industries	Voted:	•••	0.01 (ਬd)	0.01
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	<b>Total Capital Section</b>	<b>Voted:</b>	0.01	0.02	0.03
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	515.49	515.50

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ हैः

purposes:

(क) (i) इन्स्टूमेंटेशन लि. कोटा के सम्बन्ध में दिनांक 31-12-2008 की स्थिति के अनुसार आवश्यक लेखांकन समायोजन अर्थात् भारत सरकार के बकाया ऋण (246.10 करोड़ रुपए) को बहे खाते डालना तथा ब्याज माफी (258.26 करोड़ रुपए); दिनांक 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार नेशनल इन्स्टूमेंट्स लि. के सम्बन्ध में भारत सरकार के बकाया ऋण (2.01 करोड़ रुपए) तथा ब्याज माफी (0.35 करोड़ रुपए); भारत भारी उद्योग निगम लि. की सहायक कम्पनी भारत वैगन एंड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में संचित हानियों के सम्बन्ध में भारत सरकार के बकाया ऋण (1.67 करोड़ रुपए) को बहे खाते डालना तथा इक्विटी को कम करके लिखना (3.33 करोड़ रुपए), यह इन कम्पनियों के अनुमोदित पुनर्सरचना आयोजना के

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) (i) For carrying out necessary accounting adjustments viz. Write off of outstanding Government of India loan (Rs.246. 10 crore) and waiver of interest (Rs.258.26 crore) as on 31.12.2008 in respect of Instrumentation Ltd., Kota; Write off of outstanding Government of India loan (Rs.2.01 crore) and waiver of interest (Rs.0.35 crore) as on 31.12.2008 in respect of National Instruments Ltd.; Write off of outstanding Government of India loan (Rs.1.67 crore) and write down of equity (Rs.3.33 crore) against accumulated losses in respect of Bharat Wagon and Engineering Company Ltd., a subsidiary of Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd., as part of approved

भाग के रूप में है तथा दिनांक 31-3-2010 तक भारी इन्जीनियरिंग निगम लि. के सम्बन्ध में गारंटी माफी और एचएमटी लि. (1.22 करोड़ रुपए)। (ii) हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. को कम्पनी के अनुमोदित पुनर्संरचना आयोजना के भाग के रूप में पेंशनरों की देयताओं की पूर्ति करने हेतू।

चूंकि लेखांकन समायोजनों (515.47 करोड़ रुपए) को प्राप्तियों द्वारा समत्ल्य किया जाएगा और अतिरिक्त व्यय (1 करोड़ रुपए) को अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों के पुनर्विनियोग के जरिए पुरा किया जाएगा, इसलिए उपर्युक्त पूरकों में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- प्रतिशत प्रतिदेय तरजीही शेयरों के सम्बन्ध में इन्स्ट्रमेंटेशन लि. कोटा में निवेश (5 करोड़ रुपए) जिसे अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों के पुनर्विनियोग के जरिए पूरा किया जाएगा और (ii) भारत भारी उद्योग निगम लि. की सहायक कम्पनी भारत वैगन एंड इन्जीनियरिंग कम्पनी लि. के सम्बन्ध में कम्पनी के अनुमोदित पुनर्संरचना आयोजना के भाग के रूप में भारत सरकार के ऋणों (3.33 करोड़ रुपए) को इक्विटी में बदलना; सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।
- (ग) त्रिवेणी स्टुक्चरल्स लि. (०.74 करोड़ रुपए) और तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि. (0.60 करोड़ रुपए) को कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी तथा सांविधिक देयों के भुगतान हेत् लिए ऋण। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (घ) हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि. को कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए ऋण (30 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

restructuring plan of these companies and waiver of guarantee fee in respect of Heavy Engineering Corporation Ltd. (Rs.2.53 crore) upto 31.3.2010 and HMT Ltd. (Rs.1.22 crore). (ii) Grants- in- aid (Rs.1 crore) to Hindustan Salts Ltd. to defray pensioner's liabilities, as part of approved restructuring plan of the company.

As the accounting adjustments (Rs.515.47 crore) will be matched by receipts and the additional expenditure (Rs.1 crore) will be met through re-appropriation of savings available within the same section of the Grant, the above supplementaries will not entail cash outgo.

- (ख) (i) कम्पनी के अनुमोदित पुनर्बहाली पैकेज के भाग के रूप में 3.5 (b) (i) Investment in Instrumentation Ltd., Kota (Rs.5 crore) towards 3.5 % redeemable preference shares, as part of approved revival package of the Company, which will be met through re-appropriation of savings available within the same section of the Grant and (ii) for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of Government of India loans (Rs. 3.33 crore) into equity in respect of Bharat Wagon and Engineering Company Ltd., a subsidiary of Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd., as part of. approved restructuring plan of the company, a token supplementary is sought.
  - (c) Loans to Triveni Structurals Ltd.( Rs. 0.74 crore) and Tungbhadra Steel Products Ltd. (Rs.0.60 crore) towards payment salaries/ wages and statutory dues of the employees. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - (d) Loan to Hindustan Photofilms Manufacturing Company Ltd. (Rs. 30 crore) towards working capital requirements. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिए)। (See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	T Charged:	0.20		0.20
स्वीकृत	Voted:	1488.34	125.86	1614.20
पूरक अनुदानः	SUPPLEMENTARY GRANT:			
भारित	T Charged:	0.39		0.39
स्वीकृत	Voted:	195.83		195.83
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.02	0.02	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1684.78	125.88	1810.66
भारित	T Charged:	0.59		0.59
स्वीकृत	Voted:	1684.19	125.88	1810.07

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य	स्वीकृत	2052-Secretariat-General				
सेवाएं		Services	Voted:		0.01 (कa)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक		2070-Other Administrative				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:		0.01 (खb)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	<b>Total Revenue Section</b>	Voted:	•••	0.02	0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यों		4059-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Public Works	Voted:		0.01 (गc)	0.01
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं		4070-Capital Outlay on other				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Administrative Services	Voted:		0.01 (ਬd)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	<b>Total Capital Section</b>	Voted:	•••	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

- (क) आर्म्स एंड एम्यूनिशन्स ऑफ नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो संबंधी व्यय की पूर्ति (0.20 करोड़ रुपए)।
- (ख) सब्सिडायरी मल्टीएजेन्सी सेन्टर एंड मल्टी एजेन्सी सेन्टर ऑफ इन्टेलीजेंस ब्यूरो के लिए कम्प्यूटर और पेरीफरल्स की अधिप्राप्ति (24.00 करोड़ रुपए)।
- (ग) चालू परियोजनाएं और इंटेलीजेंस ब्यूरो के लिए भूमि अधिग्रहण (12.00 करोड़ रुपए)।
- (घ) इंटेलीजेंस ब्यूरो के लिए लिंक एनक्रिप्टरों की अधिप्राप्ति संबंधी व्यय की पूर्ति (32.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें सम्बद्ध अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं,अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) meeting expenditure on Arms & Ammunitions of Narcotics Control Bureau (Rs.0.20 crore).
- (b) procurement of computers and peripherals for Subsidiary Multi Agency Centre and Multi Agency Centre of Intelligence Bureau (Rs.24.00 crore).
- (c) ongoing projects and acquisition of land for Intelligence Bureau (Rs.12.00 crore).
- (d) meeting expenditure on procurement of Link Encryptors for Intelligence Bureau (Rs.32.00 crore).

As savings are available within respective Sections of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

## पुलिस POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच का पृष्ठ 44 देखिए)।

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 & page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़		
				Revenue	Capital	Total		
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:						
	भारित	Charg	ed:	3.78	7.05	10.83		
	स्वीकृत	Vot	ted:	26502.26	7521.77	34024.03		
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT:						
	भारित	Charg	ed:	•••	0.70	0.70		
	स्वीकृत	Vot	ted:	0.02	0.02	0.04		
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of						
का पूरक अनुमान		the amount now required:						
	स्वीकृत	Vot	ted:	592.45	0.02	592.47		
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		27098.51	7529.56	34628.07		
	भारित	Charg	ed:	3.78	7.75	11.53		
	स्वीकृत	Vot	ted:	27094.73	7521.81	34616.54		

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:		592.45 (কa)	592.45
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय		4055-Capital Outlay on				
	स्वीकृत	Police	Voted:	0.01 (खb)	0.01 (чc)	0.02
जोड़ (पूरक)		<b>Total (Supplementary)</b>				
-	स्वीकृत		Voted:	0.01	592.46	592.47

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है :-

- (क) (i) सीमा सुरक्षा बल (115.85 करोड़ रुपए), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (141.07 करोड़ रुपए), असम राइफल्स (130 करोड़ रुपए), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (125.40 करोड़ रुपए) और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल (80.13 करोड़ रुपए) का वेतन।
  - (ii) असम राइफल्स (1.02 करोड़ रुपए), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (2.49 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (0.03 करोड़ रुपए) और दिल्ली पुलिस (11.00 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में चिकित्सा उपचार।
  - (iii) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल का घरेलू यात्रा व्यय (50.00 करोड़ रुपए)।
  - (iv) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के राशन की लागत (23.74 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on:

- (a) (i) Salaries of Border Security Force (Rs.115.85 crore), Central Industrial Security Force (Rs.141.07 crore), Assam Rifles (Rs.130.00 crore), Indo-Tibetan Border Police (Rs.125.40 crore) and Central Reserve Police Force (Rs.80.13 crore).
  - (ii) Medical Treatment of Assam Rifles (Rs.1.02 crore), Indo-Tibetan Border Police (Rs.2.49 crore), National Crime Records Bureau (Rs.0.03 crore) and Delhi Police (Rs.11.00 crore).
  - (iii) Domestic Travel Expenses of Central Reserve Police Force (Rs.50.00 crore).
  - (iv) Cost of Ration of Central Reserve Police Force (Rs.23.74 crore).

- (v) असम राइफल्स (0.17 करोड़ रुपए), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (0.49 करोड़ रुपए), केन्द्रीय औद्योगिक सीमा बल (0.63 करोड़ रुपए) तथा दिल्ली पुलिस (4.45 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में किराया, दर तथा कर।
- (vi) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल (1.88 करोड़ रुपए), सीमा सुरक्षा बल (0.76 करोड़ रुपए), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (0.50 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (0.15 करोड़ रुपए) तथा दिल्ली पुलिस (4.00 करोड़ रुपए) का विज्ञापन तथा प्रचार।
- (vii) असम राइफल्स (7.89 करोड़ रुपए), सीमा सुरक्षा बल (25.00 करोड़ रुपए), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (27.89 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (2.00 करोड़ रुपए), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (1.17 करोड़ रुपए) तथा दिल्ली पुलिस (15.18 करोड़ रुपए) के अन्य प्रभार।

अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों और अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग से 592.45 करोड़ रुपए के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) (i) दिल्ली पुलिस के आवासीय भवन (10.00 करोड़ रुपए)।
  - (ii) दिल्ली पुलिस के कार्यालय भवन (11.96 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (ग) (i) आयुध कारखाना बोर्ड से 90 खान संरक्षित वाहनों की अधिप्राप्ति (83.17 करोड़ रुपए)।
  - (ii) असम राइफल्स (3.00 करोड़ रुपए) और सीमा सुरक्षा बल (10.00 करोड़ रुपए) के बार्डर आउट पोस्ट।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (v) Rent, Rates and Taxes of Assam Rifles (Rs.0.17 crore), Indo-Tibetan Border Police (Rs.0.49 crore), Central Industrial Security Force (Rs.0.63 crore) and Delhi Police (Rs.4.45 crore).
- (vi) Advertising and Publicity of Central Reserve Police Force (Rs.1.88 crore), Border Security Force (Rs.0.76 crore), Indo-Tibetan Border Police (Rs.0.50 crore), National Security Guard (Rs.0.15 crore) and Delhi Police (Rs.4.00 crore).
- (vii) Other Charges of Assam Rifles (Rs.7.89 crore), Border Security Force (Rs.25.00 crore), Indo-Tibetan Border Police (Rs.27.89 crore), National Security Guard (Rs.2.00 crore), Central Industrial Security Force (Rs.1.17 crore) and Delhi Police (Rs.15.18 crore).

Taking into account savings of Rs.180.44 crore available within same Section of the Grant and savings of Rs.592.45 crore from the Capital Voted Section of the Grant which will be surrendered, this will not entail cash outgo.

- (b) (i) residential building of Delhi Police (Rs.10.00 crore).
  - (ii) office building of Delhi Police (Rs.11.96 crore).

As savings are available within same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) procurement of 90 Mine Protected Vehicles from Ordnance Factory Board (Rs.83.17 crore).
  - (ii) Border Out Posts of Assam Rifles (Rs.3.00 crore) and Border Security Force (Rs.10.00 crore).

As savings are available within same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

# गृह मंत्रालय के अन्य व्यय OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)। (See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Ch	arged:	0.02	•••	0.02
	स्वीकृत		Voted:	1353.54	63.79	1417.33
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	7.92	48.00	55.92
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary	)	1361.49	111.79	1473.28
	भारित	СИ	harged:	0.02		0.02
	स्वीकृत		Voted:	1361.47	111.79	1473.26

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2056-जेल	स्वीकृत	2056-Jails	Voted:	•••	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान रीजनल इन्स्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडिमिनिस्ट्रेशन (रीका) को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए अपेक्षित है (3.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है,अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। The supplementary grant is sought for providing additional grants-in-aid to Regional Institute of Correctional Administration (RICA) (Rs. 3.00 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

# संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2009-10 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिए)। (See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	3407.87	72.00	3479.87
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	105.68		105.68
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	10.01		10.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ary)			
	स्वीकृत		Voted:	3523.56	72.00	3595.56
			0.0	0 ( ) ( 0		

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	DELIENVIE GEGEVON		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3602-संघ राज्य क्षेत्र की	3602-Grants-in-aid to				
सरकारों को सहायता	Union Territory				
अनुदान	Governments				
	स्वीकृत	Voted:	0.01(कa)	10.00 (खb)	10.01

यह पूरक अनुदान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अपेक्षित है:

(क) मानव संसाधन विकास (पीएचआरडी) अनुदान नीति के अन्तर्गत दिल्ली लैंडफिल क्लोजर को निधियां (2.50 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने हेत्।

चूँकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए पुरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) 1984 दंगों के पीड़ितों को वर्धित क्षतिपूर्ति उपलब्ध करने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for NCT of Delhi for:

(a) providing funds to Delhi Landfills Closure (Carbon Finance) Project under the Policy for Human Resource Development (PHRD) Grant (Rs.2.50 crore).

As savings are available within same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure on providing enhanced compensation to victims of 1984 riots.

This will entail cash outgo.

## स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2009-10 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिए)। (See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 48 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-10).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	41319.58	750.00	42069.58
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	1771.03		1771.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	43090.62	750.00	43840.62

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	1771.00 (कa)	•••	1771.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खb)		0.01
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-Aid to				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Govedrnments	Voted:	0.01 (чс)		0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारे	Ť	3602-Grants in Aid to Union				
को सहायता अनुदान	स्वीकृत	Territory Governments	Voted:	0.01 (ਬd)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	1771.03	•••	1771.03

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकताओं के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दिखाई गयी वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

**Note:** The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education

स्वीकृत Voted: -1771.00 ... -1771.00

- यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:
- क) (i) सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यान्वयनकारी सोसाइटियों को सहायता अनुदान (1065.90 करोड़ रुपए)।
  - (ii) स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम योजना के तहत खाद्यान लागत संबंधी अतिरिक्त व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (705.10 करोड़ रुपए)।
- The supplementary grant is sought for the following purposes:
- (a) (i) Grants-in-aid to the implementing societies to meet the requirements of additional expenditure under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan (Rs.1065.90 crores).
  - (ii) Grants-in-aid to meet the requirements of additional expenditure on cost of food grains under the scheme National Programme of Mid Day Meals in Schools (Rs.705.10 crores).

चूंकि व्यय की पूर्ति भारत के लोक लेखे के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष से की जाएगी, अतः उपर्युक्त (i) और (ii) के संबंध में को नकद व्यय नहीं होगा।

- (iii) महिला सन्खया सोसाइटियों को सहायता अनुदान (4.00 करोड़ रुपए)।
- (iv) वर्ष 2003-04 के पश्चात् स्थापित केन्द्रीय विद्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन की बकाया राशि के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सहायता अनुदान (36.00 करोड़ रुपए)।
- (v) अभिगम और रम्मया योजना के तहत आठ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (0.51 करोड़ रुपए)।
- (vi) राष्ट्रीय स्तर की संसाधन सहायता, एमआईएस जन-मीडिया प्रचार आदि और राज्यों को सहायता अनुदान के लिए 'प्रौढ़ शिक्षा और दक्षता विकास' योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए (30.00 करोड़ रुपए)।
- (vii) 'राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत चयन परीक्षा के संचालन हेतु प्रशासनिक व्यय और लागत की प्रतिपूर्ति के लिए प्रशासनिक व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता (3.00 करोड़ रुपए)।
  - चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।
- (ख) वर्ष 2003-04 के पश्चात् स्थापित केन्द्रीय विद्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन की बकाया राशि के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सहायता अनुदान (4.00 करोड़ रुपए)।
  - चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।
- (ग) 'माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण और संचालन' योजना के तहत बिहार, उड़ीसा, जम्मू व कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड - राज्य में छात्रावासों को सहायता अनुदान (15.00 करोड़ रुपए)।
  - चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।
- (घ) 'माध्यमिक स्कूल में अशक्त व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा' योजना के तहत दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को सहायता (0.60 करोड़ रुपए)।
  - चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।

- As the expenditure will be met from the Prarambhik Shiksha Kosh placed in the Public Account of India, there will be no cash outgo in respect of (i) and (ii) above.
- (iii) Grants-in-aid to Mahila Samakhya Societies (Rs. 4.00 crores).
- (iv) Grants-in-aid to Kendriya Vidyalaya Sangathan to meet additional expenditure on account of payment of arrears of pay of Sixth Central Pay Commission in respect of the staff working in Kendriya Vidyalayas opened after 2003-04 (Rs. 36.00 crores).
- (v) Grants-in-aid to eight voluntary organizations under the scheme Access & Equity (Rs. 0.51 crore).
- (vi) Additional requirements under the scheme 'Adult Education and Skill Development' for Resource Support of National level, MIS Mass Media Campaign etc. and Grants-in-aid to States (Rs. 30.00 crores).
- (vii) Additional requirements for administrative expenses and re-imbursement of the cost for conducting selection test under the 'National Means-cum-merit Scholarship' scheme (Rs. 3.00 crores).
  - As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid to Kendriya Vidyalaya Sangathan to meet requirements of additional expenditure for payment of arrears of pay on account of implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission in respect of the staff working in Kendriya Vidyalayas opened after 2003-04 (Rs. 4.00 crores).
  - As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid to provide for Hostels in the State of Bihar, Gujarat, Orissa, Jammu & Kashmir, West Bengal, Uttar Pradesh and Uttarakhand under the scheme 'Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools' (Rs. 15.00 crores).
  - As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Assistance to Govt. of National Capital Territory of Delhi under the scheme 'Inclusive Education for the Disabled at Secondary School -IEDSS' (Rs. 0.60 crore).
  - As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# उच्च शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2009-10 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिए)। (See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 49 of the First Supplementay Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	15429.00		15429.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	87.12	100.00	187.12
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.05		0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary	y) Voted:	15516.17	100.00	15616.17

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
2203-तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203-Technical Education	Voted:	0.01 (ਸc)	0.01 (ਬd)	0.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern	Voted:	0.01 (ਭe)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	0.02	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया हैं:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित के लिए सहायता अनुदानः
  - (1) 'राष्ट्रीय श्री गुरू ग्रंथ साहिब अध्ययन संस्थान योजना' के तहत निधियां प्रदान करने हेतु (1.90 करोड़ रुपए)।
  - (2) शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में केन्द्रीय सहायता से 374 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना के संबंध में और 150 शामिल न किए गए राज्य विश्वविद्यालयों और 6,000 शामिल न किए गए राज्य कालेजों को एकबारगी प्राप्त अनुदान प्राप्त कर सहायता प्रदान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए (106.00 करोड़ रुपए)।
  - (ii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को (1) भवन निर्माण कार्यकलापों (8.92 करोड़ रुपए) और (2) इसके IX और X कक्षा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (3.00 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को सहायता अनुदान (3.18 करोड़ रुपए)।
  - (ii) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास/पुस्तक संवर्धन संस्थाओं को विश्व पुस्तक मेला आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान (4.27 करोड़ रुपए)।

- $\hbox{(a)} \quad \hbox{(i)} \quad \text{Grants-in-aid to University Grants Commission for:} \\$ 
  - (1) Providing funds under the scheme 'National Institute of Studies in Sri Guru Granth Saheb' (Rs. 1.90 crore).
  - (2) For meeting additional requirement towards setting up of 374 Model Degree Colleges in Educationally Backward Districts with Central assistance and for supporting 150 uncovered State Universities and 6000 uncovered State Colleges by providing one time Catch-up Grant (Rs. 106.00 crore).
  - (ii) Grants-in-aid to Rashtriya Sanskrit Sansthan for meeting additional expenditure on: (1) construction activities (Rs. 8.92 crore) and (2) for scholarship to its class IX and X students (Rs. 3.00 crore)

As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid to Rashtriya Sanskrit Sansthan for meeting additional expenditure on account of Salaries on implementation of Sixth Pay Commission recommendation as accepted by Govt. (Rs. 3.18 crore).
  - (ii) Grants-in-aid to National Book Trust/Institutions for Book Promotion for organizing World Book Fair (Rs.4.87 crore).

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ग) (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को भवन निर्माण और अन्य आयोजना कार्यकलापों संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (50.00 करोड़ रुपए)।
  - (ii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर को अवसंरचना और भवन निर्माण कार्यकलापों लिए सहायता अनुदान (15.00 करोड़ रुपए)।
  - (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए क्षमता विस्तार के कारण अवसंरचना और भवन निर्माण संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (45.00 करोड़ रुपए)।
  - (iv) 'प्रशिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्तियां और वजीफा कार्यक्रम' के तहत वजीफा बिलों की प्रतिपूर्ति संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (4.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (घ) (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (37.37 करोड़ रुपए)।
  - (ii) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर को भवन निर्माण कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान (4.49 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पुरक अनुदान मांगा गया है। As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) Grants-in-aid to Indian Institutes of Technology for meeting additional expenditure on account of construction and other plan activities (Rs. 50.00 crore).
  - (ii) Grants-in-aid to Indian Institute of Information Technology at Jabalpur for infrastructure and construction activities (Rs. 15.00 crore).
  - (iii) Grants-in-aid to National Institutes of Technology for meeting additional expenditure on account of infrastructure and constructions activities due to capacity expansion for implementation of OBC reservation (Rs. 45.00 crore).
  - (iv) Grants-in-aid under the 'Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends' for meeting additional expenditure on reimbursement of stipend bills (Rs. 4.00 crore).

As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) (i) Grants-in-aid to Indian Institutes of Technology for meeting additional expenditure for salaries on account of implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by Government (Rs.37.37 crore).
  - (ii) Grants-in-aid to Indian Institute of Science, Bengaluru for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Pay Commission recommendation as accepted by Government (Rs. 30.00 crore).

As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) Grants-in-aid to North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar for construction activities (Rs. 4.49 crore).

As matching saving is available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिए)। (See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:				
$\mathcal{H}_{i}$	रित	Charged:	0.03		0.03
स्वी	कृत	Voted:	2120.03	448.01	2568.04
पूरक अनुदानः	SUPPLEMENTARY GRAN	<i>T</i> :			
स्वी	कृत	Voted:	0.01	•••	0.01
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	the amount now required:				
स्वी	कृत	Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplem	entary)	2120.09	448.01	2568.10
	रित	Charged:	0.03	•••	0.03
स्वी	कृत	Voted:	2120.06	448.01	2568.07

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2220-सूचना और		2220-Information and				
प्रचार	स्वीकृत	Publicity	Voted:	0.01 (কa)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (क) (i) डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण के लिए गैर सरकारी संगठनों को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (0.50 करोड़ रुपए) (ii) विकास सम्बन्धी प्रचार कार्यक्रम परिकल्पना और प्रसारण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के सम्बन्ध में (10 करोड़ रूपए) (iii) फिल्म एण्ड टेलीविजन इन्स्टीट्यूट ऑफ इंण्डिया, पूणे को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (3.50 करोड़ रूपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) निम्नलिखित को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) फिल्म एण्ड टेलीविजन इन्स्टीट्यूट ऑफ इंण्डिया, पुणे (3.44 करोड़ रूपए) (ii) इन्स्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन नई दिल्ली (2.85 करोड़ रूपए) (iii) प्रेस काउंसिल ऑफ इंण्डिया (1.06 करोड़ रूपए) और (iv) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी ऑफ इण्डिया (0.63 करोड़ रूपए) को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के सम्बन्ध में । चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (a) (i) For providing additional grants-in-aid to the Non-Governmental Organisations for production of documentary films (Rs.0.50 crore), (ii) Towards meeting additional expenditure on Developmental Publicity Programme Conception and Dissemination' (Rs.10 crore), and (iii) For providing additional grants-in-aid to Film & Television Institute of India, Pune (Rs.3.50 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For providing additional grants-in-aid to (i) Film & Television Institute of India, Pune (Rs. 3.44 crore), (ii) Institute of Mass Communication, New Delhi (Rs. 2.85 crore), (iii) Press Council of India (Rs. 1.06 crore) and (iv) Children's Films Society of India (Rs. 0.63 crore) towards meeting the additional expenditure on account of implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## श्रम एवं रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2009-10 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिए)। (See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:		_	
भारित	Charged:	0.02		0.02
स्वीकृत	Voted:	2702.64	760.23	3462.87
पूरक अनुदानः	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	•••	0.01
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.02	•••	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2702.69	760.23	3462.92
भारित	Charged:	0.02	•••	0.02
स्वीकृत	Voted:	2702.67	760.23	3462.90

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		<b>REVENUE SECTION</b>				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2230-श्रम एवं रोजगार		2230-Labour and				
	स्वीकृत	Employment	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित है :

- (क) प्रशिक्षण प्रदान करने तथा प्रमाणन कार्य बल के साथ ही राष्ट्रीय परियोजना प्रबन्धन सैल तथा दक्षता विकास पहल के तहत छह क्षेत्रीय सैलों पर अतिरिक्त व्यय (60.00 करोड़ रुपए।
- (ख) (i) बीड़ी कामगार कल्याण निधि को छात्रवृत्ति और वजीफा तथा वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय हेतु (40.05 करोड़ रुपए)।
  - केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त व्यय (10.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is required for meeting additional expenditure for the following purposes :

- (a) For additional expenditure for imparting training and certification of work force as also for National Project Management Cell and six regional cells under Skill Development Initiative (Rs.60.00 crore).
- (b) (i) For additional expenditure towards scholarship and stipends and salaries to Beedi Workers Welfare Fund (Rs.40.05 crore).
  - (ii) For meeting additional expenditure of Central Board for Workers Education (Rs.10.00 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementary is sought.

## संख्या NO.63 (विनियोग)(APPROPRIATION)

### भारत का उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 ओर वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिए)। (See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 56 of First Supplimentary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल विनियोगः		I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
-	स्वीकृत	Voted:			
	भारित	Charged:	88.02	•••	88.02
पूरक विनियोगः		SUPPLEMENTARY APPROPRIATION:			
	भारित	Charged:	10.81		10.81
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	1.86	•••	1.86
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	भारित	Charged:	100.69	•••	100.69

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2014-न्याय प्रशासन		2014-Administration of				
	भारित	Justice	Charged:	•••	1.86	1.86

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता भारत के उच्चतम न्यायालय के अन्य संस्थापन सम्बन्धी व्यय और न्यायाधीशों के वेतन पर होनेवाले अतिरिक्त व्यय (1.86 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure towards salaries of Judges and other establishment related expenditure of the Supreme Court of India (Rs.1.86 crore).

This will entail cash outgo.

## खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 तथा वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिए)। (See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 58 of First Supplimentary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित		Charged:	0.14	•••	0.14
	स्वीकृत		Voted:	551.46	38.40	589.86
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRAN	/ <b>T</b> :			
	स्वीकृत		Voted:	21.13		21.13
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	स्वीकृत	the amount now required:	Voted:	6.96		6.96
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplem	entary)	579.69	38.40	618.09
	भारित		Charged:	0.14		0.14
	स्वीकृत		Voted:	579.55	38.40	617.95

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2853-अलौह खनन और		2853-Non-ferrous Mining and				
धातुकर्म उद्योग	स्वीकृत	Metallurgical Industries	Voted:		6.96	6.96

इस पूरक अनुदान की मांग भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के सम्बन्ध में वेतनों पर सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त व्यय (6.71 करोड़ रुपए) की पूर्ति तथा राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान को उसके वेतन बकाया की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में की गयी है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on salaries (Rs.6.71 crore) in respect of Geological Survey of India on account of implementation of recommendations of Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Governmet and grants-in-aid (Rs.0.25 crore) to National Institute of Miners' Health for meeting arrears of salaries. This will entail cash outgo.

## नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिए)। (See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 59 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	608.20	19.80	628.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	<b>y</b> )			
	स्वीकृत		Voted:	608.23	19.80	628.03

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2810-नवीन तथा		2810- New and Renewable				
नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत	Energy	Voted:	0.01 (कa)		0.01
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड (पुरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	•••	0.02

उस पुरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ है:

- (क) (i) पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वेट), चेन्नई द्वारा समुद्र तटीय पवन संसाधन का मूल्यांकन करने के लिए होने वाले (0.60 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।
  - (ii) बायोमास को-जनरेशन परियोजनाओं के सम्बन्ध में राज्य नोडल एजेंसियों को सेवा प्रभार उपबल्ध कराने के लिए व्यय (0.25 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।
  - (iii) अविद्युतीकृत गांवों मे सौर प्रकाश अथवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के सम्बन्ध में सुदूर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में होने वाले व्यय (5.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।
  - (iv) सूचना तथा आम जागरूकता के संबंध में वचनबद्ध देयताओं पर होने वाले व्यय (0.50 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।
  - (v) विशेष क्षेत्र विकास परियोजना योजना से सम्बन्ध व्यय (1.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।
  - (vi) नवाचार, उद्भवन और उद्यमिता परियोजना केन्द्र, अहमदाबाद के संबंध में वचनबद्ध व्यय (0.50 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेत् सहायता अनुदान।
- (ख) वर्ष 2006-07 तक कार्यान्वित एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के खातों के निपटान के संबंध में पिछली देयताओं के निपटान हेतु व्यय (2.25 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है। The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-aid to meet expenses for carrying out offshore wind resource assessment by Centre for Wind Energy Technology (C-WET), Chennai (Rs. 0.60 crore).
  - (ii) Grants-in-aid to meet expenses for providing service charges to State Nodal Agencies in respect of Biomass cogeneration projects (Rs. 0.25 crore).
  - (iii) Grants-in-aid to meet expenses for Remote Village Electrification Programme for solar lighting or other renewable energy systems in unelectrified villages (Rs. 5.00 crore).
  - (iv) Grants-in-aid to meet expenses of committed liabilities toward Information & Public Awareness (I&PA) activities (Rs. 0.50 crore).
  - (v) Grants-in-aid to meet expenses relating to Special Area Development Project (SADP) Scheme (Rs. 1.00 crore).
  - (vi) Grants-in-aid to meet the committed expenditure for the Project Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship, Ahmedabad (Rs. 0.50 crore).
- (b) To meet expenses for clearing off spillover liabilities for settlement of accounts of Integrated Rural Energy Programme (IREP) implemented upto 2006-07 (Rs. 2.25 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिए)। (See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 60 of First Supplimentary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड Revenue Capital **Total** I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: भारित Charged: 12.21 9.00 21.21 स्वीकृत 654.29 Voted: 507.44 146.85 पूरक अनुदानः **SUPPLEMENTARY GRANT:** भारित 3.05 Charged: 3.05 स्वीकृत Voted: 39.13 15.21 54.34 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: भारित 0.30 0.30 Charged: स्वीकृत 7.91 7.91 Voted: जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 570.04 171.06 741.10 भारित 15.56 9.00 24.56 Charged: स्वीकृत Voted: 554.48 162.06 716.54

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय सामान्य	स्वीकृत	2052-Secretariat-General				
सेवाएँ		Services	Voted:		1.05(কa)	1.05
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:		6.27 (खb)	6.27
2070-अन्य प्रशासनिक		2070-Other Administrative				
सेवाएं	भारित	Services	Charged:		0.30 (गc)	0.30
	स्वीकृत		Voted:		0.59 (ঘd)	0.59
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		•••	8.21	8.21
	भारित		Charged:		0.30	0.30
	स्वीकृत		Voted:		7.91	7.91

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित के लिए माँगा गया है:

- (क) (i) वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1.05 करोड़ रुपए)।
  - (ii) मेघालय सिविल सर्विसेज सोसाइटी को सहायता अनुदान (0.62 करोड़ रुपए)।

अनुदान के ईसी भाग में 0.62 करोड़ रुपए को बचतों को ध्यान में रखते हुएं इसमें 1.05 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत।
- (घ) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (ख), (ग), और (घ) में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) (i) meeting additional expenditure on Salaries (Rs.1.05 crore)
  - (ii) providing grants-in-aid to Meghalaya Civil Services Society (Rs.0.62 crore).

Taking into account savings of Rs.0.62 crore available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs.1.05 crore.

- (b) meeting additional expenditure on Salaries of Central Bureau of Investigation.
- (c) meeting additional expenditure on Salaries of Central Vigilance Commission,
- (d) meeting additional expenditure on Salaries of Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration.
- (b), (c) and (d) will entail cash outgo.

# पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिए)। (See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	13475.33		13475.33
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	11843.00	958.08	12801.08
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	tary)			
	स्वीकृत		Voted:	25318.33	958.08	26276.41

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2802-पैट्रोलियम		2802-Petroleum				
	स्वीकृत		Voted:		11843.00 (কa)	11843.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4802-पैट्रोलियम पर पूंजी		4802-Capital Outlay on				
परिव्यय	स्वीकृत	Petroleum	Voted:		958.08 (खb)	958.08
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	•••	12801.08	12801.08

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित हेतु है :

- (क) पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति (12,000 करोड़ रुपए) की व्यवस्था करना। चूंकि 157 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः शेष राशि के लिए नकद पूरक मांगा गया है।
- (ख) इण्डियन आयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) द्वारा जारी बोनस शेयरों में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (958.08 करोड़ रुपए)। इसे प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा और इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for :

- (a) Providing compensation (Rs.12,000 crore) towards estimated under-recoveries on account of sale of petroleum products. As savings of Rs.157 crore is available within the same Section of the Grant, cash supplementary for the balance amount is sought.
- (b) Additional equity investment (Rs.958.08 crore) in the bonus shares issued by Indian Oil Corporation Ltd. (IOC). This will be matched by receipts and shall not entail cash outgo.

## विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिए)।

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
			Voted:	7617.73	1889.00	9506.73
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	75.93		75.93
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	स्वीकृत	the amount now required:	Voted:	3158.00	27.00	3185.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	<b>y</b> )			
	स्वीकृत		Voted:	10851.66	1916.00	12767.66

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

	II. This Supplementary Grant	t will be accoun	ted for under the	following Majo	or Heads:	
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2801-विद्युत	2801-Power	Voted:	3158.00 (कa)		3158.00	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी	4801-Capital Outlay on					
परिव्यय स्वीकृत	Power Projects	Voted:	27.00 (कb)		27.00	
जोड़ (पूरक) स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	3185.00	•••	3185.00	
			-:	<u> </u>		
	टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में नीचे किया जाता है।	दशाइ गइ वसूाल	या शामल नहां हे, रि	जन्ह व्यय म स घ	टाकर समायाजि	7
	<b>Note:</b> The above estimates dereduction of expenditure		e recoveries showr	n below, which	are adjusted ir	ı
गञ्जन भाग	DEVENUE SECTION					

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2801-विद्युत	2801-Power	(-) 3158.00	 (-) 3158.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
4801-विद्युत परियोजनाओं पर	4801-Capital Outlay on		
पूंजी परिव्यय	Power Projects	(-) 27.00	 (-) 27.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैं :

- राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) को 3100 करोड़ रुपए क्रेडिटिंग (क) (i) करने हेतु और ग्रामीण विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए सब्सिडी पर व्यय की पूर्ति के लिए एनआईएफ से उसी राशि का आहरण। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
  - (ii) राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) को 58 करोड़ रुपए क्रेडिटिंग करने और पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीआरपी) पर व्यय की पूर्ति के लिए एनआईएफ से उसी राशि का आहरण। इसके कोई नकद व्यय नहीं होगा ।
- राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटिड (एनटीपीसी लिमिटेड) (ख) को आवंटित कोल ब्लॉक्स के सम्बन्ध में कोल बेयरिंग एरिया अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) के तहत प्राप्त भूमि की क्षतिपूर्ति का संवितरण । चूंकि वसूलियों से समकक्ष राशि समत्त्य की जाएगी, इसलिए इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) (i) For crediting Rs. 3100 crore to the National Investment Fund (NIF) and also to draw the same amount from NIF for meeting expenditure on subsidy for Rural Electrification - Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana. It will not entail any cash outgo.
  - (ii) For crediting Rs. 58 crore to the National Investment Fund (NIF) and also to draw the same amount from NIF for meeting expenditure on Restructured -Accelerated Power Development Programme (APDRP). It will not entail any cash outgo.
- (b) Disbursement of compensation of land acquired under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) in respect of Coal blocks allotted to National Thermal Power Corporation Limited (NTPC Limited). This supplementary does not entail cash outgo as the equivalent amount is matched by recoveries.

## लोक सभा LOK SABHA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिए)। (See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित		Charged:	0.64	•••	0.64
	स्वीकृत		Voted:	384.01		384.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementa	Total (Original plus Supplementary)		•••	384.66
	भारित		Charged:	0.64		0.64
	स्वीकृत		Voted:	384.02		384.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य	स्वीकत	2011-Parliament/State/				
क्षेत्रों के विधान मण्डल		Territory Legislatures	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान दो सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं अर्थात् (i) सीसीटीवी प्रणाली का उन्नयन और (ii) संसद भवन परिसर में टेटरा डिजीटल कम्यूनिकेशंस प्रणाली की अधिप्राप्ति (47.46 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

चूंकि बचतें अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on two security related projects, i.e. (i) Upgradation of CCTV system, and (ii) Procurement of Tetra Digital Communication System in Parliament House Complex (Rs.47.46 crore).

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

## संख्या NO.78 (विनियोग) (APPROPRIATION)

# संघ लोक सेवा आयोग UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिए)। (See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 63 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल विनियोगः		I. ORIGINAL APPROPRIA	TION:			
	भारित		Charged:	110.91	•••	110.91
पूरक विनियोगः		SUPPLEMENTARY APPRO	PRIATION:			
	भारित		Charged:	17.10		17.10
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	भारित		Charged:	3.00		3.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	ary)			
	भारित		Charged:	131.01	•••	131.01

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	K	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	N	MAJOR HEAD				
2051-लोक सेवा	2	2051-Public Service				
आयोग	भारित	Commission	Charged:	•••	3.00	3.00

यह पूरक विनियोग प्रशासन व्यय और आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं और इसके द्वारा किए गए चयनों के संबंध में अतिरिक्त व्यय (3.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure on administrative expenses and for examinations conducted by the Commission and selections made by it (Rs.3.00 crore).

This will entail cash outgo.

# ग्रामीण विकास विभाग DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिए)। (See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 65 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

صاها بحجاشية

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	106648.83	1.25	106650.08
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	154.45		154.45
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	15702.02	6.04	15708.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	<b>y</b> )			
	स्वीकृत		Voted:	122505.30	7.29	122512.59

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयाजना	आयाजना-ाभन्न	जाड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2216-आवास निर्माण	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:	3972.00 (कa)		3972.00
2501-ग्रामीण विकास हेतु		2501-Special Programme for				
विशेष कार्यक्रम	स्वीकृत	Rural Development	Voted:	0.01 (खb)		0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत	2505-Rural Employment	Voted:	11730.00 (गc)	•••	11730.00
2515-अन्य ग्रामीण विकास		2515-Other Rural Development				
कार्यक्रम	स्वीकृत	Programmes	Voted:	0.01 (ਬd)	•••	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	<b>Total Revenue Section</b>	Voted:	15702.02	•••	15702.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4515-अन्य ग्रामीण विकास		4515-Capital Outlay on Other				
कार्यक्रमों पर		Rural Development				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Programmes	Voted:	6.04 (ਵe)	•••	6.04
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	15708.06	•••	15708.06

टिप्पणीः उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

**Note:** The above estimates do not include the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216-आवास निर्माण	2216-Housing	(-)5280.00		(-)5280.00
2505-ग्रामीण राजगार	2505-Rural Employment	(-)11730.00		(-)11730.00
जोड	Total	(-)17010.00	•••	(-)17010.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनार्थ हैः

- (क) (i) राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) में 5280 करोड़ रुपए जमा करने हेतु तथा साथ ही एनआईएफ से उक्त राशि ग्रामीण आवास निर्माण हेतु इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) में व्यय की पूर्ति हेतु।
  - (ii) आईएवाई के अन्तर्गत विज्ञापन तथा प्रसार हेतु अतिरिक्त आवश्यकता (3 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) (i) For crediting Rs.5280 crore to the National Investment Fund (NIF) and also to draw same amount from NIF for meeting the expenditure on Indira Awaas Yojana (IAY) under Rural Housing.
  - (ii) for meeting the additional requirement of Advertising and Publicity (Rs.3 crore) under IAY.

चुंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत 1311 करोड़ रुपए की बचतें वसुलियों को ध्यान में रखने के बाद, इस पुरक में कोई व्यय नहीं होगा।

- (ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत विज्ञापन तथा प्रसार पर अतिरिक्त व्यय (3 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेत्। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ग) (i) राष्ट्रीय निवेश निधि में 11730 करोड़ रुपए के अन्तरण हेत् तथा साथ ही उक्त राशि को सहायता देने हेतु राष्ट्रीय रोजगार गारंटी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को सहायता देने हेतु राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में जमा करने हेतु।
  - (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत विज्ञापन तथा प्रसारण की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (3 करोड़ रुपए)।

11730 करोड़ रुपए की वसूलियों तथा अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध 3 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखने के बाद, इन पुरकों में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (घ) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को उसके शैक्षिक स्टाफ के बकाया वेतन का भूगतान करने के सम्बन्ध में देयताओं (15 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेत् जिला विकास ग्रामीण एजेंसियों को अतिरिक्त सहायता अनुदान (135 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ङ) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दिल्ली में विपणन परिसर - सरस हाट, जसोला के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत्। चुंकि अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

As savings of Rs.1311 crore are available under Revenue उलब्ध हैं, इसलिए शेष राशि हेतु पूरक मांगा गया है। 5280 करोड़ रुपए की section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount. After taking into account the recoveries of Rs.5280 crore, this supplementary will not entail cash outgo.

- (b) For meeting the additional requirement of Advertising and Publicity (Rs.3 crore) under Swaranjayanti Gram Swarojgar Yojana. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) For transferring Rs. 11730 crore to the National Investment Fund and also to draw the same amount for crediting to the National Employment Guarantee Fund towards assistance for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.
  - (ii) for meeting the additional requirement of Advertising and Publicity (Rs.3 crore) under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

After taking into account the recoveries of Rs.11730 crore and savings of Rs.3 crore available within the same section of the Grant, this supplementary will not entail cash outgo.

- (d) For providing additional grants-in-aid to District Rural Development Agencies (Rs.135 crore) to meet the liabilities on administrative expenses and National Institute of Rural Development (Rs. 15 crore) towards payment of arrears of salaries of the academic staff of the Institute, on account of implementation of recommendations of Sixth Central Pay Commission. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) For meeting the additional requirement on construction of marketing complex - SARAS Haat at Jasola, Delhi under Swaranjayanti Gram Swarojgar Yojana. As matching savings from Revenue Section of the Grant will be surrendered, this supplementary will not entail cash outgo.

# पेयजलापूर्ति विभाग DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिए)। (See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

l					
1					
1					
5					
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः					
1					

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2215-जल आपूर्ति और		2215-Water Supply and				
स्वच्छता	स्वीकृत	Sanitation	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जिला जल एवं स्वच्छता समितियों, मिशनों, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों आदि को अतिरिक्त सहायता अनुदान (40.80 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए अपेक्षित है। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The Supplementary grant is sought for providing additional grants-in-aid (Rs.40.80 crore) to State Water and Sanitation Mission, District Water and Sanitation Committees, Missions, District Rural Development Agencies, etc. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिए)। (See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.02		0.02
स्वीकृत	Voted:	2065.73	74.90	2140.63
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.02	•••	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2065.77	74.90	2140.67
भारित	Charged:	0.02	•••	0.02
स्वीकृत	Voted:	2065.75	74.90	2140.65

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3425-अन्य वैज्ञानिक		3425-Other Scientific				
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्न्४लखित हेतु है :

- (क) निम्नलिखित को अतिरिक्त सहायता अनुदान देने हेतु (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास (5 करोड़ रुपए); (ii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार और प्रसार (3 करोड़ रुपए); (iii) स्वायत्त संस्थानों और व्यावसायिक निकाय (15 करोड़ रुपए); (iv) अनुसंधान एवं विकास सहायता (8 करोड़ रुपए); (v) अनुप्राणित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवाचार (इन्स्पायर) (18.50 करोड़ रुपए) और (vi) उन्नत अनुसंधान संवर्धन हेतु इंडो-फ्रेंच सेंटर (आईएफसीपीएआर) (0.70 करोड़ रुपए)।
- (ख) देहरादून और हैदराबाद स्थित दो केन्द्रीय विद्यालयों के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान सहायता की पूर्ति के लिए भारतीय सर्वेक्षण को (0.55 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। The supplementary grant is sought for:

- (a) Providing additional grants-in-aid assistance to (i) S&T Entrepreneurship Development (Rs.5 crore); (ii) S&T Communication and Popularisation (Rs.3 crore); (iii) Autonomous Institutions and Professional Bodies (Rs.15 crore); (iv) R&D Support (Rs.8 crore); (v) Innovations in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE) (Rs.18.50 crore); and (vi) Indo-French Centre for the promotion of Advanced Research (IFCPAR) (Rs.0.70 crore).
- (b) Survey of India to meet additional grants-in-aid support for two Kendriya Vidyalayas at Dehradun and Hyderabad (Rs.0.55 crore).

As savings are available wihin the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each cash.

## जैव प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिए)। (See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1024.00		1024.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	tary)			
	स्वीकृत		Voted:	1024.02	•••	1024.02

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552-North Eastern Areas				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (কa)		0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक		3425-Other Scientific				
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	0.01 (खb)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	•••	0.02

यह पूरक अनुदान निम्निलखित के लिए मांगा गया है:

- (क) (i) चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी (13.08 करोड़ रुपए); और (ii) पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लाभ के लिए अनुमोदित परियोजनाओं को जारी करने हेतु पुनर्प्रविष्ट अनुसंघान और विकास परियोजनाओं (14.84 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु; और
- (ख) स्नातकोत्तर शिक्षण हेतु जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण और जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (2 करोड़ रुपए); (ii) टीबीनेट बहु सांस्थानिक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बायोइन्फोर्मेटिक्स और अन्य चालू परियोजनाओं हेतु (2 करोड़ रुपए); और (iii) नई अनुमोदित परियोजनाओं तथा चालू परियोजनाओं को जारी करने हेतु कृषि जैव प्रौद्योगिकी (4 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है। The supplementary grant is sought for:

- (a) meeting additional expenditure on (i) Medical Biotechnology (Rs.13.08 crore); and (ii) Re-entry R&D projects (Rs.14.84 crore) for releases to projects approved for the benefit of North Eastern Region and Sikkim; and
- (b) meeting additional expenditure on (i) Biotechnology Education and Training for Post Graduate Teaching and implementation of Biotechnology Industrial Training Programme (Rs.2 crore); (ii) Bioinformatics for implementation of Tbnet multi-institutional project and releases to other ongoing projects (Rs.2 crore); and (iii) Agriculture Biotechnology for releases to new approved projects and ongoing projects (Rs.4 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token Supplementary is sought in each case.

## पोत परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिए)। (See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 67 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1442.43	508.10	1950.53
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	0.03	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	1442.46	508.14	1950.60

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
<b>मुख्य शीर्ष</b> 3051-पत्तन और दीप		MAJOR HEAD 3051-Ports and Light				
स्तंभ	स्वीकृत	Houses	Voted:		0.01 (कa)	0.01
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD				
5052-पोत परिवहन पर		5052-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Shipping	Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (क) अतिरिक्त प्राप्तियों के एवज में दीप स्तंभ और दीप पोत महानिदेशालय (डीजीएलएचएलएस) के तहत वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.75 करोड़ रुपए)। चूंकि (डीजीएलएचएलएस) का व्यय प्राप्तियों से घटाया गया है, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त चूंकि, अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण जलयानों की खरीद संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (12 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (a) For additional expenditure on Salary (Rs. 0.75 crore) under Directorate General of Light Houses and Light Ships (DGLHLS) against additional receipts. As the expenditure of DGLHLS is netted against receipts it will not entail cash outgo. Since savings are also available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For meeting additional expenditure on purchase of Survey Vessels by the Ministry of Defence (Rs. 12 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिए)। (See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 71 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	2446.00	139.00	2585.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	•••	0.02
		C. and an artist Estimate of				
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	5.01		5.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementar	ry)			
	स्वीकृत		Voted:	2451.03	139.00	2590.03

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जाति,		2225-Welfare of Scheduled				
अनुसूचित जनजाति		Castes, Scheduled Tribes				
और अन्य पिछड़ा वर्गों		and Other Backward				
का कल्याण	स्वीकृत	Classes	Voted:	5.00 (কa)	0.01 (खb)	5.01

यह पूरक निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित हैः

- The supplementary is required for the following purposes:-
- क) राजीव गांधी नेशनल अनुसूचित जाति फेलोशिप योजना को अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करने हेतु (25 करोड़ रुपए)। अनुदान के पूंजी भाग से 5 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित करने के बाद, शेष राशि को अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा।
- (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय को वेतन से सम्बन्धी व्यय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान (0.15 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (a) For releasing additional Grants-in-aid under the scheme of Rajiv Gandhi National Fellowship for Scheduled Castes (Rs. 25 crore). After surrendering an amount of Rs. 5 crore from the Capital Section of the Grant, the balance amount will be met from savings available in the same Section of the Grant.
- (b) For releasing additional Grants-in-aid to the Office of National Commission of Backward Classes for meeting the salary related expenditure requirements (Rs. 0.15 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought

# कपड़ा मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिए)। (See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 74 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	11343.75	184.00	11527.75
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	514.45		514.45
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	4.00	4.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementar	ry)Voted:	11858.22	188.00	12046.22

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2851-ग्रामीण और		2851-Village and				
लघु उद्योग	स्वीकृत	Small Industries	Voted:	0.01 (কa)	•••	0.01
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:		0.01 (खb)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	<b>Total Revenue Section</b>	Voted:	0.01	0.01	0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4851-ग्रामीण और लघु उद्योगों		4851-Capital Outlay on Village				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	and Small Industries	Voted:	4.00 (गc)		4.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	4.01	0.01	4.02

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनार्थ की गयी है:

- (क) मिल गेट प्राइस स्कीम पर अतिरिक्त आवश्यकता (1.38 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
- (ख) भारतीय पटसन निगम लि. को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रचालन के अन्तर्गत आधारभूत अवसंचना को बनाए रखने हेतु सब्सिडी (6.59 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं।

(ग) बुनकर सेवा केन्द्र(डब्ल्यूएससी)/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) की ढांचागत सुविधाओं पर अतिरिक्त आवश्यकता (4.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी, इसलिए इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) For meeting the additional requirement (Rs.1.38 crore) on Mill Gate Price Scheme.
- (b) Subsidy (Rs.6.59 crore) to Jute Corporation of India towards maintainance of infrastructure under Minimum Support Price (MSP) Operation.

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

(c) For meeting additional requirement (Rs.4.00 crore) on Infrastruture for Weavers' Service Centre (WSC)/Indian Institutes of Handloom Technology (IIHT). As matching savings from Revenue Section of the Grant will be surrendered, this supplementary will not entail cash outgo.

## पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिए)। (See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 76 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूजा	जाड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत		Voted:	1064.00	6.00	1070.00	
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT	:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of					
का पूरक अनुमान		the amount now required:					
	स्वीकृत		Voted:	0.01	1.00	1.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	tary)				
	स्वीकृत		Voted:	1064.03	7.00	1071.03	

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3452-पर्यटन		3452-Tourism				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (কa)		0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
5452-पर्यटन पर पूंजी		5452-Capital Outlay on				
परिव्यय	स्वीकृत	Tourism	Voted:	1.00 (खb)		1.00
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	1.01	•••	1.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है;

- (क) निम्नलिखित मौजूदा योजनाओं हेतु अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए:
  - (i) प्रशिक्षण शीर्ष के तहत सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (3 करोड़ रुपए); और
  - (ii) लक्ष्य और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास (15 करोड़ रुपए)।

चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ख) अजन्ता और एलौरा की जापान इंटरनेशनल कॉऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सलाहकारों को भुगतान हेतु बौद्ध केन्द्रों (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सिहत) के तहत व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (2 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपए की बचतों का उपयोग करने के बाद, अनुदान के राजस्व भाग से 1 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित करके की जाएगी और इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for:

- (a) Central Financial Assistance to meet the requirements of additional expenditure on the following ongoing schemes:
  - (i) Capacity Building for Service Providers under the head Training (Rs.3 crore); and
  - (ii) Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits (Rs.15 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) To meet the additional requirements of expenditure under Buddhist Centres (including Externally Aided Projects) for payment to Consultants for Japan International Cooperation Agency (JICA) aided projects for Ajanta & Ellora (Rs.2 crore). After utilising savings of Rs.1 crore within the same Section of the Grant, and surrendering of Rs.1 crore from Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.

# अंडमान निकोबार द्वीपसमूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिए)। (See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:			
भारि	7 Charged:	0.01		0.01
स्वीकृत	T Voted:	1808.28	993.09	2801.37
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the amount now required:			
स्वीकृत	T Voted:	100.62		100.62
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1908.91	993.09	2902.00
	Charged:	0.01		0.01
स्वीकृ	T Voted:	1908.90	993.09	2901.99

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष गृह मंत्रालय		REVENUE SECTION MAJOR HEAD Ministry of Home Affairs		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2052-सचिवालय-सामान्य	_	2052-Secretariat-General				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted		0.02 (कa)	0.02
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted	2.14 (खb)	•••	2.14
2070-अन्य प्रशासनिक		2070-Other Administrative				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted		11.00 (गc)	11.00
2225-अनुसूचित जाति,		2225-Welfare of Scheduled				
अनुसूचित जनजाति और		Castes, Scheduled Tribes				
अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	स्वीकृत	and Other Backward Classes	Voted	0.12 (ঘd)		0.12
2245-प्राकृतिक आपदा		2245-Relief on account of				
राहत	स्वीकृत	Natural Calamities	Voted	1.20 (롱e)	0.95 (উe)	2.15
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted	0.10 (चf)		0.10
२४०३-पशु कार्य	स्वीकृत	2403-Animal Husbandry	Voted	0.02 (ঘg)		0.02
2405-मात्रियकी	स्वीकृत	2405-Fisheries	Voted	0.60 (जh)		0.60
2425-सहकारिता	स्वीकृत	2425-Co-operation	Voted	0.52 (朝i)	•••	0.52
2435-अन्य कृषि		2435-Other Agricultural				
कार्यक्रम	स्वीकृत	Programmes	Voted	0.10 (সj)	•••	0.10
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural				
		Development				
2215-जलापूर्ति एवं		2215-Water Supply and				
स्वच्छता	स्वीकृत	Sanitation	Voted	0.79 (⋷k)		0.79
पर्यावरण और वन	C	<b>Ministry of Environment</b>				
मंत्रालय	स्वीकृत	and Forests				
2406-वानिकी और वन्य जीव	C	2406-Forestry and Wild Life	Voted	3.70 (বা)	15.00 (ਗ)	18.70
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		Ministry of Health and		. ,	` ,	
मंत्रालय		Family Welfare				
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted	13.00 (উm)		13.00

	٥,						
स्कूली शिक्षा		Department of School					
एवं साक्षरता विभाग		<b>Education and Literacy</b>					
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted	16.30 (ব্রn)	•••	16.30	
उच्च शिक्षा		Department of					
विभाग		Higher Education					
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted	5.00 (णo)	•••	5.00	
महिला एवं		Ministry of Women and					
बाल विकास		Child Development					
2235-सामाजिक सुरक्षा		2235-Social Security					
और कल्याण	स्वीकृत	and Welfare	Voted	0.80 (तp)	1.14 (तp)	1.94	
सूक्ष्म, लघु और		Ministry of Micro, Small					
मध्यम उद्यम मंत्रालय		and Medium Enterprises					
2851-ग्रामीण एवं		2851-Village and Small					
लघु उद्योग	स्वीकृत	Industries	Voted	0.08 (থq)		0.08	
2885-उद्योग और खनीजों पर		2885-Other Outlays on					
अन्य परिव्यय	स्वीकृत	<b>Industries and Minerals</b>	Voted	0.40 (दr)	•••	0.40	
सड़क परिवहन		Ministry of Road Transport					
और राजमार्ग मंत्रालय		and Highways					
3055-सड़क परिवहन	स्वीकृत	3055-Road Transport	Voted	3.82 (ঘs)	1.91 (ঘs)	5.73	
परिवहन मंत्रालपय		Ministry of Shipping					
3051-बन्दरगाह और दीप स्तम्भ	स्वीकृत	3051-Ports and Light Houses	Voted	1.16 (नt)	•••	1.16	
3052-परिवहन	स्वीकृत	3052-Shipping	Voted	13.78 (पu)	•••	13.78	
नागर विमानन मंत्रालय		Ministry of Civil Aviation					
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation	Voted	6.07 (फv)	•••	6.07	
संस्कृति मंत्रालय		Ministry of Culture					
2205-कला एवं संस्कृति	स्वीकृत	2205-Art and Culture	Voted	0.90 (ৰw)	•••	0.90	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)		70.60	30.02	100.62	

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

**Note:** The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted		-0.15	-0.15
2070-अन्य प्रशासनिक		2070-Other Administrative				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted		-0.50	-0.50
2245-प्राकृतिक		2245-Relief on account of				
आपदा राहत	स्वीकृत	Natural Calamities	Voted		-0.08	-0.08
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted	•••	1.25	1.25
2404-डेयरी विकास	स्वीकृत	2404-Dairy Development	Voted		-0.01	-0.01
2405-मात्स्यिकी	स्वीकृत	2405-Fisheries	Voted	•••	-0.02	-0.02
2425-सहकारिता	स्वीकृत	2425-Co-operation	Voted	•••	-0.02	-0.02
विद्युत मंत्रालय		<b>Ministry of Power</b>				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted		-0.12	-0.12
खाद्य प्रसंस्करण		Ministry of Food				
उद्याग मंत्रालय		<b>Processing Industries</b>				
2408-खाद्य भंडारण और		2408-Food Storage and				
भण्डागारण	स्वीकृत	Warehousing	Voted	•••	-1.61	-1.61
स्वास्थ्य और परिवार		Ministry of Health and				
कल्याण मंत्रालय		Family Welfare				
2210-चिकित्सा और जनस्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted	•••	-0.10	-0.10
स्कूली शिक्षा और		Department of School				
साक्षरता विभाग		<b>Education and Literacy</b>				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted		-0.30	-0.30

सूक्ष्म, लघु और		Ministry of Micro, Small				
मध्यम उद्यम मंत्रालय 2851-ग्रामीण और लघ् उद्योग	<del></del>	and Medium Enterprises	Makad		0.01	0.01
9	स्वीकृत	2851-Village and Small Industries	Voted	•••	-0.01	-0.01
परिवहन मंत्रालय	0	Ministry of Shipping				
3051-बन्दरगार और	स्वीकृत	3051-Ports and				
दीप स्तंभ		Light Houses	Voted		-0.10	-0.10
शहरी विकास		Ministry of Urban				
मंत्रालय		Development				
2059-सार्वजनिक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted		0.12	0.12
सामाजिक न्याय और		Ministry of Social Justice				
अधिकारिता मंत्रालय		and Empowerment				
2235-सामाजिक सुरक्षा		2235-Social Security				
और कल्याण	स्वीकृत	and Welfare	Voted		-0.05	-0.05
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture				
4401-फसल कार्य	स्वीकृत	4401-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Crop Husbandry	Voted		-1.25	-1.25
4425-सहकारिता पर		4425-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Co-operation	Voted		-0.03	-0.03
जोड़ वसूलियां		Total Recoveries		•••	-2.98	-2.98

यह पूरक अनुदान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपेक्षित है:

- (क) अंडमान निकोबार, वक्फ बोर्ड को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेत्।
- (ख) स्टोर/उपस्कर और पुलिस विभाग हेतु पीओएल खरीद पर।
- (ग) होमगार्ड कार्मिक के 326 अतिरिक्त पदों के सन्दर्भ में वेतन पर।
- (घ) जनजाति परिषदों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु।
- (ङ) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (1.20 करोड़ रुपए) और छोटे व्यापारियों और व्यावसायियों के लिए पुनरुत्थान पैकेज (0.95 करोड़ रुपए) के भुगतान हेत्।
- (च) पौध संरक्षण योजना के तहत किसानों को सब्सिडी प्रदान करने हेत।
- (छ) कुक्कुट विकास कार्यक्रम के तहत सब्सिडी प्रदान करने हेतु।
- (ज) विभिन्न विकास योजनाओं के तहत मछुआरों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए।
- (झ) सहकारी समितियों को सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रुपए) और सब्सिडी (0.32 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेत्।
- (ञ) उच्च पैदावार कार्यक्रम के तहत किसानों को सब्सिडी प्रदान करने हेतु।
- (ट) जल आपूर्ति और स्वच्छता के तहत ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु।
- (ठ) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और मजदूरी पर
- (ड) दवाइयों/चिकित्सा उपस्करों की लागत पर (11.44 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में संघ राज्य की हिस्सेदारी (1.56 करोड़ रुपए)।
- (ढ) वेतन, चिकित्सा इलाज और घरेलू यात्रा व्यय (11.40 करोड़ रुपए) और सर्व शिक्षा अभियान में संघ राज्य का हिस्सा (4.90 करोड़ रुपए)।
- (ण) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सिफारिशों के कार्यान्वयन वेतन, चिकित्सा उपचार और घरेलू यात्रा व्यय (4.38 करोड़ रुपए) और सहायता प्राप्त स्कूलों को अनुदान (0.62 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is sought for meeting requirements of additional expenditure:

- (a) For providing additional grants to Andaman and Nicobar Wakf Board.
- (b) On purchase of stores/equipments and POL for Police Department.
- (c) On salary in respect of 326 supernumerary posts of Home Guards personnel.
- (d) For providing additional grants to Tribal Councils.
- (e) For payments under Tsunami Rehabilitation Programme (Rs 1.20 crore) and revival package for small traders and businessmen (Rs 0.95 crore).
- (f) For providing subsidy to farmers under Plant Protection Scheme.
- (g) For providing subsidy under Poultry Development Programme.
- (h) For providing subsidy to Fishermen under various development schemes.
- (i) For providing grants-in-aid (Rs 0.20 crore) and subsidy (Rs 0.32 crore) to co-operative societies.
- (j) For providing subsidy to farmers under High Yeilding Programme.
- (k) For providing additional grants to Gram Panchayats under Water Supply and Sanitation.
- (l) On Salary and Wages due to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
- (m) On cost of medicines/medical equipments (Rs 11.44 crore) and UT's share in National Rural Health Mission (Rs 1.56 crore)
- (n) On Salary, Medical Treatment and Domestic Travel Expenses (Rs 11.40 crore) and UT's share in Sarva Shiksha Abhiyan (Rs 4.90 crore).
- (o) On Salary, Medical Treatment, Domestic Travel expenses (Rs 4.38 crore) and grants to aided schools (Rs 0.62 crore) for implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.

- (त) विधवाओं/परित्यक्त महिलाओं को भत्तों का प्रावधान (0.80 करोड़ रुपए) और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सीमा क्षेत्र परियोजनाओं और राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड (1.14 करोड़ रुपए) को अतिरिक्त अनुदान।
- (थ) अंडमान निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अपेक्षित अतिरिक्त राशि की पूर्ति के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु।
- (द) उद्योगों को परिवहन सब्सिडी प्रदान करने हेत्।
- (ध) वेतन और मजदूरी (2.52 करोड़ रुपए) तथा पीओएल और स्पेअर्स लागत (3.21 करोड़ रुपए)।
- (न) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण वेतन पर।
- (प) भारतीय सेतु निगम (11.78 करोड़ रुपए) मेनलैण्ड आइलैंड जहाजों के अनुरक्षण और मरम्मत (2.00 करोड़ रुपए) के भूगतान पर।
- (फ) एम/एस पवनहंस हेलीकोपटर्स लिमिटेड को हेलीकोप्टर्स किराया लागत भुगतान।
- (ब) विज्ञान केन्द्र को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध 66.74 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए और व्यय की कटौती के रूप में 2.98 करोड़ रुपए की वर्धित वसूलियों के समायोजन के बाद, इस पूरक में 30.90 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

- (p) For providing allowances to widows/deserted women (Rs 0.80 crore), additional grants to Border Area Projects and State Social Welfare Advisory Board (Rs1.14 crore) for implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
- (q) For providing grants to Andaman and Nicobar Khadi and Village Industries Board to meet the additional amounts required for implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
- (r) For providing transport subsidy to industries.
- (s) On Salary and Wages (Rs 2.52 crore) and cost of POL and spares (Rs 3.21 crore)
- (t) On Salary due to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
- (u) For on account payment to Shipping Corporation of India (Rs 11.78 crore) and maintenance and repair of mainlandisland vessels (Rs 2.00 crore).
- (v) For payment to M/S Pawan Hans Helicopters Ltd towards chartering of helicopters
- (w) For providing additional grants to Science Centre.

Taking into account the savings of Rs. 66.74 crore from Capital Section of the Grant and after adjustment of enhanced recoveries of Rs.2.98 crore taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs.30.90 crore.

## चंडीगढ़ CHANDIGARH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 101 देखिए)। (See page No. 101 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड **Total** Revenue Capital I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः भारित 0.10 67.35 Charged: 67.25 स्वीकृत Voted: 1644.99 455.88 2100.87 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required भारित 0.50 Charged: 0.50 स्वीकृत Voted: 85.83 89.25 175.08 1798.57 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 545.23 2343.80 भारित Charged: 67.75 0.10 67.85 स्वीकृत Voted: 1730.82 545.13 2275.95

- II. इस पुरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2014-न्याय प्रशासन	स्वीकृत	2014-Administration of Justice	Voted:	•••	0.10 (কa)	0.10
2040-बिक्री, व्यापार आदि पर		2040-Taxes on Sales,				
कर	स्वीकृत	Trade etc.	Voted:	0.45 (खb)	•••	0.45
2054-राजकोष और लेखा प्रशास		2054-Treasury and Accounts				
	स्वीकृत	Administration	Voted:	0.08 (गट)		0.08
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:		1.04 (ঘd)	1.04
2255-अनुसूचित जाति, अनुसूचित		2225-Welfare of Scheduled				
जनजाति और अन्य पिछड़े	वर्गीं	Castes, Scheduled				
का कल्याण		Tribes and Other				
	स्वीकृत	<b>Backward Classes</b>	Voted:		0.20 (룡e)	0.20
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development				
2515-अन्य ग्रामीण विकास		2515-Other Rural Development				
कार्यक्रम	स्वीकृत	Programmes	Voted:	1.00 (चf)	•••	1.00
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	•••	24.97 (ভg)	24.97
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution				
अथ्वाति 3456-नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत	3456-Civil Supplies	Voted:	0.25 (गc)		0.25
उभ्राची अपूर्ण जापूर्ण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	स्पापृता	Ministry of Health and	voteu.	0.23 (40)	•••	0.23
मंत्रालय		·				
<b>भत्रालय</b> २२१०-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	ı	Family Welfare 2210-Medical and Public				
	स्वीकृत	Health	Voted:	19.49 (जh)		19.49
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग		Department of School Educatio and Literacy		19119 (111)		2,,,,
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	10.13 (झi)	0.45 (সj)	10.58

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2236-पोषण	स्वीकृत	2236-Nutrition	Voted:	2.50 (ਵk)		2.50
उच्च शिक्षा विभाग	C	Department of Higher Educat	tion			
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	1.98 (ਗ)	1.90 (sm)	3.88
2203-तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203-Technical Education	Voted:	0.79 (गc)	4.77 (इn)	5.56
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	c	Ministry of Youth Affairs and Sports		` '	· /	
2204-खेल और युवा सेवाएं		2204-Sports and Youth				
,	स्वीकृत	Services	Voted:	0.22 (কa)		0.22
संस्कृति मंत्रालय		Ministry of Culture	, 50001	0.22 ()		0.22
2205-कला एवं संस्कृति	स्वीकृत	2205- Art and Culture	Voted:	0.20 (কa)		0.20
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		Ministry of Micro, Small and	v otea.	0.20 (44)	•••	0.20
मंत्रालय		Medium Enterprises				
2851-ग्रामीण और लघु उद्योग		2851-Village and Small				
2031 प्रामान आर सबु उवान	स्वीकृत	Industries	Voted:	0.45 (গত)		0.45
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	रवाष्ट्ररा	Ministry of Labour and	voica.	0.43 (%)	•••	0.43
त्रम ९५ राजनार मत्रालय		Employment				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य		2210- Medical and Public				
2210-विविध्सा आर जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	Health	Voted:	0.21 (70)		0.31
सड़क परिवहन और राजमार्ग	स्पापृता		voted.	0.31 (त्रp)	•••	0.31
मंत्रालय		Ministry of Road Transport				
	<del></del>	and Highways	Mata J.		0.22 (27.2)	0.22
3054-सड़कें और पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:		0.33 (थq)	0.33
3055-सड़क परिवहन	भारितः	3055-Road Transport	Charged:	•••	0.50 (दr)	0.50
	स्वीकृत	N. C.	Voted:	•••	0.86 (ਬs)	0.86
पर्यटन मंत्रालय		Ministry of Tourism	*7 . 1	0.40 ( )		0.40
3452-पर्यटन	स्वीकृत	3452-Tourism	Voted:	0.40 (नt)	•••	0.40
शहरी विकास मंत्रालय	0	Ministry of Urban Developme				
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:		8.23 (पu)	8.23
2216-आवास	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:		1.98 (फv)	1.98
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		Ministry of Social Justice and				
मंत्रालय		Empowerment				
2235-सामाजिक न्याय और		2235-Social Security and				
अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	Welfare	Voted:	0.86 (ৰw)		0.86
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी		<b>Ministry of Communications</b>				
मंत्रालय 		and Information Techno	ology			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	_	3451-Secretariat-Economic				
	स्वीकृत	Services	Voted:	1.89 (भx)		1.89
जोड़ राजस्व भाग		<b>Total Revenue Section</b>		41.00	45.33	86.33
	भारित		Charged:		0.50	0.50
	स्वीकृत		Voted:	41.00	44.83	85.83
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय		4055-Capital Outlay on				
	स्वीकृत	Police	Voted:		0.25 (чу)	0.25
4059-लोक निर्माण कार्य पर		4059-Capital Outlay on Public				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Works	Voted:	12.00 (यट)		12.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		Ministry of Health and				
मंत्रालय		Family Welfare				
4210-चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य	पर	4210-Capital Outlay on Medica	al			
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	and Public Health	Voted:	5.00 (ककaa)	)	5.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग	C	Ministry of Road Transport		,		
मंत्रालय		and Highways				
5054-सड़कों और पुलों पर		5054-Capital Outlay on Roads				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	and Bridges	Voted:	3.00 (खखbb	)	3.00
a	c ··	**************************************			*	

				Plan	Non-Plan	Total
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Develop	ment			
4217-शहरी विकास पर पूंजी		4217-Capital Outlay on Urba	an			
परिव्यय	स्वीकृत	Development	Voted:	69.00 (गगcc)		69.00
जोड़ पूंजी भाग	· ·	<b>Total Capital Section</b>		89.00	0.25	89.25
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		130.00	45.58	175.58
	भारित		Charged:		0.50	0.50
	स्वीकृत		Voted:	130.00	45.08	175.08
		टिप्पणीः ऊपर दिए गए अतिरिक्त किया गया है, जिन्हें व्यय Note: The above estimates of shown below, which a	। में से घटाकर समा f additional requi	ायोजित किया जाता ह irements do not tak	}  e into account	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2014-न्याय प्रशासन		2014- Administration of Justi	ice			
	स्वीकृत		Voted:		-17.00	-17.00
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	C	Ministry of Labour and Employment				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	-	2210-Medical and Public				
	स्वीकृत	Health	Voted:		0.50	0.50
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Develop	ment			
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:		2.88	2.88
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता		2215-Water Supply and Sani	itation			
	स्वीकृत		Voted:		0.38	0.38
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर		4801-Capital Outlay on Pow	er			
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Projects	Voted:		-2.00	-2.00
जोड़ (वसूलियाँ)		Total (Recoveries)	Voted:	•••	-16.00	-16.00
00 \	0.0	\; 0 O( )				

यह पूरक अनुदान/विनियोग अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माँगा गया है:-

- (क) वेतनमानों के संशोधन के कारण सहायता अनुदान के वास्तविक हिस्से के भुगतान हेतु।
- (ख) आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु।
- (ग) पांचवे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमानों के संशोधन के कारण बकाया राशि के भुगतान हेतु।
- (घ) अंतःरोगियों और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के चिकित्सा दावों के निपटान हेतु (0.04 करोड़ रुपए) और नवगठित भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए वर्दियों की खरीद के लिए (1.00 करोड़ रुपए)।
- (ङ) छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि और लाभभोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी के कारण।
- (च) गांवों में चालू विकासात्मक निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु।
- (छ) विभिन्न विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए अधिक विद्युत की खरीद हेतु और लंबित बिलों/भुगतानों के निपटान हेतु।
- (ज) पांचवे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमानों के संशोधन के कारण बकाया राशि के भुगतान के लिए (12.91 करोड़ रुपए); आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए (3.00 करोड़ रुपए); अंतःरोगियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा दावों की अदायगी (0.20 करोड़ रुपए); दवाइयों और

The Supplementary Grant/Appropriation is sought for meeting requirements of additional expenditure :-

(a) For payment of actual share of grants-in-aid due to revision of pay scales.

आयोजना-भिन्न

जोड

आयोजना

- (b) For payment of salary to the outsourced staff.
- (c) For payment of arrears, due to revision of pay scales as per the recommendations of Fifth Punjab Pay Commission.
- (d) For clearance of medical claims of indoor patients and retirees (Rs.0.04 crore) and for purchase of uniforms for the newly set-up Indian Reserve Battalian (Rs.1.00 crore).
- (e) Due to enhancement in the rates of scholarship and increase in the number of beneficiaries.
- (f) To complete ongoing developmental works in the villages.
- (g) For purchase of more power for various developmental works and for the clearance of pending bills/payments.
- (h) For payment of arrears due to revision of pay scales as per the recommendations of Fifth Punjab Pay Commission (Rs.12.91 crore); salary to outsourced staff (Rs.3.00 crore); clearance of medical claims of indoor patients and retirees (Rs.0.20 crore); purchase of

- अस्पताल उपस्करों की खरीद हेतु (2.78 करोड़ रुपए) और जल और विद्युत बिलों की देयताओं की अदायगी (0.60 करोड़ रुपए)।
- (झ) पांचवे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमानों के संशोधन के कारण बकाया राशि के भुगतान हेतु (5.06 करोड़ रुपए); मजदूरी के संशोधन के कारण दैनिक वेतन कर्मचारियों की आवश्यकता (0.25 करोड़ रुपए); गरीब छात्रों को पोशाक और पुस्तकें प्रदान करने हेतु (1.78 करोड़ रुपए) और सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों के हिस्से के भुगतान के लिए (3.04 करोड़ रुपए)।
- (ञ) जल और विद्युत बिलों के देयताओं को पूरा करने हेतु (0.09 करोड़ रुपए); छात्रवृत्ति की दरों में बढ़ोतरी और लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी (0.25 करोड़ रुपए) और कालेजों में कार्यरत संकाय सदस्यों के वेतन भुगतान हेतु (0.11 करोड़ रुपए)।
- (ट) लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण।
- (ठ) पांचवे पंजाब वेतन आयोग की सिपारिशों के अनुसार वेतनमानों के संशोधन के कारण बकाया राशि के भुगतान हेतु (1.55 करोड़ रुपए); मजदूरी के संशोधन के कारण दैनिक वेतन कर्मचारियों की दरों में संशोधन (0.36 करोड़ रुपए); वेतनमानों के संशोधन के कारण सहायता अनुदान के वास्तविक हिस्से के भुगतान हेतु (0.07 करोड़ रुपए)।
- (ड) जल और विद्युत बिलों की देयताओं को पूरा करने हेतु (0.09 करोड़ रुपए); कालेजों में कार्यरत संकाय सदस्यों को वेतन के भुगतान हेतु (1.81 करोड़ रुपए) और पंजाब विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान हेतु (41.53 करोड़ रुपए)।
- (इ) अंतःरोगियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा दावों की अदायगी हेतु (0.27 करोड़ रुपए) और वेतनमानों के संशोधन के कारण सहायता अनुदान के वास्तविक हिस्से के भुगतान हेतु (4.50 करोड़ रुपए)।
- (ण) वेतनमानों के संशोधन के कारण सहायता अनुदान के वास्तविक हिस्से के भुगतान हेतु (0.05 करोड़ रुपए) और नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला संबंधी व्यय के लिए (0.40 करोड़ रुपए)।
- (त) दवाइयों और अस्पताल के उपस्करों की खरीद हेत्।
- (थ) दैनिक वेतन कर्मचारियों की मजदूरी दरों में संशोधन की वजह से।
- (द) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत दावों में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु (भारित)।
- (ध) वर्धित अड्डा शुल्क और चुंगीकर के भुगतान हेतु (0.30 करोड़ रुपए) और कल पुर्जों, टायरों और ट्यूबों की खरीद के लिए (0.56 करोड़ रुपए)।
- (न) पर्यटन सुविधा को बढ़ाने और सुदृढ़ बनाने हेतु।
- (प) दैनिक वेतन कर्मचारियों की मजदूरी दरों में संशोधन (3.20 करोड़ रुपए) और रखरखाव सामग्री की कीमतों में वृद्धि (5.03 करोड़ रुपए)।
- (फ) दैनिक वेतन कर्मचारियों की मजदूरी दरों में संशोधन (0.48 करोड़ रुपए) और रखरखाव सामग्री की कीमतों में वृद्धि (1.50 करोड़ रुपए)।

- medicines and hospital equipments (Rs.2.78 crore) and to clear the liabilities of water and electricity bills (Rs.0.60 crore).
- (i) For payment of arrears due to revision of pay scales as per the recommendations of Fifth Punjab Pay Commission (Rs.5.06 crore); requirements for daily wage workers on account of revision of wages (Rs.0.25 crore); to provide uniforms and books to poor students (Rs.1.78 crore) and the State's share under Sarv Shiksha Abhiyan (Rs.3.04 crore).
- (j) To clear the liabilities of water and eletricity bills (Rs.0.09 crore); enhancement in the rates of Scholarship and increase in the number of beneficiaries (Rs.0.25 crore) and payment of salary to Faculty members engaged in Colleges (Rs.0.11 crore).
- (k) Due to increase in the number of beneficiaries.
- (1) For payment of arrears due to revision of pay scales as per the recommendations of Fifth Punjab Pay Commission (Rs.1.55 crore); revision in the rates of daily wage workers on account of revision of wages (Rs.0.36 crore); payment of actual share of grants-in-aid due to revision of pay scales (Rs.0.07 crore).
- (m) to clear the liabilities of water and electricity bills (Rs.0.09 crore); payment of salary to the Faculty members engaged in Colleges (Rs.1.81 crore) and for grants-in-aid to Punjab University (Rs.41.53 crore).
- (n) for clearance of medical claims of indoor patients and retirees (Rs.0.27 crore) and payment of actual share of grants-in-aid due to revision of pay scales (Rs.4.50 crore).
- (o) For payment of actual share of grants-in-aid due to revision of pay scales (Rs.0.05 crore) and expenditure on International Trade Fair held in New Delhi (Rs.0.40 crore).
- (p) For purchase of medicines and hospital equipment.
- (q) Due to revision in the rates of wages of daily wage workers.
- (r) For payment of compensation in the cases awarded by Motor Accident Claims Tribunal (Charged).
- (s) For payment of enhanced Adda Fees and Toll Tax (Rs.0.30 crore) and purchase of spare parts, tyres and tubes (Rs.0.56 crore).
- (t) To enhance and strengthen the Tourism facility.
- (u) Revision in the rates of wages of daily wage workers (Rs.3.20 crore) and increase in prices of maintenance material (Rs.5.03 crore).
- (v) Revision in the rates of wages of daily wage workers (Rs.0.48 crore) and increase in prices of maintenance material (Rs.1.50 crore).

- (ब) पांचवे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमानों के संशोधन के कारण बकाया राशि के भुगतान हेतु (0.32 करोड़ रुपए); जल और विद्युत बिलों की देयताओं को पूरा करने हेतु (0.10 करोड़ रुपए); दवाईयों और अस्पताल उपकरण की खरीद हेतु (0.15 करोड़ रुपए) और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु (0.29 करोड़ रुपए)।
- (भ) ई-सम्पर्क केन्द्र; जो ई-शासन के तहत एक पहल है, के संचालन हेतु।
- (म) नवगठित भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए वाहनों की खरीद हेतु।
- (य) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मौजूदा निर्माण कार्यों को पूरा करने हेत्।
- (कक) चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 32 में सरकारी मेडिकल कालेज और अस्पताल में ई-ब्लाक को पूरा करने हेतु।
- (खख) नगर में विभिन्न सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए।
- (गग) विभिन्न विकासात्मक निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु (1.00 करोड़ रुपए) और जेएनएनयूआरएम परियोजना के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्सों के भुगतान हेतु (68.00 करोड़ रुपए)।

अनुदान के इसी भाग में 41.53 करोड़ रुपए की बचतों को देखते हुए और वर्धित वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करने के पश्चात्, इस पूरक अनुदान में 159.58 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

- (w) For payment of arrears due to revision of pay scales as per the recommendations of Fifth Punjab Pay Commission (Rs.0.32 crore); to clear the liabilities of water and electricity bills (Rs.0.10 crore); purchase of medicines and hospital equipment (Rs.0.15 crore) and payment of salary to the outsourced staff (Rs.0.29 crore).
- (x) For operation of e-sampark centre, which is an initiative under e-governance.
- (y) For purchase of vehicles for the newly set up Indian Reserve Battalian.
- (z) To complete the ongoing works of Punjab and Haryana High Court.
- (aa) For completion of E-block in Government Medical College and Hospital in Sector 32 Chandigarh.
- (bb) For re-carpeting of various roads in the city.
- (cc) To complete various developmental works (Rs.1.00 crore) and making payment of UT's share under JNNURM Project (Rs.68.00 crore).

Taking into account the savings of Rs.41.53 crore available within the same Section of the Grant and after adjustment of enhanced recoveries taken in reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs.159.58 crore.

# दादरा और नगर हवेली DADRA AND NAGAR HAVELI

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिए)। (See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित		Charged:		•••	•••
	स्वीकृत		Voted:	1984.91	57.44	2042.35
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	23.00	23.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplemen	ntary)			
	स्वीकृत		Voted:	1984.93	80.44	2065.37

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
स्वास्थ्य तथा परिवार		Ministry of Health and				
कल्याण मंत्रालय		Family Welfare				
2210-चिकित्सा तथा		2210-Medical and				
सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	Public Health	Voted:	0.01 (कa)		0.01
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
2217-शहरी		2217- Urban				
विकास	स्वीकृत	Development	Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	<b>Total Revenue Section</b>	Voted:	0.02	•••	0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर		4801-Capital Outlay on Power				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Projects	Voted:	23.00 (тc)		23.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	23.02	•••	23.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है:-

- (क) रोगी कल्याण समिति को निर्माण कार्यक्रम (1.00 करोड़ रुपए) और चिकित्सा विभाग के लंबित बिलों के भुगतान हेतु सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)।
- (ख) नगर परिषद्, सिलवासा जलापूर्ति योजना के संवर्धन के लिए सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपबल्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ग) पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भेल लि. आदि को खादोली और खरदपाड़ा गांवों मं 220/66/11 केवी सब-स्टेशनों की स्थापना हेतु भुगतान (23.00 करोड़ रुपए)।

इस पूरक में नकद व्यय नहीं होगा, क्योंकि अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी। The Supplementary Grant is sought for meeting additional expenditure for the following purposes:

- (a) For Grants-in-aid to Rogi Kalyan Samiti for construction programme (Rs 1.00 crore) and payment of pending bills of Medical Department (Rs. 1.00 crore).
- (b) For Grants-in-aid to Municipal Council, Silvassa for augmentation of Silvassa Water Supply Scheme (Rs. 10.00 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

(c) For payment to Power Grid Corporation of India and BHEL Ltd. etc for establishment of 220/66/11 KV sub-stations at Khadoli & Kharadpada village (Rs. 23.00 crore).

This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section of the Grant.

### दमन तथा दीव DAMAN AND DIU

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिए)। (See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व जोड पूंजी Revenue Capital **Total** I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत 86.48 870.15 Voted: 783.67 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 0.06 1.00 1.06 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत 783.73 87.48 871.21 Voted:

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

					नना-भिन्न on-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
सास्थ्य और परिवार		Ministry of Health and				
कल्याण मंत्रालय		Family Welfare				
2210-चिकित्सा और		2210-Medical and Public				
जनस्वास्थ्य	स्वीकृत	Health	Voted:	0.01(কa)	•••	0.01
स्कूली शिक्षा और साक्षरता		Department of School				
विभाग		<b>Education and Literacy</b>				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	•••	0.01(खb)	0.01
उच्चतर शिक्षा		Department of Higher				
विभाग		Education				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.01(गट)	0.01(घd)	0.02
शहरी विकास		Ministry of Urban				
मंत्रालय		Development				
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development	Voted:	0.01 (se)	0.01 (चf)	0.02
जोड़ (राजस्व)		<b>Total (Revenue Section)</b>		0.03	0.03	0.06
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
शहरी विकास		Ministry of Urban				
मंत्रालय		Development				
4202-खेल, शिक्षा, कला		4202-Capital Outlay on				
और संस्कृति पर		Education, Sports,				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Art and Culture	Voted:	1.00 (ছ্ব)	•••	1.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	1.03	0.03	1.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए मांगा गया हैः

(क) दवाइयों, सर्जिकल उपकरणों, डिजिटल एक्स रे मशीन आदि की खरीद के लिए, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, मोती दमन और सरकारी अस्पाताल, मारवाड़, नानी दमन; मातृ सुरक्षा योजना और दिकरी विकास को भुगतान; नवनियुक्त डाक्टरों आदि के लिए फर्नीचर/उपस्कर की खरीद और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संघराज्य क्षेत्र हिस्से के लिए (1.78 करोड़ रुपए)।

The Supplementary Grant is sought for meeting additional expenditure for the following purposes:

(a) For purchase of medicines, surgical equipments, digital X-ray machine etc. for Community and Primary Health Centres, Moti Daman and Government Hospital, Marwad, Nani Daman; payment to beneficiaries of Matru Suraksha Yojna and Dikri Development; purchase of furniture / equipments for newly appointed doctors etc; and UT's

- (ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण संघराज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्चचारियों को 60 प्रतिशत बकाया के भुगतान हेत् (8.61 करोड़ रुपए)
- (ग) समस्त दमन व दीव जिले में मौजूदा विद्यालयों के मार्डन स्कूलों में स्तोरोन्नयन की योजना के तहत आधुनिक उपस्कर/इलेक्ट्रोनिक मदों/कम्प्यूटरों/शिक्षण उपस्कर/फर्नीचर की खरीद हेतु (1.00 करोड़ रुपए)।
- (घ) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन कारण संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों को 60 प्रतिशत बकाया के भुगतान हेतु (4.77 करोड़ रुपए)।
- (इ) दमन व दीव जिले में शहरी विकासात्मक कार्यों/योजनाओं के कार्यान्वयन; दमन में भूमिगत मलव्ययन प्रणाली के कार्यान्वयन तथा अन्य विकासत्मक कार्यों के लिए नगर परिषद/ओआईडीसी को सहायता अनुदान हेतु (7.00 करोड़ रुपए)।
- (च) नगरपालिकाओं को सेनिटरी लेन्डिफल स्थल हेतु भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजे/ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छता कार्यक्रमों के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण; बाजारों; पशुवध शालाओं के निर्माण तथा शहरी क्षेत्र में अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए सहायता अनुदान हेतु (2.88 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पुरकों की मांग की गई।

(छ) सरकारी पालीटेक्निक और शिक्षा भवनों में पालीटेक्निक कार्यशाला, सूचना प्रौद्योगिकी भवन के निर्माण हेत् (1.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- share of National Rural Health Mission-NRHM (Rs. I.78 crore).
- (b) For payment of 60% arrears to the employees of UT Administration due to implementation of 6th Central Pay Commission recommendations (Rs. 8.61 crore).
- (c) For purchase of modern equipments/electronic items/ computers/ teaching equipments/ furniture under the scheme for upgradation of existing schools into Modern Schools in entire Daman and Diu district (Rs. I.00 crore).
- (d) For payment of 60% arrears to the teachers and employees of aided schools of UT Administration due to implementation of 6th Central Pay Commission recommendations (Rs. 4.77 crore).
- (e) For Grants-in-aid to Municipal Council/OIDC for implementation of urban developmental works / schemes in Daman and Diu district; implementation of underground sewerage system in Daman and other developmental works (Rs. 7.00 crore).
- (f) For Grants-in-aid to Municipalities for compensation relating to land acquisition for sanitary land fill site/solid waste management, construction of toilet blocks under sanitation programmes; construction of markets; slaughter house and other developmental works in the urban area. (Rs. 2.88 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

(g) For construction of Polytechnic Workshop, construction of Information Technology building at Government Polytechnic and Education buildings etc (Rs. 1.00 crore).

As equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section, there will be no cash outgo.

### लक्षद्वीप LAKSHADWEEP

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिए)। (See page No. 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी Total Revenue **Capital** I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः स्वीकृत 198.62 744.86 Voted: 546.24 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required स्वीकृत Voted: 8.16 8.16 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत Voted: 554.40 198.62 753.02 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-भिन्न जोड Non-Plan Plan Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** उच्च शिक्षा विभाग **Department of Higher Education** 2202-सामान्य शिक्षा स्वीकृत 2202-General Education Voted: 7.40 (कa) 7.40 नागरिक विमानन मंत्रालय **Ministry of Civil Aviation** 3053-नागरिक विमानन 3053-Civil Aviation 0.76 स्वीकृत Voted: 0.76 (खb) जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) Voted: 8.16 8.16 टिप्पणीः ऊपर दिए गए अतिरिक्त आवश्यकताओं के अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। **Note:** The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD विद्युत मंत्रालय **Ministry of Power** 2801-विद्युत स्वीकृत 2801-Power Voted: -0.35-0.35खाद्य प्रसंस्करण उद्योग Ministry of Food Processing मंत्रालय **Industries** 2408-खाद्य, भंडारण और भांडागारण 2408-Food, Storage and Warehousing -1.85-1.85पुंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD शहरी विकास मंत्रालय Ministry of Urban Development 6425-सहकारिता हेतु ऋण 6425-Loans for Co-operation -0.70-0.70

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु माँगा गया है:-

जोड़ (वसूलियाँ)

(क) माध्यमिक स्कूलों, जिला पंचायतों के तहत प्राथमिक स्कूलों के नियमित अध्यापकों को वेतन, भत्ते और 60 प्रतिशत बकाया भुगतान (8.40 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में।

Total (Recoveries)

(ख) पवनहंस कारपोरेशन लिमिटेड को उड़ान प्रभार के सम्बन्ध में (3.60 करोड़ रुपए)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 3.84 करोड़ रुपए की बचतों, पूंजी भाग में 4.16 करोड़ रुपए की बचतों और व्यय में से कटौती के रूप में 2.90 करोड़ रुपए की वर्धित वसूलियों को समायोजित करने के बाद इस पूरक में 1.10 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा। The Supplementary Grant is sought for meeting additional expenditure :-

-2.90

-2.90

- (a) On pay and allowances and payment of 60% arrears to the regular teachers working in Secondary Schools; Primary Schools under District Panchayats (Rs.8.40 crore).
- (b) Towards flying charges to Pawan Hans Corporation Ltd. (Rs.3.60 crore).

Taking into account the savings of Rs.3.84 crore within the same Section of the Grant, savings of Rs.4.16 crore in the Capital Section and after adjustment of enhanced recoveries of Rs.2.90 crore, taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs.1.10 crore.

### शहरी विकास विभाग DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 123 और वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिए)। (See page 123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 77 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			_		
	भारित		Charged:	29.91	27.00	56.91	
	स्वीकृत		Voted:	1008.52	2600.36	3608.88	
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:	•				
	स्वीकृत		Voted:	414.76	2025.10	2439.86	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of					
का पूरक अनुमान		the amount now required:					
	भारित		Charged:	6.05	•••	6.05	
	स्वीकृत		Voted:	0.04	1.38	1.42	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplement	ary)	1459.28	4653.84	6113.12	
	भारित		Charged:	35.96	27.00	62.96	
	स्वीकृत		Voted:	1423.32	4626.84	6050.16	
		.00 \	2 0 0	U 16: /	٠ .		

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		1 lan	Non-1 lan	Total
नुख्य साप 2052-सचिवालय-		2052- Secretariat-				
	-		37.4.4.	0.01 ()		0.01
सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	General Services	Voted:	0.01 (কa)	•••	0.01
2216-आवास	0	2216-Housing				
	भारित		Charged:	•••	6.05 (खb)	6.05
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (गc)		0.01
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217- Urban Development	Voted:	0.01 (ঘd)		0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (ਵe)		0.01
जोड राजस्व भाग	स्वीकृत	<b>Total Revenue Section</b>		0.04	6.05	6.09
	भारित		Charged:		6.05	6.05
	स्वीकृत		Voted:	0.04	•••	0.04
पूंजी भाग	C	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4216-आवास पर		4216- Capital Outlay				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	on Housing	Voted:	1.38 (चर्)	•••	1.38
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	<b>Total Capital Section</b>	Voted:	1.38	•••	1.38
जोड़ (पूरक)	-	Total (Supplementary)		1.42	6.05	7.47
	भारित		Charged:		6.05	6.05
	स्वीकृत		Voted:	1.42		1.42

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

- (क) सचिवालय के कम्पयूटरीकरण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.24 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) राष्ट्रपति भवन में साधारण मरम्मत के लिए वर्क चार्जड कर्मचारीवृंद को भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति (4.25 करोड़ रुपए) और नगरपालिका निकायों को किराया प्रभारों के भुगतान के लिए व्यय की पूर्ति हेतु (1.80 करोड़ रुपए)। चूंकि (3.29 करोड़ रुपए) भाग राजस्व स्वीकृत और 2.76 करोड़ रुपए पूंजी भारित से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) To meet the additional requirement for Computerisation of Secretariat (Rs. 0.24 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) To meet the additional requirement for payment to Work Charged Staff for Ordinary Repairs in Rashtrapati Bhawan (Rs. 4.25 crore) and to meet expenditure for payment of lease charges to local Municipal Bodies (Rs. 1.80 crore). As Rs. 3.29 crore from the Revenue Voted Section and Rs. 2.76 crore from the Capital Charged Section will be surrendered, there will be no cash outgo.

- (ग) संपदा निदेशालय के कम्पयूटरीकरण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (1.01 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलध्य है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (घ) विश्व पर्यावरण सुविधाओं को सहायता अनुदान (1.03 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ङ) सिक्किम के शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों को सहायता अनुदान (14.50 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (च) ''श्रम और रोजगार के तहत सरकारी आवास भवन का निर्माण'' की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (1.38 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

- (c) To meet the additional requirement for Computerisation of Directorate of Estates (Rs. 1.01 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Grants-in-aid to Global Environmental Facilities (Rs.1.03 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Grants-in-aid to North Eastern Region including Sikkim for Urban Water Supply Programme (Rs. 14.50 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) To meet the additional requirement for Construction of Government Residential Building under Labour & Employment (Rs.1.38 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted Section of the Grant there will be no cash outgo.

# लोक निर्माण कार्य PUBLIC WORKS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 और वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 79 देखिए)। (See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 79 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charg	ged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voi	ted:	1117.25	403.30	1520.55
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voi	ted:	25.52		25.52
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत	Vo	ted:	1.54	•••	1.54
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		1145.31	404.30	1549.61
	भारित	Charg	ged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Vo	oted:	1144.31	403.30	1547.61

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	1.54	•••	1.54

यह पूरक अनुदान अनुसंघान और विकास सहित केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए वेतन (1.09 करोड़ रुपए), व्यावसायिक सेवाओं (0.40 करोड़ रुपए) और अन्य प्रभारों (0.05 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु मांगा गया है। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for meeting the additional requirement on the Salaries (Rs. 1.09 crore), Professional Services (Rs. 0.40 crore) and Other Charges (Rs. 0.05 crore) for Training Institutes of Central Public Works Department (CPWD), including Research and Development. As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Section of the Grant, there will be no cash outgo.

## जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 और वर्ष 2009-2010 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिए)। (See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 80 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged	:	4.00	4.00
	स्वीकृत	Voted	: 941.53	84.01	1025.54
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted	: 0.02	•••	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	941.56	88.01	1029.57
	भारित	Chargea	<i>l</i> :	4.00	4.00
	स्वीकृत	Voted	d: 941.56	84.01	1025.57

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4885-उद्योगों और खनिजों		3451-Secretariat-Economic				
के लिए पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Services	Voted:		0.01 (কa)	0.01
4885-उद्योगों और खनिजों		3601-Grants-in-aid to				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	State Government	Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैः

- (क) महादेवी जल विवादों को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण के संविधान के लिए संस्थापन संबंधी व्यय (0.07 करोड़ रुपए)।
- (ख) 'नदी प्रबन्धन कार्यकलापों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य' योजना के तहत सहायता अनुदान से संबंधित अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु (20 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतः सांकेतिक पूरकों की मांग की गई है। The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) Establishment related expenditure for the constitution of a Tribunal to resolve the Mahadayi Water Disputes (Rs. 0.07 crore).
- (b) Meeting requirements of additional expenditure on Grants-in-aid under the scheme 'River Management Activities and Works Related to Border Areas' (Rs. 20 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought.

# महिला और बाल विकास मंत्रालय MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 127 और वर्ष 2009-10 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 81 देखिए)। (See page 127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 81 of the First Supplementay Demands for Grants for the year 2009-10).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	7428.00	•••	7428.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1200.00		1200.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	8628.02	•••	8628.02

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा		2235-Social Security and				
और कल्याण	स्वीकृत	Welfare	Voted:	0.01 (কa)	0.01 (खb)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

(क) "कामगार बच्चों और देखभाल और संरक्षण जरूरतमंद बच्चों के कल्याण की योजना" के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (2.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/पेंशन/बकाया राशियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान को सहायता अनुदान (0.65 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) Grants-in-aid for meeting additional requirement under the "Scheme for the Welfare of Working Children and Children in need of Care and Protection" (Rs. 2.50 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid to National Institute of Public Cooperation and Child Development for meeting the additional requirement on account of Salaries/Pension/Arrears on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 0.65 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

### युवा कार्य और खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 और वर्ष 2009-10 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 82 देखिए)। (See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010 and page 82 of the First Supplementay Demands for Grants for the year 2009-10).

					(करोड़ रुपए Rupees in Crore	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	2579.30	493.70	3073.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	312.42	350.58	663.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary	y) Voted:	2891.75	844.28	3736.03

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2204-खेल और युवा सेवाएं		2204-Sports and Youth				
	स्वीकृत	Services	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया हैं:

- (क) (i) भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) योजनाओं, अवसंरचना विकास (a) (i) और अन्य कार्यकलापों के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण को सहायता अनुदान (56.00 करोड़ रुपए)।
  - (ii) नेहरू युवा केन्द्र संगठन को विशेष शिविरों और इनके नियमित कार्यक्रमों/कार्यकलापों के संचालन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (16.54 करोड़ रुपए)।
  - (iii) 'विशेष नकद पुरस्कार' योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कारों के भुगतान संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपए)।
  - (iv) 'प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन' योजना के तहत पेंशन भुगतान संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रुपए)।
  - (v) अतिरिक्त आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता के लिए सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को नियमित कार्यकलापों और अपनी स्थापना व्यय संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (1.10 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण को पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अवसंरचना और अन्य कार्यकलापों के व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (6.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is required for the following purposes:

- (i) Grants-in-aid to Sports Authority of India (SAI) for meeting additional expenditure for operating SAI schemes, infrastrcutre development and other activities (Rs. 56.00 crore).
  - (ii) Grants-in-aid to Nehru Yuva Kendra Sangathan for meeting additional requirement for conducting special camps and their regular programmes/activities (Rs.16.54 crore).
  - (iii) Grants-in-aid for meeting additional requirement for payment of Cash Awards to medal winners in International Sports Events under the scheme 'Special Cash Awards' (Rs. 0.50 crore).
  - (iv) Grants-in-aid for meeting additional requirement for payment of pension under the scheme 'Pension to Meritorious Sports Persons' (Rs. 1.50 crore).
  - (v) Grants-in-aid for assistance to National Sports Federations on account of additional requirements (Rs.10.00 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid to Laxmibai National Institute of Physical Education for meeting additional requirements on regular activities and their establishment expenditure (Rs. 1.10 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(c) Grants-in-aid to Sports Authority of India for meeting additional requirements of expenditure for infrastructure and other activities for North Eastern Areas (Rs. 6.50 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

# अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2009-10 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है। Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2009-10.

			(करोड़ रुपए Ri	upees in Crore	e)
豖.			बजट अनुमान	पुनर्विनियोग	
सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	2009-2010	की राशि	टिप्पणियां
S1.	Name of the Ministry/	Scheme	Budget	Amount of	Remarks
No.	Department		Estimates	Re-appro-	
			2009-2010	priation	
1	2	3	4	5	6
1.	औद्योगिक नीति और संवर्धन	विशेष श्रेणी वाले जम्मू व कश्मीर,			योजना के अंतर्गत अतिरिक्त माँग की पूर्ति
		हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड			हेतु ।
		राज्यों के लिए पैकेज			
	Department of	Package for Special Category			To meet the additional demand
	<b>Industrial Policy and</b>	States for J&K, HP and			under the scheme.
	Promotion	Uttarakhand	45.00	4.50	
2.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	आयोजना (एनई संघटक से भिन्न)			
		टीडीआईएल (मुख्य शीर्ष 2852)			अतिरिक्त निधि आवंटन की आवश्यकता
		जनशक्ति विकास कार्यक्रम			प्रतिबद्धताओं, चालू अनुसंधान एवं विकास
		(मुख्य शीर्ष 2852)			परियोजनाओं को सहायता और नई
		समीर (मुख्य शीर्ष 2852)			परियोजनाओं की शुरुआत के लिए है।
		ईएमडीपी (मुख्य शीर्ष 2852)			
		माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स (मुख्य शीर्ष 2852)			
	Department of	Plan (Other than NE Component	t)		
	Information Technology	TDIL (Major Head 2852)	7.80	3.00	Additional funds allocation is
		Manpower Development			required to meet commitments, to
		Programme (Major Head			support the ongoing R&D projects
		2852)	4.50	2.60	as well as to initiate new projects.
		SAMEER (Major Head 2852)	30.00	8.00	
		EMDP (Major Head 2852)	5.50	5.50	
		Microelectronics (Major Head 285	(2) 33.98	44.50	
		आयोजना (एनई संघटक)			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु कार्यक्रमों
		जनशक्ति विकास			के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता
		(मुख्य शीर्ष 2852)			की पूर्ति हेतु।
		सी-डैक (मुख्य शीर्ष 2852)			
		Plan (NE Component)			To meet the additional requirement
		Manpower Development			to implement programmes for the
		(Major Head 2852)	10.00	8.00	benefit of North Eastern Region and
		C-DAC (Major Head 2852)	9.00	53.00	Sikkim.
3.	पर्यावरण और वन	(आयोजना)			पहले पारिस्थितिकी कार्य बल (ईटीएफ)
	मंत्रालय	3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण			के चार बटालियन थे । वर्ष 2008-09 के
		03 - पर्यावरण अनुसंधान और			दौरान, ईटीएफ के दो बटालियनों ने असम
		पारिस्थितिकीय पुनर्सृजन			राज्य में कार्य शुरू किया । प्रस्तावित
		103 - अनुसंधान और पारिस्थितिकीय			पुनर्विनियोग ईटीएफ के दो नए बटालियनों
		पुनर्सृजन			के संबंध में वर्धित व्यय की पूर्ति के लिए है।
		04 - पारिस्थितिकी विकास बल			
	Minister of	04.00.30-अन्य संविदात्मक सेवाएं			Forlian than fam. b. (1.1
	Ministry of Environment and	(Plan) 3435 - Ecology & Environment			Earlier there were four battalions of Ecological Task Forces (FTFs).
	Forests	03 - Environmental Research			During 2008-09, two battalions of
					,

			(करोड़ रुपए Ruj	Rupees in Crore)		
1	2	3	4	5	6	
		& Ecological Regeneration			ETFs became operational in th	
		103- Research & Ecological			State of Assam. The propsed re-	
		Regeneration			appropriation is meant for meetin	
		04-Eco-Development Forces			increased expenditure on two nev	
		04.00.30-Other Contractual			battalions of ETFs.	
		Services	10.50	12.00		
		3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण			यह प्रस्तावित पुनविर्नियोग सार्क वानिव	
		03 - पर्यावरण अनुसंधान और			केन्द्र, भूटान और तटीय प्रबंधन केन्द्र,मालदी	
		पारिस्थितिकीय पुनर्सृजन			के सुदृढ़ीकरण हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग	
		798-अंतरराष्ट्रीय सहयोग			अंशदान (४ करोड़ रुपए) और अंतरराष्ट्री	
		02- अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन/निका	य		निकायों को वर्धित अंशदान की पूर्ति	
		02.00.32-अंशदान			लिए है (1.53 करोड़ रुपए) ।	
		3435 - Ecology & Environme	ent		The proposed re-appropriation is	
		03 - Environmental			meant for contribution t	
		Research & Ecological			International Cooperation for	
		Regeneration			strengthening SAARC forestr	
		798- International Cooperation	1		Centre, Bhutan and Coasta	
		02 - Other International			Management Centre, Maldives (R	
		Organisations/Bodies			4 crore) and for meeting enhance	
		02.00.32-Contributions	0.69	5.53	contribution to International Bodie	
					(Rs. 1.53 crore).	
	स्वास्थ्य और परिवार	2071.01.118.01-			सीजीएचएस के पेंशनभोगियों के चिकित्र	
कल	याण विभाग	केन्द्र सरकार के पेंशनभोगी	आयोजना-भिन्न		उपचार पर वर्धित व्यय	
De	partment of	2071.01.118.01-				
He	ealth & Family	Central Government	Non-Plan		Increased expenditure on medical	
W	elfare	Pensioners	333.33	44.44	treatment of CGHS pensioners	
		2210.01.103.24-				
		औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना	आयोजना		वेतन, दवा की खरीद संबंधी वर्धित व्यय	
			आयोजना-भिन्न			
			Plan			
		2210.01.103.24-	36.00	10.64	Increased expenditure on salarie	
		Setting up of	Non-Plan		and procurement of medicine.	
		Dispensaries/Hospitals	502.00	70.00		
		2210.01.110.19-	आयोजना			
		सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	आयोजना-भिन्न		तदैव	
			Plan			
		2210.01.110.19-	44.00	54.42	-do-	
		Safdarjang Hospital,	Non-Plan			
		New Delhi	157.00	28.90		
		2210.01.110.20-	आयोजना		Δ.	
		डा. आरएमएल अस्पताल, नई दिर्ल्ल			तदैव	
			Plan			
		2210.01.110.20-	32.00	31.90	-do-	
		Dr. R.M.L. Hospital	Non-Plan			
		N.Delhi	117.00	10.38		
		2210.05.105.27	आयोजना			
		लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	` -			
		और श्रीमती एस.के. अस्पताल	आयोजना-भिन्न		तदैव	

			(करोड़ रुपए Rup	ees in Cror	e)
1	2	3	4	5	6
			Plan		
		2210.05.105.27-Lady	15.00	7.00	-do-
		Hardinge Medical			
		College & Smt. S.K.	Non-Plan		
		Hospita1	95.00	21.00	
			, , , , ,		
		2210.05.105.34-आरएके	आयोजना-भिन्न		छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशं
		कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नई दिल्ली			के कार्यान्वयन के संबंध में भुगतान
		2210.05.105.34-RAK	Non-Plan		4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
		College of Nursing,	11011 I Idili		Payment of arrears towards
		New Delhi	3.80	1.39	implemenation of 6th CPC
		New Delili	3.60	1.39	implementation of our Cr C
		2210.06.003.02-	आयोजना-भिन्न		
		2210.00.003.02- सीएलटीआरआई, चेंगलपट्ट	आयाजगा-ामग्ग		तदैव
			N. Di.		तदय
		2210.06.003.02-	Non-Plan	1.65	1
		CLTRI, Chengalpattu	5.50	1.65	-do-
		2210.05.002.04			
		2210.06.003.04-	आयोजना-भिन्न		
		आरएलटीआरआई, रायपुर			तदैव
		2210.06.003.04-	Non-Plan		
		RLTRI, Raipur	2.50	0.70	-do-
		2210.06.003.05-	आयोजना		तदैव
		2210.00.003.03- आरएलटीआरआई, गौरीपुर	આવાળમા		राद्य
		<u> </u>	DI		1.
		2210.06.003.05-	Plan	1.00	-do-
		RLTRI, Gauripur	1.50	1.28	
		2210.06.101.07-	आयोजना		तदैव
		राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान			
		2210.06.101.07-	Plan		-do-
		National Institute of	6.95	12.45	do
		Communicable Diseses	0.93	12.43	
		Communicable Diseses			
		2210.06.102.09-	आयोजना		स्वाइन फ्लू के फैलने पर नियंत्रण हे
		एफएसएसएआई			केटों की खरीद
		2210.06.102.09-	Plan		Procurement of Kits to arrest out
		FSSAI	11.00	22.00	breaks of Swine Flu.
		100111	11.00	22.00	oreans or swine run.
		2210.06.104.02-	आयोजना		प्रयोगशाला उपस्करों, उपभोज्य वस्तुओं र्क
		केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण सं			खरीद और व्यावसायिकों की नियुक्ति प
		. 7			अतिरिक्त व्यय
		2210.06.104.02-	Plan		Additional expenditure on procure
		Central Drugs Standard	8.16	13.98	ment of Lab equipments, consumable
		_	0.10	13.70	
		Control Organisation			and engagement of professionals.
		2210.06.112.05-	आयोजना-भिन्न		छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशं
		एआईआईएचपीएच, कोलकाता			के कार्यान्वयन पर बकाया राशि का भुगता
		2210.06.112.05-	Non-Plan		Payment of arrears towards
		AIIHPH, Kolkata	13.00	4.47	implemenation of 6th CPC
			12.00	/	1
		2210.06.112.06-	आयोजना-भिन्न		छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश
		सीसीटीसी, सिंगूर			के कार्यान्वयन पर बकाया राशि का भुगता
		2210.06.112.06-	Non-Plan		Payment of arrears toward
		CCTC, Singur	12.50	4.73	implemenation of 6th CPC
		ccrc, singu	12.30	4.73	T

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
1 2		3	4	5	6	
		मुख्य शीर्ष ''2211''-	आयोजना			
		परिवार कल्याण-				
		राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के				
		्र तहत उपाय - परिवार कल्याण				
		सम्बद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना			योजना के अन्तर्गत बीमा प्रीमियम	
		Major Head "2211" -				
		Family Welfare -				
		Measures under National				
		Population Policy -	Plan			
		Family Welfare Linked	6.00	12.33	Insurance Premium under	
		Health Insurance Scheme.			Scheme.	
		मुख्य शीर्ष ''3601''-	आयोजना			
		राज्य सरकारों को सहायता				
		अनुदान - केन्द्रीय आयोजना स्कीमों				
		हेतु अनुदान – ग्रामीण परिवार कल्याण			जमीनी स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वा	
		सेवा - उप केन्द्र			देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराना।	
		Major Head "3601" -	Plan			
		Grants in aid to State				
		Governments - Grants for				
		Central Plan Schemes -	2324.86	204.20	To provide comprehensive Prim	
		Rural Family Welfare			Health Care Services at the gr	
		Services - Sub Centres			root level.	
		प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य- आरसीएच औषधियां तथा उपस्कर की आपूर्ति	आयोजना		प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत औषधियों और उपस्कर अधिप्राप्ति।	
		D	DI			
		Reproductive and Child	Plan		To procure Drugs and Equipme	
		Health - Supply of RCH	00.10	40.70	under the Reproductive and Ch	
		Drugs & Equipments	88.10	48.70	Health Programme.	
		पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम- ईएसी	आयोजना		पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अन राज्य सरकारों को सहायता उप कराना।	
		Pulse Polio Immunisation	Plan		To provide assistance to St	
		Programme - EAC	510.62	34.50	Governments under the Pulse Polimmunisation Programme.	
		पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम- जीसी	आयोजना		पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अन राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कर	
		Pulse Polio Immunisation	Plan		To provide assistance to St	
		Programme - GC	573.27	20.00	Governments urder the Pulse Po Immunisation Programme	
नवीन और र मंत्रालय	नवीकरण	मु.शी.–2810–नवीन तथा नवीनकरणीय मंत्रालय			चालू वित्त वर्ष के दौरान पन बिजर्ल एसएचपी परियोजनाओं के परिपक्व प्रस्	
esterior.		00.101-ग्रिड इंटर एक्टिव तथा वितरित नवीकरणीय विद्युत 01-ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय		के सम्बन्ध में अतिरिक्त निधियों की हेतु ।		
		विद्युत 02-पन बिजली				
3.41	e Ni	33-सब्सिडी			TD	
	of New and	MH-2810-Ministry of New and			To meet the additional funds	
Renewabl	e Energy	and Renewable Energy			release on the matured proposals	

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6		
		00.101-Grid Interactive and Distributed Renewable Power 01-Grid Interactive Renewable Power			SHP projects in Hydro Power during current financial year.		
		02-Hydro Power 33-Subsidy	57.00	2.50			
6.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2225.01.277.17-अनुसूचित जाति के लिए राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप 17.00.31- सहायता अनुदान			पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ हेतु व्यय की पूर्ति हेतु।		
	Ministry of Social Justice & Empowerment	2225.01.277.17-Rajiv Gandhi National Fellowship for SCs 17.00.31-Grants-in-aid	79.00	1.00	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.		
		2225.80.001.07-राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 07.00.02-मजदूरी			दैनिक मजदूरों के वेतन का भुगतान		
		2225.80.001.07-National Commission for Safai Karamcharies 07.00.02- Wages	0.10	0.07	For payment of Salary to Daily Wagers.		
		4225.80.190.16-राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त विकास निगम 16.00.54-निवेश			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए व्यय की पूर्ति ।		
		4225.80.190.16-National Finance Development Corporations for Weaker Sections 16.00.54-Investment	105.50	3.50	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.		
		3601.04.341.07-पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए व्यय की पूर्ति ।		
		07.00.31-सहायता अनुदान 3601.04.341.07-Post Matric Scholarship Scheme 07.00.31-Grants-in-aid	725.00	4.71	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.		
		2225.80.001.01-राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 01.00.01-वेतन			वेतन पर वर्धित व्यय ।		
		2225.80.001.01-National Commission for Scheduled Castes 01.00.01- Salary	6.50	0.72	Increased expenditure on Salary.		
		3601.04.377.03-पश्च मेट्रिक छात्रवृत्ति			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए व्यय की पूर्ति ।		
		03.00.31-सहायता अनुदान 3601.04.377.03-Post Matric Scholarship 03.00.31-Grants-in-aid	119.50	8.96	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.		
		3601.03.343.01-अनुसूचित जाति संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता 01.00.31-सहायता अनुदान			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए व्यय की पूर्ति ।		

			करोड़ रुपए Rup	ees in Crore	e)
1	2	3	4	5	6
		3601.03.343.01-Special Central			To meet the expenditure for the
		Assistance to Scheduled Castes			benefit of North Eastern Region and
		Component Plan	467.50	3.90	Sikkim.
		01.00.31-Grants-in-aid			
		2225.03.001.02-आर्थिक रूप से			मेडीकल व्यय की पूर्ति ।
		पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय आयोग			मंडापाल व्यय पा यूरि ।
		02.00.06-औषधीय इलाज			
		2225.03.001.02-National			
		Commission for Economically			
		Backward Classes	0.00	0.01	To meet the Medical expenditure.
		02.00.06-Medical Treatment	0.00	0.01	To meet the inequence expenditure.
7	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम	मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय			
٠.	कार्यान्वयन मंत्रालय	सामान्य सेवाएं			
	कावान्यवन मत्रालव	00.090-सचिवालय			
		18-कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों
		01-स्थापना			के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय
		18.01.01-वेतन			की पूर्ति हेतु।
	Ministry of Statiscs and	Major Head 2052- Secretariat			पर्रा श्रात हतु।
	Programme	General Services			
	Implementation	00.090- Secretariat			
	Imprementation	18-Department of Programme			To meet the expenditure on Salarie
		Implementation			due to implementation of th
		01- Establishment			recommendations of Sixth Centra
		18.01.01-Salaries	3.15	0.97	Pay Commission.
		0.0			•
		मुख्य शीर्ष 3454 - जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
		आर साख्यका 02-सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
					छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश
		02.201-राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 01-अधीनस्थ कार्यालय			के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्य
		01-अधानस्य कायालय 01.00.01-वेतन			
					की पूर्ति हेतु।
		Major Head 3454- Cencus,			
		Survey and Statistics			
		02-Survey and Statics			To most the community on Colonia
		02.201-National Sample Survey			To meet the expenditure on Salarie
		Organisation 01-Subordinate Office			due to implementation of the recommendations of Sixth Central
		01.00.01-Salaries	163.61	11.09	Pay Commission.
		00 000 000 000			
		02.202-भारतीय सांख्यिकी संस्थान 01-भारतीय सांख्यिकी संस्थान,			वेतन तथा अन्य पेंशन लाभों पर भारती
		कोलकाता को सहायता अनुदान			सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता क
		01.00.31-सहायता अनुदान			आवश्यकता की पूर्ति हेतु।
		02.202-Indian Statistical Institute			To most the requirement off-dia
		01-Grants-in-aid to Indian			To meet the requirement ofIndia Statistical Institute, Kolkata o
		Statistical Institute, Kolkata 01.00.31-Grants-in-aid	83.34	20.10	
		01.00.31-Oranis-in-aid	03.34	20.19	Salaries and other pensionar benefits.
8.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	म्.शी. 2245-राष्ट्रीय आपदाओं के लिए			
٥.	गृह मंत्रालय	राहत			अस्थाई आश्रय स्थलों में रह रहे सुनाम
	c	01. अन्य मद			पीड़ितों को निःशुल्क राशन आपूर्ति
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			+	

		(करोड़ रुपए Rup	ees in Crore	ees in Crore)			
1 2	3	4	5	6			
Andaman and Nicobar Islands							
<b>Ministry of Home</b>	MH 2245-Relief on						
Affairs	Account of Natural			For supply of free ration to the			
	Calamities			Tsunami victims residing in			
	01.Other items	0.01	42.82	Temporary shelters.			
ग्रामीण विकास मंत्रालय	मु.शी. 4215-जल आपूर्ति एवं						
	स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय			ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं पर अतिरिक्त			
	03.ग्रामीण जल आपूर्ति			व्यय की पूर्ति			
<b>Ministry of Rural</b>	MH 4215-Capital Outlay						
Development	on Water Supply and						
	Sanitation			To meet the additional expenditure			
	03.Rural Water Supply	8.35	9.83	on rural water supply schemes			
विद्युत मंत्रालय	मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत						
	विद्युत संयंत्र एवं			वेतन और विद्युत गृहों के लिए पीओएल			
	अनुषंगी कार्य			की खरीद पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति			
<b>Ministry of Power</b>	MH 2801- Power			To meet the additional expenditure			
	Power Plant and			on Salaries and purchase of POL for			
	Ancillary Works	63.90	38.67	Power Houses			
सड़क परिवहन और	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय			ग्रामीण सड़कों के निर्माण/सुधार पर अतिरिक्त			
राजमार्ग मंत्रालय	02.ग्रामीण सड़कें			व्यय की पूर्ति			
Ministry of Road	5054-Capital Outlay on			To meet the additional Expenditure			
Transport and Highway	s Roads and Bridges			on construction/improvement of			
	02. Rural Roads	10.60	7.85	rural roads.			
शहरी विकास मंत्रालय	मु.शी. 4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय 05-अन्य सिविल कार्य			पुलिस भवनों के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति			
Ministry of Urban	MH 4055-Capital Outlay on			To meet the additional expenditure			
Development	Police			on construction of Police buildings			
-	05-Other Civil Works	8.46	7.16				
	मु.शी. ४२१६-आवास पर पूंजी परिव्यय ०७- सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता			सुनामी से प्रभावित लोगों के लिए स्थाई आवास निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।			
	01-सुनामी प्रभावित लोगों के स्थायी आव	пал		सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत अन्य			
	02-अन्य आवासीय योजनाएं			आवासीय भवनों के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति			
	MH 4216-Capital Outlay			To meet the additional expenditure			
	on Housing			on construction of permanent			
	07- Additional Central			shelters for persons affected by			
	Assistance for Tsunami			Tsunami			
	Rehabilitation Programme						
	01-Permanent Shelters for			To meet the additional expenditure			
	persons affected by Tsunami	333.00	38.00	on construction of other residential			
	2			buildings under Tsunami Re-			
	02-Other Housing Schemes	4.20	8.30	habilitation Programme.			